



# विवरणिका

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर



## INFORMATION BULLETIN

MOHANLAL SUKHADEVA UNIVERSITY, UDAIPUR

2012-2013



## कृतांगीत

वीर भूमि के ज्ञान पीठ का सादर शत वन्दन ।

शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन ॥

‘सत्यन् शिवम् सुन्दरम्’ की प्रतिमा कल्याणी ।

‘विद्यया विन्दते ऽमृतन्’ उपनिषदों की वाणी ॥

यह प्रताप की कर्म भूमि के माथे का चन्दन ।

मीरा का निष्क्राम भविता से है अटूट बंधन ॥

श्री एकलिंग जी श्री नाथ जी चारभुजा बैणेश्वर ।

सूक्ष्मी संतों की धरती ने माना एक ही ईश्वर ॥

वीर भूमि के ज्ञान पीठ का सादर शत वन्दन ।

शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन ॥

यहाँ साधनारत ग्रतिभायें ज्योतिर्मन्त बनें ।

राष्ट्र धर्म का स्वर विजयी हो, महिमावन्त बनें ॥

मुख्त गगन में आदर्शों की पुण्य ध्वजा फहरे ।

जन मानस में ज्ञान ज्योति का दिव्य प्रकाश भरे ॥

ज्ञानदायिनी मूर्तिमंत महिमा का अभिनन्दन ।

युवाशवित्त हो सत्यनिष्ठ संकल्पित अन्तर्मन ॥

वीर भूमि के ज्ञान पीठ का सादर शत वन्दन ।

शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन ॥



## **University College of Science**



**University College of  
Commerce & Management Studies**



**University College of Social Sciences  
& Humanities**



**University College of Law**



**मूल्य - 100.00 रुपये  
(आवेदन-पत्र सहित)**

**प्रकाशक: कुलसचिव, भोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर-313009 फोन: 0294-2471035  
मुद्रक : न्यू यूनाइटेड प्रिंटर्स, 28, भूपालपुरा मठ, उदयपुर-313001 फोन: 0294-2415656**

# ॥ संदेश ॥

प्रिय विद्यार्थियों,

मेराड की यशोभूमि पर सर्वोपरि शैक्षणिक मूल्यों के लिए संकल्पित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में नवीन सत्रारम्भ में आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन !

विद्यार्थियों के लिये श्रेष्ठ शैक्षणिक उपलब्धि तथा सहशैक्षणिक प्रवृत्तियों के द्वारा उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिये हम प्रतिबद्ध हैं। इस विश्वविद्यालय में समसामयिक पाठ्यक्रम के साथ सम्बन्धित संकाय-विषयों में आधुनिकतम अध्ययन सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अपने शैक्षणिक बातावरण तथा ऊर्जावान गतिविधियों से विश्वविद्यालय ने अपनी विशिष्ट पहचान कायम की है।



विगत सत्र 2011-12 विश्वविद्यालय ने स्वर्ण जयन्ती वर्ष के रूप में मनाया। इस स्वर्ण जयन्ती वर्ष में विश्वविद्यालय में पश्चिम क्षेत्रीय कुलपति सम्मेलन, अन्तर्विश्वविद्यालय राष्ट्रीय युवा महोत्सव, अन्तर्विश्वविद्यालय तथा अन्तःक्षेत्रीय राष्ट्रीय बैडमिन्टन खेल प्रतियोगिता आदि अनेक महत्वपूर्ण आयोजन हुए। स्वर्ण जयन्ती वर्ष में ही विश्वविद्यालय को केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री प्रणब मुख्यार्जी, केन्द्रीय भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री डॉ. सी.पी. जोशी, केन्द्रीय खेल एवं युवा मामलात राज्य मंत्री श्री अजय माकन, केन्द्रीय संचार राज्यमंत्री श्री सचिन पायलट, महामहिम कुलाधिपति श्री शिवराज पाटिल, पूर्व वित्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री टी.एन. चतुर्वेदी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोटिक सिंह अहलुवालिया, मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत तथा जनजाति विकास मंत्री राजस्थान श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया का सान्निध्य प्राप्त हुआ। विगत सत्र की धार्ता इस वर्ष भी अनेक विशिष्ट व्याख्यान, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे, जिनसे आप अधिकाधिक लाभान्वित हो सकेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। शैक्षणिक नवाचार, सूचना तकनीक तथा आधारभूत संरचनात्मक विकास और विस्तार की प्रक्रिया निरन्तर जारी है। UGC-INFLIBNET के द्वारा आपके लिये ज्ञान का नवीन द्वार खोला गया है। प्रवेश प्रक्रिया से परीक्षा प्रणाली तक सर्वत्र आधुनिक तकनीक के प्रयोग तथा पारदर्शिता में यह विश्वविद्यालय राजस्थान में अग्रणी है।

जीवन में सफलता तथा सार्थकता दोनों ही महत्वपूर्ण आयाम हैं। व्यवस्थित शिक्षा के परिणामस्वरूप सफलता प्राप्त होती है तथा संस्कारित आचरण के द्वारा सार्थकता अर्जित होती है। व्यवस्थित शिक्षा तथा संस्कार दोनों मिलकर ही ऐसे समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं जो समाज, राष्ट्र तथा मानवता की अमूल्य निधि होते हैं। सफलता तथा सार्थकता के महत्वपूर्ण सोपान के रूप में इस विश्वविद्यालय का विकास हो, ऐसा हम सभी का संकल्प है। यह अपेक्षा भी है आप विश्वविद्यालय की महान परम्पराओं को सुरक्षित रखेंगे तथा अपने परिश्रम, अनुशासन एवं अवदान से इनमें अभिवृद्धि करेंगे।

आरोहण के इस सोपान पर आपका स्वागत है।

विश्वविद्यालय परिवार की ओर से शुभकामनाएँ।

( प्रो. इन्द्रवर्धन त्रिवेदी )  
कुलपति



## महात्मपूर्ण निर्देश

इस विवरणिका में दिए गए नियम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा निर्भित एवं स्वीकृत हैं।

संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के अधिकृत निकायों एवं विश्वविद्यालयों के सक्षम अधिकारियों द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों का पालन करना होगा। ऐसा विश्वास है कि इस विवरणिका में जो भी निर्देश तथा सूचनाएँ दी गई हैं वे सभी प्रकाशन के समय तक संशोधित हैं। विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि वह बिना किसी सूचना के किसी भी समय इसमें प्रकाशित नियमों में आवश्यकता के अनुसार शुल्क तथा अन्य नियमों में परिवर्तन कर सकेगा तथा नए नियम जोड़ सकेगा। यदि इन नियमों में परिवर्तन व संशोधन के कारण किसी विद्यार्थी को अथवा किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है या अधिक व्यय करना पड़ता है, तो विश्वविद्यालय इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र उदयपुर रहेगा।

1 जून, 2012

कुलसचिव



इस विश्वविद्यालय की स्थापना अगरत 1962 में मूलतः कृषि विश्वविद्यालय के रूप में हुई। सन् 1962 में ही इसके साथ कृषि के अलावा अन्य संकाय भी जोड़े गए और यह बहु संकायी विश्वविद्यालय बन गया तथा इसका नाम उदयपुर विश्वविद्यालय रखा गया। इस विश्वविद्यालय के विकास में आधुनिक राजरथान के निर्माता दिवंगत श्री मोहनलाल सुखाड़िया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अतः इनकी समृति में सन् 1982 में इसका नामकरण “मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय” किया गया। 1982 से अपने नये रूप में यह विश्वविद्यालय निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। 1987 में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का विभाजन करके महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।

विश्वविद्यालय के संघटक (Constituent) महाविद्यालय निम्नलिखित हैं -

1. विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर
2. विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, उदयपुर
3. विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय, उदयपुर
4. विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय, उदयपुर

वर्तमान में 196 महाविद्यालय/संस्थान इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध (Affiliated) हैं एवं लगभग 1,25,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

---

### **PROPOSED WORKSHOP / SEMINARS / CONFERENCE**

<b>Event</b>	<b>Organisor</b>	<b>Month</b>
MLS Memorial Lecture	Dean Students Welfare	31 July, 2012
AMCAT	Univ. College of Science	September, 2012
Teacher Training Workshop on different techniques of Biotechnology Microbiology	Dept. of Biotechnology & Microbiology	October, 2012
Students Training Workshop on different techniques of Biotechnology and Microbiology	Dept. of Biotechnology & Microbiology	October, 2012
Workshop on Radiation Physics	Dept. of Physics	October, 2012
National Conference in Recent advances in immunohisto-Chemistry Biotechnology	Deptt. of Zoology, Botany	November, 2012
Workshop on Science Communication and Digital Media	Univ. College of Science	November, 2012
Science Fair	Univ. College of Science	November, 2012
National Workshop on X-ray binaries	Deptt. of Physics	November, 2012
National Conference on functional materials	Deptt. of Physics	December, 2012
National Workshop on Advances in Animal Cell Culture	Deptt. of Zoology	January, 2013
National Conference in Recent Advances in Life Sciences	Deptt. of Biotechnology	January, 2013
19th ISCB International Conference on Recent Advances and current Trends in Chemical and Biological Sciences	Deptt. of Chemistry	March, 2013
Legal Services Camp	Law	September, 2012
Extension Lectures of Eminent Professors Supreme Court Judges / High Court Judges	Law	August / December, 2012
National Seminar on Current Legal Issues	Law	January, 2013

**विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर**  
**University College of Science, Udaipur**

Phone: 0294-2413955 Fax: 0294-413955

email: ucs@mlsu.ac.in website: mlsu.ac.in

अधिष्ठाता

प्रो. महीप भटनागर

सहअधिष्ठाता

प्रो. आर. एस. चौहान

सहायक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

डॉ. जी. एस. राठौड़

प्रॉफेसर

डॉ. सुधीश कुमार

कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना

1. डॉ. अनूप सिंह मीणा

2. डॉ. अनुया वर्मा

**— संकाय सदस्य —**

**• वनस्पति विज्ञान विभाग (Department of Botany)**

आचार्य

डॉ. एन. सी. ऐरी

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. एस. डी. पुरोहित

आचार्य

डॉ. कनिका शर्मा

सहायक आचार्य

डॉ. संध्या त्यागी

सहायक आचार्य

डॉ. रोहिणी त्रिवेदी

सहायक आचार्य

श्रीमती जया अरोड़ा

सहायक आचार्य

डॉ. विनीत सोनी

सहायक आचार्य

डॉ. हरीश

**• रसायन शास्त्र विभाग (Department of Chemistry)**

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. ए.के. गोस्वामी

आचार्य

डॉ. आर.एस. चौहान

सह आचार्य

डॉ. पिंकी बाला पंजाबी

सह आचार्य

डॉ. रेखा दशोरा

सह आचार्य

डॉ. अनिता मेहता

सहायक आचार्य

श्रीमती शिखा अग्रवाल

सहायक आचार्य

श्रीमती पूनम खण्डेलवाल

सहायक आचार्य

श्रीमती चेतना आमेटा

सहायक आचार्य  
सहायक आचार्य  
सहायक आचार्य  
सहायक आचार्य  
सहायक आचार्य  
सहायक आचार्य  
सहायक आचार्य

श्री दिनेश पाण्डे  
श्रीमती नीतू कुमारी  
श्री दिनेश कुमार यादव  
श्री नितिन कुमार  
श्री अनूप सिंह मीणा  
श्री प्रभात कुमार बारोलिया  
श्री परमेश्वर लाल मीणा

- पर्यावरण विज्ञान विभाग (Department of Environmental Sciences)**

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. बी.आर. बामनिया

सह आचार्य

डॉ. निधि राय

सहायक आचार्य

डॉ. देवेन्द्र सिंह राठौड़

सहायक आचार्य

डॉ. अनुया वर्मा

- भू-विज्ञान विभाग (Department of Geology)**

आचार्य

डॉ. पी. कटारिया

आचार्य

डॉ. पी.सी. औदिच्य

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. विनोद अग्रवाल

आचार्य

डॉ. एन.के. चौहान

आचार्य

डॉ. टी.के. पण्ड्या

आचार्य

डॉ. हर्ष भू

आचार्य

डॉ. एम.एस. शेखावत

आचार्य

डॉ. एम.एल. नागौरी

सह आचार्य

डॉ. डी. के. नागौरी

सहायक आचार्य

डॉ. सूरजाराम जाखड़ (on leave)

- गणित एवं सांख्यिकी विभाग (Department of Mathematics and Statistics)**

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. वी.एल. मण्डोवरा

आचार्य

डॉ. एम.एस. दुलावत

सह आचार्य

डॉ. जी.एस. राठौड़

सह आचार्य

डॉ. अतुल त्यागी

सहायक आचार्य

सहायक आचार्य

सहायक आचार्य

सहायक आचार्य

- **फार्मेसी विभाग (Department of Pharmacy)**

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

आचार्य

सह आचार्य

सहायक आचार्य

सहायक आचार्य

- **भौतिक विज्ञान विभाग (Department of Physics)**

आचार्य

आचार्य

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

आचार्य

आचार्य

आचार्य

सह आचार्य

सह आचार्य

सह आचार्य

सहायक आचार्य

- **प्राणी विज्ञान विभाग (Department of Zoology)**

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

सह आचार्य

सहायक आचार्य

सहायक आचार्य

सहायक आचार्य

सहायक आचार्य

श्री राकेश्वर पुरोहित

डॉ. सुशील कुमार गांधी

डॉ. अपराजिता कृष्णा

डॉ. अजित कुमार बाबोर

डॉ. पी.के. चौधरी

डॉ. सी.पी. जैन

डॉ. ललित सिंह चौहान

श्रीमती जूही प्रधान

श्रीमती सुनीता पांचावत

डॉ. के. वेनुगोपालन

डॉ. राजेश पाण्डेय

डॉ. बी. एल. आहुजा

डॉ. एस.एन.ए. जाफरी

डॉ. एन. लक्ष्मी

डॉ. एम. राय

डॉ. बी. एम. व्यास

डॉ. के. बी. जोशी

डॉ. सुधीश कुमार

डॉ. एम. एस. ढाका

श्री सुभाष चन्द्र

डॉ. महीप भट्टनागर

डॉ. आरती प्रसाद

श्री एल.एस. रत्नू

डॉ. छाया भट्टनागर

डॉ. रागिनी शर्मा

डॉ. प्रीति सिंह

श्री विजय कुमार कोली

सहायक आचार्य

श्री दीपक रावल

सहायक आचार्य

श्री आशाराम मीणा

**— पाठ्यक्रम (Courses) —****• जैव तकनीकी (Bio-Technology )**

पाठ्यक्रम निदेशक, (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम)

प्रो. कनिका शर्मा

सहायक आचार्य

डॉ. हर्षदा जोशी

**• सूक्ष्म जैविकी (Microbiology)**

पाठ्यक्रम निदेशक

प्रो. महीप भटनागर

**• पोलीमर विज्ञान (Polymer Science)**

सह आचार्य

डॉ. राजेन्द्र माथुर

सहायक आचार्य एवं प्रभारी

डॉ. ज्योति चौधरी

**• आपदा प्रबन्धन (Disaster Management)**

पाठ्यक्रम निदेशक

प्रो. एन. के. चौहान

**• पर्यावरण प्रबन्धन एवं खनन उद्योग (Environment Management & Mining Industries)**

पाठ्यक्रम निदेशक

प्रो. विनोद अग्रवाल

**• जियोइन्फॉरमेटिक्स एवं रिमोट सेन्सिंग (Geoinformatics and remote sensing)**

पाठ्यक्रम निदेशक

प्रो. हर्ष भू

**• सूचना प्रौद्यौगिकी (Information Technology)**

पाठ्यक्रम निदेशक

प्रो. के. वेणुगोपालन

**• औद्योगिक रसायन शास्त्र (Industrial Chemistry)**

पाठ्यक्रम निदेशक (स्नातकोत्तर स्वपोषित पाठ्यक्रम)

प्रो. ए.के. गोस्वामी

**• नेनो टेक्नोलॉजी (Nanotechnology)**

पाठ्यक्रम निदेशक

प्रो. के. वेणुगोपालन

**— केन्द्र (Centre) —****• विश्वविद्यालय वर्कशॉप (University Workshop)**

प्रभारी अधिकारी

श्री हेमन्त भण्डारी

- अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी सन्दर्भ केन्द्र  
समन्वयक सह—समन्वयक प्रो. एस.एन.ए. जाफरी  
डॉ. जी. एस. राठौड़
- प्लेसमेन्ट सेल (Placement Cell)  
अध्यक्ष प्रो. महीप भट्टनागर  
समन्वयक प्रो. कनिका शर्मा
- ऐंगिंग विरोधी एवं अनुशासन समिति (Anti Raging & Discipline Committee)  
समन्वयक प्रो. आर. एस. चौहान

## पाठ्यक्रम एवं योग्यता (Courses and Eligibility)

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्यता, अध्ययन की अवधि एवं कक्षा की प्रवेश क्षमता आदि निम्नानुसार होगी –

### मुख्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक %*	अवधि	कुल प्रवेश सामान्य	क्षमता पैमेन्ट**
<b>• विज्ञान स्नातक (बी.एससी.)</b>					
1. विज्ञान स्नातक	10+2/विज्ञान	50%	तीन वर्ष	400	20 (कम्प्यूटर साइंस) 20 (बायो ग्रुप)
2. भैषजिक विज्ञान	10+2/विज्ञान (प्री.फार्मसी टेस्ट)	पी.पी.टी. द्वारा निर्धारित	चार वर्ष	40	–
3. विज्ञान स्नातक (भू-विज्ञान अतिरिक्त) (प्रवेश परीक्षा द्वारा)	विज्ञान स्नातक (केवल सुखाड़िया विश्वविद्यालय छात्रों हेतु)	50%	एक वर्ष	20	–
<b>• विज्ञान निष्णात (एम.एससी.) सेमेस्टर प्रणाली</b>					
1. वनस्पति विज्ञान	विज्ञान स्नातक	50% (ऐच्छिक विषय)	4 सेमेस्टर	25	10
2. रसायन विज्ञान	विज्ञान स्नातक	50% (ऐच्छिक विषय)	"	30	10
3. भौतिक विज्ञान	विज्ञान स्नातक	50% (ऐच्छिक विषय)	"	25	10

4. प्राणी विज्ञान	विज्ञान स्नातक	50% (ऐच्छिक विषय)	“	25	10
5. भू-विज्ञान	विज्ञान स्नातक	50% (ऐच्छिक विषय)	“	15	10
6. कला/विज्ञान गणित	कला/विज्ञान स्नातक	50% (ऐच्छिक विषय)	“	50	10
7. कला/विज्ञान सांख्यिकी	कला/विज्ञान स्नातक	50% (ऐच्छिक विषय)	“	25	5
8. प्रौद्योगिकी-व्यावहारिक भू-विज्ञान	भू-विज्ञान स्नातकोत्तर	50% (भू-विज्ञान)	“	10	5
9. पर्यावरण विज्ञान	विज्ञान स्नातक (कृषि विज्ञान को छोड़कर)	50% (ऐच्छिक विषय)	“	10	10
10. जैव तकनीकी	विज्ञान स्नातक*	50%	“	08	12
11. पोलीमर विज्ञान	विज्ञान स्नातक	50%	“	10	10
12. कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम. सी. ए.)	स्नातक राज्य स्तरीय परीक्षा द्वारा निर्धारित	50%	6 सेमेस्टर	30	30

\* किन्हीं दो विषयों में – 1. रसायन विज्ञान, 2. प्राणी विज्ञान, 3. वनस्पति विज्ञान, 4. पर्यावरण विज्ञान/पर्यावरण जैविकी, 5. सूक्ष्म जीव विज्ञान, 6. जैव विज्ञान, 7. जैव तकनीक या जैव तकनीकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान आनुवांशिकी/ जैव रसायन के स्नातक

\*\* पेमेन्ट सीट के लिए अतिरिक्त शुल्क देय होगा। अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/  
अधिष्ठाता/पाठ्यक्रम समन्वयक से सम्पर्क करें।

## Core Courses (Full Time)

S. No	Course	Eligibility	* Required Marks %	Duration	Total Seats	Gen.	Payment**
<b>● Bachelor of Science (B.Sc.)</b>							
1.	B.Sc.	10+2 (Science)	50%	3 Years	400	20 (Comp. Sc.)	
						20 (Bio. Group)	
2.	B.Pharma	10+2 (Science)	As specified by P.P.T.	4 Years	40	-	
3.	B.Sc.	B.Sc. (Additional Geology)	50%	1 Year	20	-	
<b>● Master of Science (M.Sc.) Semester System</b>							
1.	Botany	B.Sc.	50%	4 Sem.	25	10	
2.	Chemistry	B.Sc.	50%	4 Sem.	30	10	
3.	Environmental Science	B.Sc.	50%	4 Sem.	10	10	
4.	Geology	B.Sc.	50%	4 Sem.	15	10	
5.	Mathematics	B.Sc. (Arts/Sc.)	50%	4 Sem.	50	10	
6.	Physics	B.Sc.	50%	4 Sem.	25	10	
7.	Statistics	B.Sc. (Arts/Sc.)	50%	4 Sem.	25	05	
8.	Zoology	B.Sc.	50%	4 Sem.	25	10	
9.	M.Sc. Tech	M.Sc. (Geology) (Applied Geology)	50%	4 Sem.	10	05	
10.	Biotechnology	B.Sc.*	50%	4 Sem.	08	12	
11.	Polymer Sci.	B.Sc. (Geology)	50%	4 Sem.	10	10	
12.	Computer Application	Graduate (MCA)	50% As Specified by state level entrance test.	6 Sem.	30	30	

\* In any two subjects - Chemistry, Botany, Zoology, Environment Science/Environmental Technology, Microbiology, Genetics, Biotechnology/Microbial Genetics/Biochemistry Graduate

\*\* Additional fee (other than college fee) will be charged for payment seats. For details contact respective departmental Head/Dean / Course Coordinator.

## स्वित पोषित मुख्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक%*	अवधि	कुल प्रवेश क्षमता	शुल्क
<b>• स्नातक पाठ्यक्रम</b>					
1. विज्ञान स्नातक (जैव तकनीकी)	पूर्व स्नातक विज्ञान (बायो ग्रुप)	50%	तीन वर्ष	60	रु. 25000/प्रतिवर्ष + स्थानीय शुल्क
2. बी.सी.ए. (सेमेस्टर प्रणाली)	10+2 इन्टर विज्ञान	50%	6 सेमेस्टर	60	रु. 22000/प्र.वर्ष + स्थानीय शुल्क
3. बी.सी.ए. (वार्षिक)	10+2	50%	3 वर्ष	60	रु. 20000/प्र.वर्ष + स्थानीय शुल्क
<b>• स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम</b>					
1. सूचना प्रौद्योगिकी	गणित विषय सहित विज्ञान स्नातक/बी.सी.ए.	50%	4 सेमेस्टर	20	20000/सेमेस्टर+ स्थानीय शुल्क
2. कम्प्यूटर विज्ञान	कम्प्यूटर विज्ञान विषय सहित विज्ञान स्नातक	50%	4 सेमेस्टर	20	18000/सेमेस्टर
3. औद्योगिक रसायन शास्त्र	विज्ञान स्नातक (रसायन शास्त्र सहित) एवं बी.फार्मा स्नातक	50%	" "	20	रु. 20000/- प्रति सेमेस्टर + महाविद्यालय शुल्क प्रतिवर्ष
4. भू सूचनातंत्र एवं सुदूर संवेदन विज्ञान	विज्ञान स्नातक ऐच्छिक	50%	" "	20	रु. 15000/- (स्व. वि. पो.) प्रति सेमेस्टर 5 रु. 20000/- (प्रायोजक) प्रति सेमेस्टर
5. सूक्ष्म जीव विज्ञान	विज्ञान स्नातक (प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव तकनीक, सूक्ष्म जीव विज्ञान)	50% ऐच्छिक	" "	20	25000/- प्रति सेमेस्टर + स्थानीय शुल्क
<b>• स्नातकोत्तर डिप्लोमा</b>					
1. कम्प्यूटर एप्लीकेशन	कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक	50%	2 सेमेस्टर	30	रु.18000/- प्रति सेमेस्टर

2.	बीजनेस कम्प्यूटिंग	कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक	50%	2 सेमेस्टर	30	रु. 18000/- प्रति सेमेस्टर
3.	खनन एवं उद्योग में पर्यावरण प्रबन्धन	स्नातक	50%	1 वर्ष (अंशकालीन)		रु. 9000/-
4.	आपदा प्रबन्धन	विज्ञान स्नातक	50%	1 वर्ष (अंशकालीन)		रु. 9000/-प्रतिवर्ष
5.	इलेक्ट्रॉनिकी यंत्रीकरण					

### टिप्पणी :

- (i) 10+2 कृषि संकाय (विषयों) से उत्तीर्ण छात्रों को प्रथम वर्ष विज्ञान में प्रवेश हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।
- (ii) स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) विज्ञान संकाय में सभी प्रवेश, प्रवेश टेस्ट परीक्षा के उपरान्त 50 प्रतिशत प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक एवं 50 प्रतिशत स्नातक परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के केवल सैद्धान्तिक परीक्षा (प्रायोगिक को छोड़कर) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।
- (iii) 10+2 एग्रीकल्चर/होर्टिकल्चर/बायोटेक्नोलॉजी के साथ रसायन शास्त्र विषय का अध्ययन किया विद्यार्थी बी.एससी. बायोटेक्नोलॉजी में प्रवेश के पात्र होंगे।
- (iv) विज्ञान निष्णात भूविज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान में सेमेस्टर प्रणाली संघटक महाविद्यालय में लागू की गई है।
- \* अजा, जजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम में प्रवेश।
- \*\* कॉलम संख्या (6) में दी गई प्रवेश क्षमता की संख्या स्ववित्तपोषित सीट है।

## Self Finance Courses (Full Time)

S. No	Course	Eligibility	* Minimum Required	Duration	Total Seats	
			Marks %		Gen.	Self Finance
<b>• Bachelor of Science</b>						
1.	Biotechnology	Graduate (Sc.) (Bio group)	50%	3 Years	60	Rs. 25000/- P.A. + L.F.
2.	B.C.A.	10+2 (Semester Scheme)	50%	6 Sem.	60	Rs. 22000/- Per Year + L.F.
3.	B.C.A.	10+2 (Annual)	50%	3 Years	60	Rs. 20000/- Per Year + L.F.
<b>• Master of Science (Semester Scheme)</b>						
1.	Information Technology	B.Sc. with Maths/BCA	50%	4 Sem.	20	Rs.20000/- Per Sem. + L.F.
2.	Computer Science	B.Sc. with Computer Science	50%	4 Sem.	20	Rs. 18000/- Per Semester
3.	Industrial Chemistry	B.Sc. in Chemistry	50%	4 Sem.	20	Rs.20000/ Per Sem. +College Fee (p.a)
4.	Geo-Informatics & Remote Sensing	B.Sc. (Optional)	50%	4 Sem.	20	Rs. 15000/- (S.F.) Per Sem.
				5		Rs. 20000/- (Spon.) Per Sem.
5.	Microbiology	B.Sc. (Zoology, Botany, Biology, Life Sc., Bio-Tech., Microbiology	50%	4 Sem.	20	25000/- Per Sem. + Local Fund
<b>• Post Graduate Diploma</b>						
1.	Computer Application	Graduate with Computer Science		2 Sem.	30	18000/- per Sem.
2.	Business Computing	Graduate with Computer Science		2 Sem.	30	-do-

3.	Environmental Mgt. in Mining and Industries	Graduate	50%	1 Year (Part Time)	Rs.9,000 Rs.10,000 for Sponsored Candidate
4.	Disaster Management	B.Sc.	50%	1 Year (Part Time)	Rs. 9,000 p.a.
5.	P.G. Diploma in Electronic Instrumentation				

## ADD - ON COURSES

Students admitted to various UG and PG courses of the University can offer one add-on Diploma/Certificate courses in a session to acquire additional professional competency in specified areas of their interest. Course content of Add-on Diploma will be approximately equivalent to that of One Paper in UG/PG (80 hrs - 120 hrs). Depending upon the basic qualifications and courses to which they have been admitted, students can choose from following courses.

### Add on Courses

Course	* Eligibility	Duration	Seats	Normal Fee
<b>OFFERED BY : INFORMATION TECHNOLOGY &amp; COMPUTER APPLICATIONS</b>				
<b>DIPLOMA COURSES (Part Time)</b>				
• Visual Basic Net	10+2	1 Year	30	Rs.2500/-
• Microsoft. Net Framework	10+2	1 Year	30	Rs.2500/-
• Web Data Base Development	10+2	1 Year	30	Rs.2500/-
• Web Site Design	10+2	1 Year	30	Rs.2500/-
• Data Mining	Graduate in Science	1 Year	30	Rs.3000/-
• Computational Methods in Bioinformatics	Regular Students of Life Sciences, Bioinformatics	1 Year	30	Rs.2500/-
• Modern Education Technologies	Graduate with B.Ed. or Post Graduate with 50%	1 Year	30	Rs.2500/-
• Network Design and Installation	Graduate in Science with 50% or Students of UG or PG Courses in Computer / Engineering	1 Year	30	Rs.3500/-

• Linux Operating Computer Network Administration and Management	Graduate in Science with 50% or Students of UG or PG Courses in Computer/Engineering	1 Year	30	Rs.3500/-
--	--	--------	----	-----------

### CERTIFICATE COURSES (OPEN TO ALL) (PART TIME)

Office Automation & E-Governance	10+2	1 Year	30	Rs.3000/-
ICT & Research Methodologies (for Ph.D. Students)	Post Graduate with 55%	1 Year	30	Rs.3000/-

### OFFERED BY : DEPARTMENT OF PHYSICS

• Diploma in Nanotechnology	1 Year	Rs.2500/-
• Diploma in Biophysical Instrumentation & Measurement Techniques	1 Year	Rs.2500/-
• Diploma in Astronomy	1 Year	Rs. 2500/-

Add-On Diploma Courses will be offered only if number of students admitted is at least 50% of the seats. Regular students from constituent colleges will be given a fee concession of Rs.500/-. Candidates who are interested to Add-On Course may contact office of the University Computer Centre, Vigyan Bhawan / [www.mlsu.ac.in](http://www.mlsu.ac.in) for admission forms & details.

### ADD-ON COURSE (Offered by Department of Zoology)

Advance Diploma in Clinical Laboratory Techniques (ADCLT) is offered as an Add-on Course for regular students admitted to I Year B.Sc. Course of M.L. Sukhadia University. Candidate who have passed 10+2 Examination with Physics, Chemistry and Biology from Board of Rajasthan/ CBSE or equivalent. Total Number of seats will be 20. Admission will be made purely on the basis of merit. Reservations for SC/ST and OBC will be made as per University Rules.

\* अजा, जजा एवं अन्य पिछळा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम से प्रवेश।

नोट : पूर्णकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों के साथ प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

**— विद्यावाचस्पति (Ph.D.) —**

विद्यावाचस्पति की उपाधि के लिए शोध-कार्य हेतु विद्यार्थियों को निम्न विभागों में सुविधाएँ उपलब्ध हैं—

- |                       |                  |                         |
|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 1. वनस्पति विज्ञान    | 2. रसायन विज्ञान | 3. गणित                 |
| 4. सांख्यिकी          | 5. भौतिक विज्ञान | 6. प्राणी विज्ञान       |
| 7. भू-विज्ञान         | 8. फार्मसी       | 9. पर्यावरण विज्ञान     |
| 10. जैव तकनीकी        | 11. पोलीमर साइंस | 12. सूक्ष्म जीव विज्ञान |
| 13. कम्प्यूटर विज्ञान |                  |                         |

**— Doctor of Philosophy (Ph.D.) —**

Research facilities for Ph.D. Degree is available in following departments.

- |                      |                     |                           |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| 1. Botany            | 2. Chemistry        | 3. Mathematics            |
| 4. Statistics        | 5. Physics          | 6. Zoology                |
| 7. Geology           | 8. Pharmacy         | 9. Environmental Sciences |
| 10. Biotechnology    | 11. Polymer Science | 12. Microbiology          |
| 13. Computer Science |                     |                           |

**Note :** Admission to Ph.D. programme will be on the basis of university entrance test followed by personal interview conducted by respective departments. All candidates admitted to Ph.D. programme will be required to complete One Semester course work. Details are available on University website/ Dean P.G. Office.

**विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय**  
**University College of Commerce & Management Studies**

Tel.: 0294-2411408, 2423020      Fax : 0294-2411408, 2423020  
E-mail : uccms@mlsu.ac.in      Website : www.mlsu.ac.in

अधिष्ठाता  
सहायक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण  
प्रॉफेटर  
कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रो. डी. एस. चुण्डावत  
डॉ. मंजू बाघमार  
डॉ. ओ. पी. जैन  
1. डॉ. बी. एल. वर्मा  
2. डॉ. शिल्पा वर्डिया

**संकाय सदस्य**

**लेखाशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग (Department of Accountancy and Statistics)**

आचार्य	डॉ. जी. सोरल
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	डॉ. सी.एम. जैन
सह आचार्य	डॉ. बी.एल. हेड़ा
सह आचार्य	डॉ. शूरवीर सिंह भानावत
सहायक आचार्य	डॉ. ओ.पी. जैन
सहायक आचार्य	डॉ. शिल्पा वर्डिया
सहायक आचार्य	डॉ. मुकेश वर्मा

**ब्यवसाय प्रशासन विभाग (Department of Business Administration)**

आचार्य	डॉ. कैलाश सोडाणी
आचार्य	डॉ. डी.एस. चुण्डावत
आचार्य	डॉ. विजय श्रीमाली
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	डॉ. राजेश्वरी नरेन्द्रन
सह आचार्य	डॉ. शिशुपाल सिंह भादू (प्रतिनियुक्त पर)
सह आचार्य	डॉ. मंजू बाघमार
सह आचार्य	डॉ. बाबूलाल वर्मा

**बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग (Department of Banking and Business Economics)**

आचार्य	डॉ. आई.वी. त्रिवेदी
आचार्य	डॉ. रेणु जटाना
आचार्य	डॉ. पी.के. सिंह
आचार्य	डॉ. मुकेश माथुर
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	डॉ. अशोक नागर

## मुख्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

क्र. पाठ्यक्रम सं.	पात्रता	*अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक %	अवधि	प्रवेश क्षमता
<b>● वाणिज्य स्नातक (बी.कॉम.)</b>				
1. बी.कॉम.	10+2/कला/विज्ञान/वाणिज्य	48%	तीन वर्ष	120
<b>● वाणिज्य निष्णात (एम.कॉम.) सेमेस्टर प्रणाली</b>				
1. लेखा एवं सांख्यिकी	बी.कॉम./बी.बी.एम.	48%	4 सेमेस्टर	50
2. व्यवसाय प्रशासन	किसी भी संकाय में स्नातक	48%	4 सेमेस्टर	50
3. बैंकिंग एवं व्यावसायिक किसी भी संकाय में स्नातक अर्थशास्त्र		48%	4 सेमेस्टर	50
<b>● मास्टर ऑफ फिलोसोफी (एम.फिल.)</b>				
1. लेखा एवं सांख्यिकी	एम.कॉम. (लेखा एवं सांख्यिकी)	55%**	3 सेमेस्टर	5+2
2. व्यवसाय प्रशासन	एम.कॉम. (व्यवसाय प्रशासन)	55%**	3 सेमेस्टर	5+2
3. बैंकिंग एवं व्यावसायिक एम.कॉम. अर्थशास्त्र	(बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र)	55%**	3 सेमेस्टर	5+2
<b>● विद्यावाचस्पति (पीएच.डी.)</b>				
1. विद्यावाचस्पति	एम.कॉम./एम.बी.ए./ एम.एच.आर.एम./एम.आई.बी./ एम.आर.एम./एम.एफ.सी./ एम.बी.आई./वाणिज्य में स्नातकोत्तर	55%**	दो वर्ष (न्यूनतम) निर्देशकों की उपलब्धता के आधार पर	शोध

## Core Courses (Full Time)

S. No	Course	Eligibility	* Required	Minimum Marks	Duration	Seats
				%		
<b>● Bachelor of Commerce (B.Com.)</b>						
1.	B.Com.	10+2 (Arts/Science/Commerce)		48%	3 Years	120
<b>● Master of Commerce (M.Com.)</b>						
1.	Accountancy & Statistics	B.Com/B.B.M.		48%	4 Semester	50
2.	Business Administration	Graduate in any Discipline		48%	" "	50
3.	Banking & Business Economics	Graduate in any Discipline		48%	" "	50
<b>● Master of Philosophy (M. Phil)</b>						
1.	Accountancy & Statistics	M.Com. (Accountancy & Statistics)		55%**	3 Semester	5+2
2.	Business Administration	M.Com. (Business Administration)		55%**	" "	5+2
3.	Banking & Business Economics	M.Com. (Banking & Business Economics)		55%**	" "	5+2
<b>● Doctor of Philosophy (Ph. D.)</b>						
1.	Ph. D.	M.Com./MHRM/MIB/MRM/MBI/MFC/MBA or PG in Faculty of Commerce		55%**	2 Years Availability (Minimum)of Research Guide	

**Note :** Admission to Ph.D. programme will be on the basis of university entrance test followed by personal interview conducted by respective departments. All candidates admitted to Ph.D. programme will be required to complete one Semester course work. Details are available on University website/Dean P.G. Office.

\* अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछङ्गा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम से प्रवेश।

\*\* अजा व जजा हेतु 50 प्रतिशत अंक पर (एम.फिल. व विद्यावाचस्पति हेतु)।

## Self Finance Courses

S. No	Course	Eligibility	* Required	Minimum Duration	Seats	Fees
			Marks			
<b>● Bachelor of Commerce</b>						
1.	B.Com.	10+2 Arts/Science/ Commerce	48%	3 Years	120	7000 + L.F.
2.	B.B.M.	10+2 in any Discipline (Enterance Test)	48%	3 Years	50+10	15000 Pay. Seat 30000 NRI Seat 45000
3.	B.T.M.	10+2 in any Discipline (Enterance Test)	45%	3 Years	40+10	15000 Pay. Seat 30000 NRI Seat 45000

Note : NRI Candidates are extempted from enterance Test.

**● Master of Commerce (M. Com.)**

1.	Master of International Business (MIB)	Graduate in any dicipline	48%	4 Semester	30+30	15000
2.	Master of Human Resource Management (MHRM)	" "	48%	" "	30+10	15000 NRI Seat Part-I 60000 Part-II 15000
3.	Master of Banking & Insurance (MBI)	" "	48%	4 Semester	30+5	15000
4.	Master of Finance & Control (MFC)	" "	48%	" "	30+5	15000
5.	Master of Retail Mangement (MRM)	" "	48%	" "	30+5	15000

**Note :** Admission will be given in above P.G. self finance courses through enterance test / merit base.

**● Part Time Post Graduate Diploma**

1.	Cost & Management Accounting	Graduate in any dicipline	48%	1 Years	30+5	9000
----	---------------------------------	------------------------------	-----	---------	------	------

2.	Taxation	" "	48%	1 Years	30+5	9000
3.	International Business	" "	48%	1 Years	30+5	9000
4.	Entreprenuership Development	" "	48%	1 Years	30+5	9000
5.	E-Banking	" "	45%	1 Years	30+5	9000
		—		—	Payment Seat	16000

● **Add-on Course**

1.	Practical Financial/ Accounting	Optional (As additional Subject for Regular Students)	1000
----	---------------------------------	---	------

### पाठ्यक्रम निदेशक : स्व-वित्त पोषित

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	निदेशक
1.	बी. कॉम	अधिष्ठाता
2.	बी.बी.एम.	अधिष्ठाता
3.	बी.टी.एम.	अधिष्ठाता
4.	मास्टर ऑफ फाइनेंस एण्ड कंट्रोल (M.F.C.)	प्रो. जी. सोरल
5.	मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मेनेजमेन्ट (M.H.R.M.)	प्रो. डी.एस. चुण्डावत
6.	मास्टर ऑफ बैंकिंग एण्ड इंश्योरेन्स (M.B.I.)	प्रो. पी.के. सिंह
7.	मास्टर ऑफ इन्टरनेशनल बिजनेस (M.I.B.)	प्रो. रेणु जटाना
8.	पी.जी. डिप्लोमा इन टेक्सेशन (P.G.D.T.)	प्रो. सी.एम. जैन
9.	पी.जी. डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस (P.G.D.I.B.)	प्रो. अशोक नागर
10.	एड—ऑन पाठ्यक्रम : प्रेक्टिकल फाइनेन्शियल अकाउन्टिंग	डॉ. बी.एल. हेडा

**नोट :-** इन पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी हेतु विद्यार्थी सम्बन्धित पाठ्यक्रम निदेशक से सम्पर्क करें।

## प्रबन्ध अध्ययन संकाय

### (Faculty of Management Studies)

निदेशक

प्रो. पी. के. जैन

कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना

डॉ. मीशा माथुर

#### संकाय सदस्य (Faculty Members)

आचार्य

डॉ. पी. के. जैन

आचार्य

डॉ. करुणेश सक्सेना

सह आचार्य

डॉ. अनिल कुमार कोठारी

सह आचार्य

डॉ. हनुमान प्रसाद

सह आचार्य

डॉ. मीरा माथुर

सह आचार्य (होटल प्रबन्ध)

डॉ. अशोक सिंह राठौड़

#### Core Courses (Full Time)

S. No	Course	Eligibility	* Required	Minimum Marks	Duration	Seats	Fees
<b>● Post Graduate Course</b>							
1.	M.B.A.	Graduate in any discipline	50%	4 Semester	60		
2.	Master in Tourism Management (M.T.M.)	Graduate in any discipline Management (M.T.M.)	48%	" "	33 (30 Seat) 15000 @ Year (3 Seat) U.S. \$ 1100 OR Equivalent to Indian Currency		
<b>● Doctor of Philosophy</b>							
1.	Ph. D.	M.B.A. or Master in Related Subject	55%	2 Years (Min.)	Availability of Research Guide		

## Self Finance Core Course (Full Time)

S. No	Course	Eligibility	* Required	Minimum Duration	Seats	Fees
			Marks			
1.	M.B.A. (Financial Services Management)	Graduate in any discipline (10+2+3)	50%**	4 Semester	60 (51 Seat) (9 Seat)	75000 @ Year U.S. \$ 4500 or Equivalent to Indian Currency

\* ए.आई.सी.टी.ई. भारत सरकार एवं आरमेट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता एवं आरक्षण नीति के अनुसार।

\*\* विश्वविद्यालय की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के विद्यार्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

### पाठ्यक्रम समन्वयक

एम.बी.ए. फाइनेन्सियल सर्विसेज मैनेजमेन्ट

—

डॉ. अनिल कोठारी

# विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, उदयपुर

## University College of Social Sciences and Humanities, Udaipur

Tel.: 0294-2470143

E-mail : ucssh@mlsu.ac.in

Fax : 2470143

Website : www.mlsu.ac.in

अधिष्ठाता

प्रो. शरद श्रीवास्तव

सह-अधिष्ठाता

प्रो. एन. एस. राठौड़

सहायक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

डॉ. जी. एस. कुम्पावत

प्रॉफेटर

डॉ. अरुण प्रभा चौधरी

कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रो. नफीसा हातमी

डॉ. धर्मवीर वशिष्ठ

— संकाय सदस्य —

### मानविकी संकाय

#### अंग्रेजी विभाग (Department of English)

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. शरद श्रीवास्तव

आचार्य

डॉ. नफीसा हातमी

आचार्य

डॉ. सीमा मलिक

आचार्य

डॉ. प्रदीप त्रिखा

सह आचार्य

डॉ. मीनाक्षी जैन

सहायक आचार्य

श्री खुशपाल गर्ग

#### हिन्दी विभाग (Department of Hindi)

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. माधव सिंह हाड़ा

सहायक आचार्य

डॉ. नीतू परिहार

सहायक आचार्य

डॉ. नवीन कुमार नंदवाना

सहायक आचार्य

डॉ. आशीष सिसोदिया

सहायक आचार्य

डॉ. राजकुमार व्यास

सहायक आचार्य

डॉ. नीता त्रिवेदी

#### इतिहास विभाग (Department of History)

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. मीना गौड़

सह आचार्य

डॉ. दिग्विजय भटनागर

सह आचार्य

डॉ. प्रतिभा

सहायक आचार्य

श्री पीयूष भाद्रविया

**संगीत विभाग (Department of Music)**

— — —

**दर्शनशास्त्र विभाग (Department of Philosophy)**

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. निर्मला जैन

सह आचार्य

डॉ. सुधा चौधरी

**जैनविद्या एवं प्राकृत विभाग (Department of Jainology & Prakrit)**

सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. जितेन्द्र कुमार जैन

सहायक आचार्य

डॉ. ज्योति बाबू जैन

**राजस्थानी विभाग (Department of Rajasthani)**

सहायक आचार्य एवं प्रभारी

डॉ. सुरेश सालवी

**संस्कृत विभाग (Department of Sanskrit)**

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. नीरज शर्मा

सह आचार्य

डॉ. अंजना पालीवाल

सहायक आचार्य

श्री गट्टूलाल पाटीदार

**उर्दू विभाग (Department of Urdu)**

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. मोहम्मद फारूख

सह आचार्य

डॉ. हदीस अंसारी

सहायक आचार्य

डॉ. रईस अहमद

**दृश्यकला विभाग (Department of Visual Arts)**

आचार्य

डॉ. हेमन्त द्विवेदी

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. मदनसिंह राठौड़

सह आचार्य

डॉ. डी.वी. वशिष्ठ

सहायक आचार्य

श्री शाहिद परवेज

**सामाजिक विज्ञान संकाय****अर्थशास्त्र विभाग (Department of Economics)**

आचार्य

डॉ. अंजू कोहली

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. फरीदा शाह

सह आचार्य

डॉ. अरुण प्रभा चौधरी

सहायक आचार्य

डॉ. नेहा पालीवाल

सहायक आचार्य

डॉ. दीपा सोनी

### **भूगोल विभाग (Department of Geography)**

आचार्य

डॉ. हेमलता जोशी (अवकाश पर)

आचार्य

डॉ. एल.सी. खत्री

आचार्य

डॉ. साधना कोठारी

आचार्य

डॉ. एन.एस. राठौड़

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. इशाक मोहम्मद कायमखानी

आचार्य

डॉ. पी. आर. व्यास

### **पुस्तकालय विज्ञान विभाग (Department of Library Science)**

सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. टी.डी. तिलवानी

सहायक आचार्य

श्री राम पाण्डेय

### **राजनीति विज्ञान विभाग (Department of Political Science)**

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. संजय लोढ़ा

सह आचार्य

डॉ. जी.एस. कुम्पावत

### **मनोविज्ञान विभाग (Department of Psychology)**

सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. कल्पना जैन

सहायक आचार्य

श्री तरुण कुमार शर्मा

सहायक आचार्य

सुश्री विश्वा चौधरी

### **लोक-प्रशासन (Public Administration)**

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. सी.आर. सुथार

आचार्य

डॉ. सुरेन्द्र कुमार कटारिया

सहायक आचार्य

श्री गिरिराज सिंह चौहान

### **समाजशास्त्र विभाग (Department of Sociology)**

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. बलबीर सिंह

आचार्य

डॉ. मोनिका नागौरी

आचार्य

डॉ. पूरणमल यादव

सहायक आचार्य

डॉ. राजु सिंह

सहायक आचार्य

डॉ. सुमित्रा शर्मा

सहायक आचार्य

संगीता अठवाल

• अन्य पाठ्यक्रम एवं केन्द्र

स्नातकोत्तर पत्रकारिता डिप्लोमा पाठ्यक्रम (P.G. Diploma in Journalism)

सहायक आचार्य एवं प्रभारी

डॉ. कुंजन आचार्य

भाषा प्रयोगशाला (Language Laboratory)

मानद निदेशक

प्रो. शरद श्रीवास्तव

जनसंख्या अध्ययन में डिप्लोमा एवं प्रमाण—पत्र पाठ्यक्रम

निदेशक

डॉ. बलवीर सिंह

विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र प्रो. एन. एस. राठौड़

कम्प्यूटर एप्लिकेशन केन्द्र

प्रो. शरद श्रीवास्तव

## मुख्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

1. पाठ्यक्रम

2. प्रवेश पात्रता

3\* अर्हक परीक्षा

में न्यूनतम  
आवश्यक  
प्राप्तांक

4. अवधि

5. निर्धारित  
प्रवेश  
संख्या

### ● कला स्नातक (B.A.)

1. कला स्नातक	10+2(कला/विज्ञान/वाणिज्य)	48%	तीन वर्ष	400
2. ऑनर्स स्नातक	„	50%	तीन वर्ष	
संस्कृत	„	„	„	60
राजनीति शास्त्र	„	„	„	60
अर्थशास्त्र	„	„	„	60
अंग्रेजी	„	„	„	60
इतिहास	„	„	„	60
समाजशास्त्र	„	„	„	60
3. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	स्नातक कला/विज्ञान/वाणिज्य	45%	एक वर्ष	
		50 सामान्य सीट	रु. 6000/-	
		5 पेमेन्ट सीट	12,000/-	
		प्र.व.+स्थानीय	शुल्क	

### ● कला निष्णात (M.A.)

1. चित्रकला	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	12
2. अर्थशास्त्र	„ „	48%	„ „	40
3. अंग्रेजी साहित्य	„ „	48%	„ „	40
4. भूगोल	„ „	48%	„ „	40
5. हिन्दी साहित्य	„ „	48%	„ „	40
6. इतिहास	„ „	48%	„ „	40
7. दर्शनशास्त्र	„ „	48%	„ „	40
8. राजनीति विज्ञान	„ „	48%	„ „	40
9. प्राकृत साहित्य	„ „	48%	„ „	40
10. मनोविज्ञान	„ „	48%	„ „	20
11. लोक प्रशासन	„ „	48%	„ „	40
12. राजस्थानी साहित्य	„ „	48%	„ „	40

13. संस्कृत साहित्य	„ „	48%	„ „	40
14. समाजशास्त्र	„ „	48%	„ „	40
15. उर्दू साहित्य	„ „	48%	„ „	40

नोट :- स्नातकोत्तर (एम.ए.) के सभी विषय ऐच्छिक हैं।

#### ● एम. फिल. (M.Phil.)

1. अर्थशास्त्र	कला निष्णात (अर्थशास्त्र)	55%**	3 सेमेस्टर	***
2. अंग्रेजी साहित्य	कला निष्णात (अंग्रेजी)	55%**	„ „	***
3. भूगोल	कला निष्णात (भूगोल)	55%**	„ „	***
4. हिन्दी साहित्य	कला निष्णात (हिन्दी)	55%**	„ „	***
5. इतिहास	कला निष्णात (इतिहास)	55%**	„ „	***
6. दर्शनशास्त्र	कला निष्णात (दर्शनशास्त्र)	55%**	„ „	***
7. राजनीति विज्ञान	कला निष्णात (राज. विज्ञान)	55%**	„ „	***
8. प्राकृत साहित्य	कला निष्णात (प्राकृत)	55%**	„ „	***
9. मनोविज्ञान	कला निष्णात (मनोविज्ञान)	55%**	„ „	***
10. राजस्थानी	कला निष्णात (राजस्थानी)	55%**	„ „	***
11. संस्कृत साहित्य	कला निष्णात (संस्कृत)	55%**	„ „	***
12. समाजशास्त्र	कला निष्णात (समाजशास्त्र)	55%**	„ „	***
13. उर्दू साहित्य	कला निष्णात (उर्दू)	55%**	„ „	***

#### ● विद्यावाचस्पति (Ph.D.)

1. विद्यावाचस्पति	एम.ए.	55%**	दो वर्ष न्यूनतम
(शोध निर्देशकों की उपलब्धता के आधार पर)			

\* अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम से प्रवेश।

\*\* एम.फिल. व विद्यावाचस्पति में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं शारीरिक विकलांग हेतु 50% अंक।

\*\*\* प्रति संकाय सदस्य तीन छात्र।

## Core Courses (Full Time)

S. No	Course	Eligibility	* Required	Minimum Marks	Duration	Seats
<b>● Bachelor of Arts (B.A.)</b>						
1.	B.A.	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce		48%	3 Years	400
2.	B.A. Honours	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce		50%	3 Years	
	Sanskrit	"		"	"	60
	Economics	"		"	"	60
	English	"		"	"	60
	History	"		"	"	60
	Sociology	"		"	"	60
3.	B.Lib.& Inf. Sc.	Graduate /Arts/Science/Commerce		45%	1 Years	
					50 General Seat Rs. 6000/-	
					05 Payment Seat Rs. 12000/-	
					Per Year + Local Fund	
<b>● Master of Arts (M.A.) Semester Scheme</b>						
1.	Drawing	Graduate (10+2+3)		48%	4 Semester	40
2.	Economics	Graduate (10+2+3)		48%	" "	40
3.	English Literature	Graduate (10+2+3)		48%	" "	40
4.	Geography	Graduate (10+2+3)		48%	" "	40
5.	Hindi Literature	Graduate (10+2+3)		48%	" "	40
6.	History	Graduate (10+2+3)		48%	" "	40
7.	Philosophy	Graduate (10+2+3)		48%	" "	40
8.	Political Science	Graduate (10+2+3)		48%	" "	40
9.	Prakrit Literature	Graduate (10+2+3)		48%	" "	40
10.	Psychology	Graduate (10+2+3)		48%	" "	40

11. Public Adm.	Graduate (10+2+3)	48%	" "	40
12. Rajasthani Lit.	Graduate (10+2+3)	48%	" "	40
13. Sanskrit Literature	Graduate (10+2+3)	48%	" "	40
14. Sociology	Graduate (10+2+3)	48%	" "	40
15. Urdu Literature	Graduate (10+2+3)	48%	" "	40

**Note : The subject of M.A. is optional subject.**

● **M. Phil (Semester Scheme)**

1. Economics	M.A. (Economics)	55%**	3 Semester	***
2. English Literature	M.A. (English)	55%**	" "	***
3. Geography	M.A. (Geography)	55%**	" "	***
4. Hindi Literature	M.A. (Hindi)	55%**	" "	***
5. History	M.A. (History)	55%**	" "	***
6. Philosophy	M.A. (Philosophy)	55%**	" "	***
7. Political Science	M.A. (Political Sci.)	55%**	" "	***
8. Prakrit Literature	M.A. (Prakrit)	55%**	" "	***
9. Psychology	M.A. (Psychology)	55%**	" "	***
10. Rajasthani	M.A. (Rajasthani)	55%**	" "	***
11. Sanskrit Literature	M.A. (Sanskrit)	55%**	" "	***
12. Sociology	M.A. (Sociology)	55%**	" "	***
13. Urdu Literature	M.A. (Urdu)	55%**	" "	***

● **Ph.D.**

1. Ph.D.	M.A.	55%**	2 Year (Minimum)
----------	------	-------	------------------

**Note :** Admission to Ph.D. programme will be on the basis of university entrance test followed by personal interview conducted by respective departments. All candidates admitted to Ph.D. programme will be required to complete One Semester course work. Details are available on University website/ Dean P.G. Office.

## डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	* अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या
1. डिप्लोमा इन फैशन मर्केन्डाइजिंग एण्ड रेडिमेड गारमेन्ट्स	10+2	45%	एक वर्ष	20
2. डिप्लोमा इन टेक्सटाईल डिजाइनिंग	10+2	45%	एक वर्ष	20
3. पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	स्नातक	45%	एक वर्ष	30

## Diploma Course (Full Time)

Course	Eligibility	* Minimum Required Marks	Duration	Seats
1. Dip. in Fashion Merchandising & Readymade Garments	10+2	45%	1 Year	20
2. Dip. in Textile Designing	10+2	45%	1 Year	20
3. P.G. Dip. in Journalism	Graduate	45%	1 Year	30

## स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	* अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क**
<b>● कला स्नातक उपाधि</b>					
दृश्य कला	10+2	48%	चार वर्ष	20	₹.10000/- प्रति वर्ष
<b>● कला निष्णात उपाधि</b>					
1. कंठ संगीत	स्नातक	48%	दो वर्ष	20	₹.5000/- प्रति वर्ष
2. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	स्नातक	45%	एक वर्ष 15 सामान्य सीट ₹.10000+ स्थानीय शुल्क & 5 पेमेन्ट सीट ₹. 18000 + स्थानीय शुल्क		
3. शारीरिक शिक्षा (M.P.Ed.)	स्नातक या शा.शि में पी.जी. डिप्लोमा	45%	दो वर्ष	30	₹. 30,000 प्रति वर्ष
<b>● स्नातकोत्तर डिप्लोमा</b>					
1. जनसंख्या अध्ययन	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	45%	एक वर्ष	30	₹.5000/- प्रति वर्ष
2. योग शिक्षा	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	45%	एक वर्ष 30+10 ₹.11000/- (10 स्ववित 16000/- पोषित सीट) प्रति वर्ष		
3. रिमोट सेंसिंग एवं ज्योग्राफिकल सूचना तंत्र	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	50%	एक वर्ष 20 ₹.15000/- प्रति वर्ष + ₹.10000/- लेब फीस		

## Self Finance Courses (Full-Time)

Course	Eligibility	* Minimum	Duration	Seats	Fee
		Required Marks			
<b>● Bachelor of Arts (B.A.)</b>					
1. Visual Arts	10+2	48%	4 Year	20	10000/-P.Yr.
<b>● Master of Arts (M.A.)</b>					
1. Vocal Music	Graduate	48%	2 Year	20	5000/-P.Yr.
2. M. Lib. & Inf. Sc.	Graduate	45%	1 Year	15 Gen.	10000/- + L.F
				5 Pay.Seat	18000/- + L.F
					M. Lib. & Inf. Sc.
3. M.P.Ed.	Graduate or P.G.	45%	2 Year	30 Seat	30000/-
		Diploma in Phy. Ed.			
<b>● Post Graduate Diploma</b>					
1. Population Studies	Graduate Arts /Sci./Commerce	45%	1 Year	30	5000/- Per Year
2. Yoga Education	Graduate Arts /Sci./Commerce	45%	1 Year	30+10	11000/-
				10 S.S.Seat	16000/- P.Yr
3. Remote Sensing & Geographical Information Sys.	Graduate Arts /Sci./Commerce	50%	1 Year	20	Rs. 15000/- Per Year+
					10000/- Lab Fee.

## स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रम (अंशकालीन)

पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	* अर्हक परीक्षा में न्यूनतम की अवधि आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क**
<b>● स्नातकोत्तर डिप्लोमा</b>					
1. गुड गर्वनेस एवं डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाईजेशन	स्नातक कला/विज्ञान/वाणिज्य	45%	एक वर्ष	20	रु.5000/- प्रति वर्ष + स्था. शुल्क
2. हेरिटेज, पर्यटन एवं म्यूजियोलॉजी	स्नातक कला/विज्ञान/वाणिज्य	45%	एक वर्ष	20	रु.8000/- प्रति वर्ष + स्था. शुल्क
3. थोट एवं कॉन्फ्रीब्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू	स्नातक कला/विज्ञान/वाणिज्य	45%	एक वर्ष	20	केवल + स्था. शुल्क
4. व्यावसायिक परामर्श एवं मनोचिकित्सा	स्नाकोत्तर विषय के साथ मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, सोशल वर्क, एम.बी.बी.एस./बी.एच.एम.एस./बी.ए.एम.एस.	48%	6 माह	15+5	रु. 15000/- (5 स्ववित्त पोषित सीट रु.25000/-)
5. मनोवैज्ञानिक परीक्षण	स्नाकोत्तर विषय के साथ मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, सोशल वर्क, एम.बी.बी.एस./बी.एच.एम.एस./बी.ए.एम.एस.	48%	6 माह	15+5	रु. 15000/- (5 स्ववित्त पोषित सीट रु.25000/-)
6. मानवाधिकार एवं कर्तव्य	स्नातक कला/विज्ञान/वाणिज्य	48%	एक वर्ष	20	केवल स्था. शुल्क
<b>● डिप्लोमा</b>					
1. कम्यूनिटी हेल्थ इकोनोमिक्स	स्नातक कला/विज्ञान/वाणिज्य	45%	एक वर्ष	30	रु.5000/- प्रति वर्ष + स्था. शुल्क
2. ऐनवायरमेन्ट इकोनोमिक्स	स्नातक कला/विज्ञान/वाणिज्य	45%	एक वर्ष	30	रु.5000/- प्रति वर्ष + स्था. शुल्क

3. पालि, बौद्ध एवं अहिंसा	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	45%	एक वर्ष	30	₹.5000/- प्रति वर्ष + स्था. शुल्क
4. वित्तीय बाजार	किसी भी संकाय में स्नातक	48%	एक वर्ष	30	₹.7000/- + स्था. शुल्क
5. पैँजी बाजार	किसी भी संकाय में स्नातक	48%	एक वर्ष	30	₹.7000/- + स्था. शुल्क

## Self Finance Courses (Part Time)

Course	Eligibility	*Min. Req.	Duration	Seats	Fee
					Marks %
<b>● Post Graduate Diploma</b>					
1. Good Governance and Democratic Decentralization	Graduate in Arts/ Commerce	45%	1 Year	20	5000/- + L.F.
2. Heritage, Tourism and museology	Graduate in Arts/ Commerce	45%	1 Year	20	8000/- + L.F.
3. Thought & Contribution of Jawahar Lal Nehru	Graduate in Arts/ Commerce	45%	1 Year	20	Only Local Fund
4. Counselling & Psychotherapy	Post Graduate in Psychology, Home Sci./ S W / MBBS/BHMS/BAMS	45%	6 Months	15+5	15000/- (S.F. 5 Seats) 25000/-
5. Psychological Testing	Post Graduate in Psychology, Home Sci./ S W / MBBS/BHMS/BAMS	48%	6 Month	15+5	15000/- (S.F. 5 Seat) 25000/-
6. Human Rights & Duties	Graduate Arts/Commerce Science	48%	1 Year	20	Only L.F.
<b>● Diploma Courses</b>					
1. Community Health Economics	Graduate Arts/ Commerce Science	45%	1 Year	30	5000/- + L.F.

2.	Environmental Economics	Graduate Arts/Commerce Science	45%	1 Year	30	5000/- + L.F.
3.	Pali, Buddhism & Non-Violence	Graduate Arts/Commerce Science	45%	1 Year	30	5000/- + L.F.
4.	Financial Market	Graduate in any Discipline	48%	1 Year	30	7000/- + L.F.
5.	Capital Marketing	Graduate in any Discipline	48%	1 Year	30	7000/- L.F.

### सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (Certificate Courses)

पाठ्यक्रम	पात्रता	*अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक %	अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क**
1. अंग्रेजी भाषा प्रमाण—पत्र पाठ्यक्रम	(10+2)	45%	एक वर्ष	60	प्रथम वर्ष कला के समान
2. जनसंख्या एवं परिवार कल्याण प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम	स्नातक	45%	छ: माह	60	5000/-
3. श्रमण परम्परा और सम सामयिक मूल्य प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम	(10+2)	45%	एक वर्ष	60	5000/-
4. वेब पत्रकारिता में प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम	स्नातक	45%	एक वर्ष		3000/-
5. योग प्रशिक्षण में प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम	(10+2)	33%	छ: माह	40+10***	5000/-
6. नेहरू विचार धारा योगदान व प्रासंगिकता में प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम	स्नातक	45%	एक वर्ष	20	स्थानीय शुल्क

\* अजा, जजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम से प्रवेश।

\*\* In addition to local fund fee.

\*\*\* विदेशी छात्रों के लिये।

सूचना : पूर्णकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों के साथ प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

## Certificate Courses

Course	Eligibility	*Min. Req.	Duration	Seats	Fee
					Marks %
1. English Language	(10+2)	45%	1 Year	60	At Par with First Year Arts
2. Population & Family Welfare Studies	Graduate	45%	6 Months	60	5000/-
3. Shramana Tradition & Contemporary Values	(10+2)	45%	1 Year	60	5000/-
4. Web Journalism	(10+2+3)	45%	1 Year		3000/-
5. Yog Training	(10+2)	33%	6 Months	40+10***	5000/-
6. Nehru's Thought Contribution & Relevnce	(10+2+3)	45%	1 Year	20	Local Fund

### टिप्पणी :

- 1.(i) वे छात्र जो बी.ए./बी.एससी. स्नातक सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी में से किसी एक वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्य माने जायेंगे।
- 1.(ii) सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी एक वैकल्पिक विषय वाले योग्य छात्रों के प्रवेश उपरान्त कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) के बचे हुए रिक्त स्थानों पर उन छात्रों को भी प्रवेश हेतु योग्य माना जायेगा, जिन्होंने बी.ए./बी.एससी. स्नातक उपाधि एक वैकल्पिक विषय लेकर उत्तीर्ण की हो।
2. ऑनर्स पाठ्यक्रम में कम से कम पांच विद्यार्थियों का प्रवेश होना आवश्यक है।

### 3. विशेष आरक्षण\*\* :

- (i) पुस्तकालय विज्ञान स्नातक कक्षा में प्रवेश के लिए राजस्थान राज्य के पुस्तकालयों में कार्यरत पुस्तकालय कर्मचारियों हेतु आठ स्थान सुरक्षित है। इनमें प्रवेश वरीयता के आधार पर दिया जायेगा। इस श्रेणी में केवल उन्हीं कर्मचारियों को प्रवेश दिया जायेगा, जिन्होंने कम से कम तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्णकालिक एवं सैवैतनिक पूरा किया है। विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालय कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आने पर ही मान्य होंगे। प्रवेश इस स्पष्ट शर्त पर दिये जायेंगे कि अपने नियोक्ता से अध्ययन अवकाश लेकर पूर्णकालिक आधार पर अध्ययन करेंगे। एक स्थान मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के लिए आरक्षित रहेगा, जिसके लिए प्रार्थना पत्र किसी साधिकार अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
- (ii) पुस्तकालय विज्ञान स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए राजस्थान राज्य के पुस्तकालयों में कार्यरत पुस्तकालय कर्मचारियों हेतु पांच स्थान आरक्षित है। प्रवेश वरीयता के आधार पर दिया जायेगा। इस श्रेणी में उन्हीं कर्मचारियों को प्रवेश दिया जायेगा, जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्णकालिक एवं सैवैतनिक पूरा किया है। पुस्तकालय कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के माध्यम से आने पर ही मान्य होंगे। प्रवेश इस स्पष्ट शर्त पर दिये जायेंगे कि कार्यरत अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता से अध्ययन अवकाश लेकर पूर्णकालिक आधार पर अध्ययन करना होगा।
- (iii) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय कर्मचारियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक परीक्षा में 42% प्राप्तांक रखी गई है।
4. ओपन स्कूल की 10+2+3 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु योग्य माने जायेंगे, यदि वे उक्त परीक्षा में पांच विषयों में उत्तीर्ण होंगे एवं न्यूनतम अर्हक योग्यता रखते हों।
5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में व्यवसायिक पाठ्यक्रम (10+2) के उत्तीर्ण विद्यार्थी केवल कला एवं वाणिज्य संकाय में प्रवेश के योग्य होंगे। प्रवेश के समय उनके कुल प्राप्तांकों में से सैद्धान्तिक एवं सैद्धान्तिक सत्रांक का योग करते हुए उन्हें वरीयता में सम्मिलित किया जायेगा।

#### (क) प्रथम वर्ष कला 2013 परीक्षा के लिए

अनिवार्य विषय : 1. सामान्य हिन्दी      2. पर्यावरण अध्ययन

ऐच्छिक विषय : निम्नलिखित विषयों में से केवल तीन विषयों का चयन करना होगा। एक वर्ग में से एक विषय से अधिक नहीं लिया जा सकता। कोष्ठक में विषयवार उपलब्ध स्थान अंकित है।

वर्ग :

1. अर्थशास्त्र (120)/संस्कृत साहित्य (60)/संगीत (20)/सिंधी (20)
2. भूगोल (120)/राजस्थानी साहित्य (30)/दर्शनशास्त्र (30)/महिला अध्ययन (30)
3. राजनीति विज्ञान (120)/उर्दू साहित्य (30)/चित्रकला (20)/सांख्यिकी/जनसंख्या अध्ययन (20)
4. मनोविज्ञान (25)/प्राकृत साहित्य (30)/इतिहास (120)/वन संसाधन एवं उनके उपयोग
5. लोक प्रशासन (60)/हिन्दी साहित्य (120)/गृह विज्ञान/ग्रामीण विकास एवं विस्तार/प्रयोजनमूलक हिन्दी (फंक्शनल हिन्दी)
6. समाजशास्त्र (120)/अंग्रेजी साहित्य (60)/गणित/मानवाधिकार (20)

टिप्पणियाँ :

- (i) विद्यार्थी द्वारा कुल 3 विषयों का चयन किया जाना है। उपर्युक्त वर्गों में से एक वर्ग में एक विषय से अधिक नहीं लिया जा सकेगा।
- (ii) (क) नियमित विद्यार्थी दो से अधिक प्रयोगशाला के विषय नहीं ले सकेगा।  
(ख) प्रयोगशाला के संचालित विषय है – संगीत, भूगोल, चित्रकला एवं मनोविज्ञान।
- (iii) दो साहित्य से अधिक साहित्य विषय नहीं चुने जा सकते हैं।
- (iv) कला महाविद्यालय, उदयपुर में सांख्यिकी, वन संसाधन एवं उनके उपयोग, ग्रामीण विकास एवं विस्तार, गृह विज्ञान, गणित, सिंधी, जनसंख्या अध्ययन और महिला अध्ययन विषय के शिक्षण की वर्तमान में व्यवस्था नहीं है। अतः विद्यार्थी इन विषयों को छोड़कर अपने विषय चुनें।
- (v) चुने गये तीन विषयों में भी प्रवेश योग्यता क्रम एवं विषय के निर्धारित स्थानों के अनुसार देय होगा। अन्तिम प्रवेश सूची में उल्लिखित विषय ही स्वीकृत माने जायेंगे।
- (vi) मनोविज्ञान विषय लेने वाले विद्यार्थी वर्ग 4 के अतिरिक्त वर्ग 5 के विषय भी नहीं ले सकेंगे।  
(ख) द्वितीय वर्ष कला 2013 के लिए

अनिवार्य विषय : (i) सामान्य अंग्रेजी (ii) ऐलिमेन्ट्री कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन

ऐच्छिक विषय : प्रथम वर्ष कला 2012 में लिये गये विषय

- (i) द्वितीय वर्ष में प्रवेश नवीनीकरण के समय नियमित विद्यार्थी चाहे तो एक वैकल्पिक विषय का परिवर्तन कर सकता है, यदि वह प्रथम वर्ष के सभी विषयों में उत्तीर्ण है तथा उसके द्वारा चुने गये वर्ग का विषय उस महाविद्यालय में नियमित अध्यापन किया जा रहा है। नया चुना हुआ विषय इस वर्ष के लिए निर्धारित ग्रुप समूह के अनुसार होगा।
- (ii) द्वितीय वर्ष में परिवर्तित विषय के अध्ययन, नियमानुसार परीक्षा आदि की जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी।

(ग) तृतीय वर्ष कला 2013 परीक्षा के लिए

ऐच्छिक विषय : द्वितीय वर्ष कला 2012 में लिये गये विषय

(घ) बी.ए. ऑनर्स (B.A. Hons.) त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम – 2013 परीक्षा के लिए

बी.ए. ऑनर्स (विषय)	स्थान
--------------------	-------

1. संस्कृत	60
2. अर्थशास्त्र	60
3. राजनीति विज्ञान	60
4. अंग्रेजी साहित्य	60
5. इतिहास	60
6. समाजशास्त्र	60

यह पाठ्यक्रम तीन वर्षों का है। इसमें मुख्य विषय (Main Subjects) के साथ किसी अन्य वर्ग में से एक विषय गौण विषय (Subsidiary Subject) के रूप में लिया जाना है।

(ङ) स्नातक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (B.Lib & Information Sc.)

एक वर्षीय पाठ्यक्रम

(च) स्नातकोत्तर (M.A.) द्वि-वर्षीय पाठ्यक्रम

स्नातकोत्तर (M.A.) शिक्षण निम्नांकित विषयों में होता है –

- (i) सामाजिक विज्ञान विषय : अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, भूगोल एवं मनोविज्ञान।
  - (ii) मानविकी विषय : संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, राजस्थानी, उर्दू, अंग्रेजी, चित्रकला, इतिहास एवं दर्शनशास्त्र।
  - (iii) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातकोत्तर (M.Lib.) (एक वर्षीय पाठ्यक्रम)
- (छ) एम.फिल. (M.Phil.) – एक वर्षीय पाठ्यक्रम : इन विषयों में संचालित हो रहा है –
- (i) सामाजिक विज्ञान : अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल एवं मनोविज्ञान।
  - (ii) मानविकी विषय : संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, इतिहास, दर्शनशास्त्र एवं राजस्थानी।

(ज) विद्यावाचस्पति (Ph.D.)

विद्यावाचस्पति की उपाधि हेतु निम्नांकित विषयों में शोध कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है – अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत, जैनविद्या एवं प्राकृत, राजस्थानी, इतिहास, चित्रकला, दर्शनशास्त्र एवं लोक प्रशासन।

# विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय

## University College of Law

Tel.: 0294-2470958

Fax : 0294-2470958

E-mail : uclaw@mlsu.ac.in

Website : www.mlsu.ac.in

अधिष्ठाता

डॉ. आनन्द पालीवाल

सहायक अधिष्ठाता छात्र—कल्याण

डॉ. राजश्री चौधरी

प्रॉफेटर

डॉ. सुनील आसोपा

कार्यक्रम अधिकारी – राष्ट्रीय सेवा योजना

डॉ. शिल्पा सेठ

### — संकाय सदस्य —

सह आचार्य

डॉ. आनन्द पालीवाल

सहायक आचार्य

डॉ. सुनील आसोपा

सहायक आचार्य

डॉ. राजश्री चौधरी

सहायक आचार्य

डॉ. शिल्पा सेठ

### मुख्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

पाठ्यक्रम	पात्रता	अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक %	अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या
<b>● स्नातक पाठ्यक्रम</b>				
1. विधि स्नातक (LL.B.)	स्नातक	45%*	3 वर्ष	120
<b>● स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम</b>				
1. विधि निष्णात (LL.M.)	विधि स्नातक	55%**	2 वर्ष	40+10
<b>● स्नातकोत्तर डिप्लोमा</b>				
1. श्रम विधि, श्रम कल्याण एवं कार्मिक प्रबन्ध में डिप्लोमा (D.L.L.)	विधि स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि/ निम्न विषयों के साथ स्नातक #	48%***	एक वर्ष	60

#समाजशास्त्र/अर्थशास्त्र/सामाजिक कार्य/मनोविज्ञान/लोक प्रशासन या अनुप्रायोगिक अर्थशास्त्र/बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र के साथ एम.कॉम./एम.बी.ए./एम.एच.आर.एम./कंपनी विधि एवं सचिवीय पद्धति में डिप्लोमा

## स्व-वित्त पोषित मुख्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

पाठ्यक्रम	पात्रता	अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक %	अवधि	प्रवेश क्षमता	शुल्क
<b>● स्नातक पाठ्यक्रम</b>					
1. व्यवसाय प्रबन्धन एवं विधि स्नातक ऑनर्स (B.B.A.LL.B (H.))	सीनियर सैकेप्ट्री	50% (45% SC/ST/OBC)	5 वर्ष	50+10 प्रति सेमेस्टर एकीकृत + स्था. शुल्क	12000/- 24000/- पेमेन्ट सीट प्रति सेमेस्टर + स्था. शुल्क
<b>● स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम</b>					
1. विधि निष्णात एवं प्रबन्ध अध्ययन एकीकृत (LL.M. - M.B.A. Integrated)	विधि स्नातक	50% सभी वर्ग हेतु	3 वर्ष	25+5 पेमेन्ट सीट	36000/- 50000/-
<b>● स्नातकोत्तर डिप्लोमा</b>					
1. कम्पनी विधि एवं सचिवीय पद्धति में डिप्लोमा (D.C.S.)	एम.कॉम या विधि स्नातक	48%***	1 वर्ष	30	5000/- + L.F.
2. अपराध विज्ञान एवं सामाजिक-आर्थिक अपराध विषय में डिप्लोमा (D.C.L.)	विधि स्नातक/ सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर/ D.C.S. / D.L.L.	48%***	1 वर्ष	30	5000/- + L.F.
3. बौद्धिक सम्पदा विधि में डिप्लोमा	विधि स्नातक या किसी भी विषय में स्नातकोत्तर	48%***	1 वर्ष	25+5 पेमेन्ट सीट	10000/- 15000/- + L.F.
4. बैंकिंग विधि में डिप्लोमा	" "	" "	" "	" "	" "

\*अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु 45%।

\*\*अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु 50% व सामान्य पिछड़ा वर्ग 55%।

\*\*\*अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु केवल न्यूनतम प्राप्तांक लिए।

**नोट :**

1. विधि निष्णात (LL.M.) के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए विधि संकाय के पाठ्यक्रम (Syllabus) 1992 और 1993 परीक्षाओं में प्रकाशित पृष्ठ संख्या 71 (2) (b) पर दिये गये रियायती नियम निरस्त कर दिये हैं।
2. (1) LL.B. (2) LL.M. (3) B.B.A. LL.B. Five Years Integrated Course (4) LL.M., M.B.A. Three Years Integrated Course में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा निर्धारित है।
3. B.B.A. LL.B. Five Years Integrated Course और LL.M., M.B.A. Three Years Integrated Course में प्रवेश हेतु जानकारी के लिए अधिष्ठाता कार्यालय से सम्पर्क करें।

- **केन्द्र (Centre)**

1. **छात्र न्यायालय (Moot Court)**

विधि महाविद्यालय द्वारा भारतीय विधिज्ञ परिषद् के तत्वावधान में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किये जाने वाले छात्र न्यायालय (मूट कोर्ट) में भाग लेने हेतु छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है।

2. **निःशुल्क विधि सहायता क्लिनिक (Free Legal Help Clinic)**

विधि महाविद्यालय में निर्धनों, अशिक्षितों, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग को उनके दैनिक विधिक कठिनाईयों एवं मुकदमेबाजी के कार्य में प्रशिक्षित एवं अनुभवी वकीलों द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जाता है।

## प्रवेश नियम एवं प्रक्रिया (Admission Rules and Procedure)

### (क) सामान्य सूचनाएँ (General Information)

1. ग्रीष्मकाल के पश्चात् विश्वविद्यालय का शिक्षण कार्य 2 जुलाई, 2012 से प्रारम्भ होगा।
2. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन—पत्र निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रमाण—पत्रों सहित प्रवेश की घोषित तिथि तक अथवा उसके पूर्व सम्बन्धित महाविद्यालय/संकाय के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन—पत्र के साथ संलग्न होने वाले प्रमाण—पत्रों की सूची आवेदन—प्रपत्र में दी गई है। अपूर्ण आवेदन—पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
3. विभिन्न कक्षाओं के लिये प्रवेश—सूचियाँ, प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि सहित संकाय/महाविद्यालयों/विभागीय सूचना पट्ट पर यथासमय लगा दिया जायेगा। आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने प्रवेश की जानकारी हेतु संकाय/ महाविद्यालय/विभागीय सूचना पट्ट देखते रहें। इस संबंध में डाक द्वारा कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
4. निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले और शुल्क नहीं जमा कराने वाले अभ्यर्थी महाविद्यालय में प्रवेश के अधिकार से स्वतः ही वंचित हो जायेंगे तथा उनका नाम प्रवेश—सूची से हटा दिया जायेगा। एक बार जमा कराया गया शुल्क इस विवरणिका में दिये गये प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं दिया जायेगा।
5. स्नातकोत्तर में प्रवेश की सभी प्रक्रियाएँ सम्बन्धित विभागाध्यक्ष करेंगे। विद्यार्थी उनसे ही प्रवेश सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करें।

### (ख) सामान्य नियम (General Rules)

1. विश्वविद्यालय की विधि स्नातक प्रथम वर्ष, स्नातकोत्तर विज्ञान (पूर्वार्द्ध) कक्षाओं तथा अन्य पाठ्यक्रम जिनके बारे में पृथक से अधिसूचना जारी की जायेगी, को छोड़कर विभिन्न कक्षाओं में सभी नये प्रवेश योग्यता के आधार पर एवं सूचित प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार दिये जायेंगे। विधि स्नातक प्रथम वर्ष, स्नातकोत्तर विज्ञान (पूर्वार्द्ध) कक्षाओं तथा अधिघोषित अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी। इन कक्षाओं में प्रवेश, प्रवेश क्षमता के अनुसार वरीयता क्रम में दिये जायेंगे तथा प्रवेश हेतु वरीयता प्रवेश 50 प्रतिशत प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक एवं 50 प्रतिशत स्नातक परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के केवल सैद्धान्तिक (प्रायोगिक को छोड़कर) अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। विधि संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों में विभिन्न सह-शैक्षणिक गतिविधियों के अधिभार अंक जोड़कर निर्धारित की जावेगी।
2. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक नियमित पूर्णकालीन उपाधि डिप्लोमा/प्रमाण—पत्र पाठ्यक्रमों का एक साथ अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जो अंशकालीन डिप्लोमा तथा प्रमाण—पत्र पाठ्यक्रम का पठन—पाठन विश्वविद्यालय में सामान्य पठन—पाठन समय से भिन्न समय पर हो तो विद्यार्थी उपाधि पाठ्यक्रम के साथ एक अंशकालीन डिप्लोमा या प्रमाण—पत्र पाठ्यक्रम का एक साथ अध्ययन कर सकेगा।

3. एक से अधिक उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को किसी भी एक उपाधि/पाठ्यक्रम जिसमें वह अध्ययन करना चाहता है, के बारे में प्रवेश शुल्क जमा कराने की तिथि व व्यक्तिगत साक्षात्कार (Counselling) में निश्चित करना अनिवार्य होगा और दूसरे प्रवेश को रद्द करना होगा अन्यथा उसे कोई भी शुल्क वापस नहीं लौटाया जायेगा।
4. राजस्थान राज्य के बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु तभी योग्य समझा जायेगा जब अहंक परीक्षा में उनके प्राप्तांकों का प्रतिशत 60% (प्रथम श्रेणी) से कम न हो तथा उनकी उपाधि को इस विश्वविद्यालय की उपाधि के समकक्ष माना गया हो किन्तु जिन बाहर के विद्यार्थियों ने अहंक परीक्षा इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है उन पर एवं राजस्थान के मूल निवासी का सक्षम अधिकारी से प्रमाण—पत्र देने पर यह नियम लागू नहीं होगा। वे उच्चतर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंकों पर प्रवेश योग्य माने जायेंगे यदि उनका नाम योग्यता क्रम में आता हो एवं प्रावधान के अनुसार उन्होंने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
5. प्रथम वर्ष बी.कॉम./बी.ए. के वे स्वयंपाठी विद्यार्थी जिन्होंने 55% अथवा अधिक अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उन्हें द्वितीय वर्ष में नियमित कक्षा में सीटों की रिक्तता होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पर प्रवेश के योग्य माने जायेंगे।
6. स्नातकोत्तर प्रीवीयस (कला और वाणिज्य) के वे स्वयंपाठी जिन्होंने 50% अथवा अधिक अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की हैं, उन्हें स्नातकोत्तर फाइनल (कला और वाणिज्य) में नियमित कक्षा में सीटों की रिक्तता होने पर प्रवेश मानकर कक्षा में बैठने की सुविधा दी जा सकेगी परन्तु उन्हें परीक्षा स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में ही देनी होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी न्यूनतम पास अंक पर प्रवेश के योग्य माने जायेंगे।

#### टिप्पणियाँ :

- (i) राज्य के समस्त योग्यता प्राप्त विद्यार्थियों के पश्चात् कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो 60% से कम प्राप्तांकों वाले राजस्थान के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है, यदि वे न्यूनतम योग्यता मानदण्ड पूरा करते हों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश के अन्तर्गत भू-विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 25% तक स्थानों पर राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश देना अपेक्षित है। अतः यहाँ यह नियम लागू नहीं होगा।
- (ii) केन्द्र सरकार/राजस्थान राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों के उदयपुर स्थानान्तरित होने अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् उदयपुर बस जाने पर उनके बच्चों/आश्रितों को प्रवेश के मामले में स्थानीय विद्यार्थियों के समकक्ष माना जायेगा। यह नियम केवल स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष तक ही लागू होगा।
- (iii) केन्द्र सरकार/राजस्थान राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों के उदयपुर स्थानान्तरित होने के अलावा किसी भी विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में नियमित/स्वयंपाठी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। ऐसे विद्यार्थी को प्रथम वर्ष के इस विश्वविद्यालय के अपूर्ण पाठ्यक्रम में भी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। द्वितीय वर्ष में प्रवेश उपलब्ध विषय ग्रुप/समूहों के अनुसार ही दिया जायेगा। इन विषय ग्रुप/समूहों में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की कोई भी अपूर्णता उसे प्रथम वर्ष की परीक्षा देकर पूर्ण करनी पड़ेगी।

- (iv) यदि किसी सैनिक अधिकारी की नियुक्ति 'कुटुम्ब-विहीन स्थान' (Non-Family Posting) पर होती है तथा उसके कुटुम्ब को राजस्थान में आवास दिया जाता है तो उसे राजस्थान में उपस्थित कर्मचारी के समकक्ष माना जायेगा।
- (v)(a) किसी भी अनुत्तीर्ण छात्र को उसी कक्षा में अथवा उसी विषय में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। जैसे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए महाविद्यालय में एक बार प्रवेश लेकर छोड़ने पर अगले सत्र में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी पाठ्यक्रम में लगातार दो वार्षिक परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे विश्वविद्यालय के संघरक या सम्बद्ध महाविद्यालयों में उसी पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी भी कारण से परीक्षा का फार्म नहीं भरता है अथवा परीक्षा में नहीं बैठता है अथवा उपस्थिति की न्यूनतम आवश्यकता पूरी न होने के कारण परीक्षा में नहीं बैठ पाता है तो उसे अनुत्तीर्ण की श्रेणी में माना जायेगा। ऐसी श्रेणी के छात्र आगामी सत्र में एक्स-छात्र (Ex-Candidate) के रूप में परीक्षा दे सकेंगे। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में केवल वे छात्र ही एक्स-छात्र के रूप में परीक्षा दे सकेंगे जिन्होंने पिछले वर्ष में उपर्युक्त कक्षाओं में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लिया हो और उपरोक्त वर्णित किसी कारणवश परीक्षा में नहीं बैठ पाए हो।
- (b) स्नातक/स्नातकोत्तर कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं विधि संकाय की किसी भी कक्षा में लगातार तीन अवसर प्रदान किये जायेंगे, जिनमें अनुत्तीर्ण होने पर पुनः उसी कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी एवं ऐसे विद्यार्थी की उस पाठ्यक्रम की पात्रता समाप्त कर दी जायेगी। उसे पुनः उस पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने की ही अनुमति दी जा सकेगी। तीन अवसर में विद्यार्थी के परीक्षा में अनुपस्थित होने वाले वर्ष की भी गणना की जायेगी। जहाँ पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, वहाँ पुनः प्रवेश परीक्षा देकर ही प्रवेश प्राप्त किया जा सकेगा।
- (c) जो विद्यार्थी प्रथम वर्ष एवं एम.ए./एम.एससी./एम.कॉम. में प्रवेश चाहते हैं किन्तु उन्होंने 2011 में आयोजित अर्हक परीक्षा पास करने के बजाय उससे पूर्व आयोजित परीक्षा पास की है तथा उनके अध्ययन की निरन्तरता में अंतराल (गेप) आ गया है, ऐसे प्रवेशार्थियों को 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित हलफनामा (Affidavit) देना होगा कि उन्होंने अंतराल के वर्ष/वर्षों में क्या किया तथा वे अनुत्तीर्ण छात्र नहीं हैं।
- (vi) स्नातक स्तरीय कक्षा में प्रवेश हेतु किसी विद्यार्थी को, जिसे इस विश्वविद्यालय/बोर्ड की पूरक परीक्षा देनी है, उस विषय में जिसमें पूरक परीक्षा देनी है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक देकर उसकी योग्यता निर्धारित कर स्थान रिक्त होने पर अन्त में अस्थाई प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश की अन्य प्रक्रिया उसे पूरी करनी होगी।
- (vii) जहाँ प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश होते हैं, वहाँ विद्यार्थी को अपने प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता के प्रमाण पत्र प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि तक सम्बन्धित अधिकारी को जमा कराने होंगे अन्यथा उसका नाम प्रवेश सूची में सम्मिलित नहीं होगा।
- (viii) यदि किसी विद्यार्थी को तृतीय वर्ष की पूरक परीक्षा में बैठना हो तो उसे सामान्यतया स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश योग्य नहीं माना जायेगा तथापि यदि समस्त योग्य विद्यार्थियों के प्रवेश के पश्चात् कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो उसे केवल एम.ए./एम.कॉम. कक्षा में प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति

में जिस विषय में विद्यार्थी को पूरक परीक्षा देनी है उसके न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जोड़कर योग्यता निर्धारण किया जायेगा, यदि वह न्यूनतम प्रवेश योग्यता रखता हो। एम.एससी./एल.एल.बी. स्तर पर पूरक परीक्षा के योग्य घोषित विद्यार्थी प्रवेश योग्य नहीं होंगे।

- (ix) वे छात्र जो बी.ए./बी.एससी. स्नातक सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी में से किसी एक वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्य माने जायेंगे।
- (x) सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी एक वैकल्पिक विषय वाले योग्य छात्रों के प्रवेश उपरान्त कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) के बचे हुए रिक्त स्थानों पर उन छात्रों को भी प्रवेश हेतु योग्य माना जायेगा, जिन्होंने बी.ए./बी.एससी. स्नातक उपाधि गणित एक वैकल्पिक विषय लेकर उत्तीर्ण की हो।
- (xi) जिन विभागों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम संचालित हैं, उनका विवरण संबंधित विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
- (xii) एम.फिल. पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय में दो स्थान राजस्थान के महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक आवेदकों (T.R.F.) के लिए आरक्षित हैं।
- (xiii) किसी भी विद्यार्थी को आवश्यक न्यूनतम योग्यता से एक भी अंक कम होने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

### (ग) आरक्षण (Reservation)

1. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए स्थानों का निम्नलिखित प्रकार से आरक्षण रहेगा जो किसी भी दशा में 50% से अधिक देय नहीं होगा –
 

(i) अनुसूचित जातियाँ	16%
(ii) अनुसूचित जनजातियाँ	12%
(iii) अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत छोड़कर)	21%
(iv) अपंग एवं शारीरिक रूप से असक्षम वर्ग	3% (आरक्षण नीति के अनुसार)
(v) महिला वर्ग (केवल स्नातकोत्तर कक्षा में)	5% (आरक्षण नीति के अनुसार)
(vi) विशेष पिछड़ा वर्ग	1%
(vii) एम. फिल. कक्षाओं में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा	2 स्थान

मनोनित शिक्षक (TRF) (प्रत्येक विभाग में अतिरिक्त स्थान)
- (viii) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की सेवा में तीन वर्ष या उससे अधिक वर्ष स्थाई रूप से कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए निम्नानुसार आरक्षण रहेगा –
 

(a) एम.एससी. (पूर्वार्द्ध)	विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर	1 स्थान
(b) एम.एससी.–पोलिमर विज्ञान	शैक्षणिक/शैक्षणेत्तर कर्मचारी संवर्ग में से योग्यता के आधार पर	1 स्थान

- (c) तैयार वस्त्र अध्ययन प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रम शैक्षणिक/शैक्षणेत्तर कर्मचारी संवर्ग में से योग्यता के आधार पर 1 स्थान
- (d) पुस्तकालय विज्ञान स्नातक संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत जेटीए के लिए (सक्षम अधिकारी की अनुशंसा पर) जेटीए के लिए आरक्षित आठ स्थानों में से एक स्थान
- (ix) सुरक्षा सेवा के निम्नांकित वर्ग के कर्मचारियों के विधावा/आश्रित बच्चे – 5%  
 (अ) प्रतिरक्षा सेवाओं के सदस्य (ब) पूर्व सैनिक (स) सामान्य आरक्षित इंजीनियर  
 (द) प्रतिरक्षा सेवा के पूर्व कर्मचारी (य) शहीद
- (x) स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रवेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण के अतिरिक्त बच्ची हुई सीटों को 50 प्रतिशत सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के छात्रों के लिए होगी। अनु.जाति/जजा. आरक्षित वर्गों की मेरिट अलग बनेगी। अनु.जाति/जजा के लिए आरक्षित सीटों के 50 प्रतिशत स्थानों पर इस विश्वविद्यालय के अनु.जाति/जजा छात्रों के लिए रखी जायेगी। उचित संख्या में इस विश्वविद्यालय के अनु.जाति/जनजाति वर्ग के छात्र उपलब्ध न होने पर ये सीटें इन्हीं वर्गों के लिए (अनु.जाति/जनजाति) छात्रों को दी जाएगी। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने पर एवं प्रवेश की स्टेपिंडिंग कमेटी की बैठक के बाद यदि सीटें खाली रह जाती हैं तो सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों से भरी जा सकेगी। आरक्षित वर्ग की एक सीट होने पर प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।
- (xi) (अ) स्वित्त पोषित पाठ्यक्रमों में आरक्षण केवल अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछ़ड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के लिए ही रहेगा। अन्य किसी प्रकार का आरक्षण इन पाठ्यक्रमों में नहीं रहेगा।  
 (ब) विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों (स्वित्त पोषित सहित) में अनुसूचित जाति व जनजाति अभ्यार्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) आवेदन पत्र की राशि 50 प्रतिशत ही ली जायेगी।
- (xii) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कर्मचारी/उनके पुत्र या पुत्री –  
 (अ) शैक्षणिक कर्मचारी 3%  
 (ब) गैर-शैक्षणिक कर्मचारी 3%  
 (उपरोक्त आरक्षण का लाभ पाठ्यक्रमों के सभी विषय ग्रुप में उपलब्ध होगा)।
- नोट:** इस आरक्षण के अन्तर्गत किसी शैक्षणिक कर्मचारी के पुत्र/पुत्री का आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह लाभ अशैक्षणिक कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री को देय होगा। इसी तरह अशैक्षणिक कर्मचारी के पुत्र/पुत्री का आवेदन प्राप्त नहीं होने पर यह आरक्षण का लाभ शैक्षणिक कर्मचारी के पुत्र/पुत्री को भी मिलेगा। निदेशक, शिक्षा विभाग, बीकानेर द्वारा मनोनीत राज्य सरकार एवं उनसे अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षक (केवल विज्ञान स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु प्रत्येक विषय में) 1 स्थान
- (xiii) कश्मीरी प्रवासी 1%
- भूटान क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यू.जी.सी. अथवा भारत सरकार के प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दस स्थान निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त आरक्षित होंगे। ऐसे प्रवेश विश्वविद्यालय की स्वीकृति के बाद ही दिये जायेंगे।

## टिप्पणियाँ :

- (i) यदि सामान्य रूप से ही किसी स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश पाने वाली छात्राओं की संख्या कक्षा की कुल क्षमता के 5% अथवा उससे अधिक हैं तो महिला वर्ग का आरक्षण वहां लागू नहीं होगा।
- (ii) आरक्षण के लाभ हेतु कर्मचारियों के केवल पुत्र या पुत्री ही उनके आश्रित समझे जायेंगे।
- (iii) यदि जांच के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवेदक आरक्षित स्थान में किसी विशिष्ट श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश के लाभ का हकदार नहीं है तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु

- (i) किसी भी कक्षा व पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पिछली कक्षा के पास अंकों (बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./ऑर्नस व अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम हेतु XII कक्षा के पास अंक व स्नातकोत्तर व समकक्ष पाठ्यक्रम हेतु बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम. इत्यादि परीक्षा के पास अंक) पर इन्हीं वर्गों की मेरिट के क्रम में प्रवेश दिया जायेगा।
- (ii) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र सामान्य वर्ग की प्रवेश मेरिट के अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी में मानकर प्रवेश दिया जायेगा तथा इन्हें आरक्षित कोटे में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- (iii) विश्वविद्यालय के संघटक व सम्बद्ध महाविद्यालयों के सभी संकायों और विभागों के स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम व डिप्लोमा में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आरक्षण दिया जायेगा।
- (iv) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जायेगा तथा समस्त प्रक्रिया पूरी करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा गठित अनु.जाति/जनजाति के छात्रों के लिए प्रवेश हेतु स्टेपिंग कमेटी की बैठक के बाद रिक्त आरक्षित स्थानों पर सामान्य वर्ग के प्रतिक्षारत अभ्यर्थियों को प्रवेश की अन्य समस्त शर्तें पूरी करने पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (v) यदि अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटे के लिए पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो पुनः नवीन आवेदन पत्र मांगने के लिए दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को सूचना दी जायेगी। जहां प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है वहां नवीन आवेदन पत्र प्रवेश परीक्षा के पूर्व मांगे जायेंगे। तथापि प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित अंतिम तिथि अपरिवर्तित रहेगी।
- (vi) अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों में से किसी भी एक वर्ग के रिक्त स्थानों को (अनुसूचित जाति व जनजाति) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश देकर भरा जाकर कुल आरक्षित स्थान भरे जा सकेंगे।
- (vii) विश्वविद्यालय के संघटक व सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम व डिप्लोमा के लिए जहाँ प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) निर्धारित है वहां अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी। प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) के लिए पात्रता पिछली कक्षा में चूनतम उत्तीर्ण अंक (विधि स्नातक के लिए 40%) (Pass Marks) के आधार पर होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र सामान्य वर्ग की प्रवेश मेरिट के अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें

सामान्य वर्ग की श्रेणी में मानकर प्रवेश दिया जायेगा तथा इन्हें आरक्षित कोटे में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। बचे हुए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में प्राप्त न्यूनतम निर्धारित अंक (Cutoff Point Marks) नहीं रखते हुए इन्हीं की वरीयता क्रम में निम्नागामी क्रम (Descending Order) में आरक्षण कोटे के पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जायेगा।

- (viii) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक व स्नातकोत्तर (प्रीवियस एवं फायनल) स्तर पर वैकल्पिक विषयों व ग्रुप को उनकी वरीयता के विषय आरक्षण प्रतिशत के अनुसार दिये जायेंगे। प्रत्येक वैकल्पिक विषय व ग्रुप में आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए 16% जनजाति के लिए 12% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21% नियमानुसार रखा जायेगा।
  - (ix) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) को राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रवेश में 21% आरक्षण देय होगा।
  - (x) विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में (स्ववित्तपोषित सहित) अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र (Entrance Test) की राशि 50 प्रतिशत ही ली जायेगी।
- (घ) योग्यता निर्धारण हेतु रियायतें एवं भारण (Relaxation and Weightage in Determination of Merit)
- (क) बी.बी.एम., एम.बी.ए., विधि संकाय, पुस्तकालय विज्ञान, स्नातकोत्तर विज्ञान प्रवेश परीक्षा एवं सभी सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कोई रियायत एवं भारण देय नहीं हैं।
  - (ख) अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विशेष गुण सम्पन्न विद्यार्थियों, जिनमें खिलाड़ी/एन.सी.सी. कैडेट बी एवं सी सर्टिफिकेट आदि सम्मिलित हैं उन्हें योग्यता निर्धारण हेतु रियायतें एवं भरण प्रदान किये जा सकते हैं। उपर्युक्त क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त एवं अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रथम प्रवेश के समय निम्नानुसार लाभ दिया जा सकेगा, बशर्ते अभ्यर्थी ने यह उपलब्धि विगत तीन वर्षों में प्राप्त की हो। एन.सी.सी. 'ए' सर्टिफिकेट धारकों के लिये यह अवधि विगत चार वर्ष मानी जायेगी। निम्नांकित तालिकानुसार रियायत/भारण अंक उनकी योग्यता निर्धारित करने के लिए प्रदान किये जायेंगे।

## 1.1 खेलकूद (Games and Sports)

### उपलब्धि

- (अ) भारत सरकार के मानव संसाधन एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रति स्पर्धा में प्रतिनिधित्व
- (ब) अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विजेता/ उप विजेता दल की सदस्यता अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान
- (स) विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व
- (द) अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व प्रतिशत में 5% की वृद्धि।

### लाभ

- न्यूनतम उत्तीर्णक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
- न्यूनतम उत्तीर्णक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
- न्यूनतम उत्तीर्णक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
- प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण द्वारा अभ्यर्थी के प्राप्तांक

- (य) सम्बन्धित खेल के सरकार द्वारा गठित या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व
- (र) राज्य शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय क्रीड़ा परिषद् अथवा संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित अन्तर्महाविद्यालय प्रतियोगिता में विजेता/ दल की सदस्यता अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान
- (ल) राज्य शिक्षा विभाग द्वारा खण्ड/जिलास्तर आयोजित खेलकूद में स्कूल प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व अथवा विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् या संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा अन्तर्महाविद्यालय प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व।
- (व) केन्द्रीय विद्यालय द्वारा आयोजित जोन स्तरीय प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व।
- (श) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित रीजनल स्तरीय प्रतियोगिता में जोन का प्रतिनिधित्व या राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व।
- (i) उपर्युक्त अंक : लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को नियमानुसार सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा जिसके अभाव में उक्त लाभ देय नहीं होगा।
- वर्ग जिनका प्रमाण पत्र मान्य होगा –
- (1) अ ब स भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल मंत्रालय, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आवंटित संबंधित विश्वविद्यालय की क्रीड़ा परिषद् और राज्य क्रीड़ा परिषद् एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्य सभी खेल।
  - (2) द विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद्।
  - (3) य राज्य क्रीड़ा परिषद्।
  - (4) र ल उपनिदेशक स्तर अधिकारी/ विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद्/निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा प्रति हस्ताक्षरित आयोजन सचिव द्वारा प्रदत्त।
  - (5) व, श आयोजन सचिव द्वारा प्रदत्त एवं उपनिदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।
  - (ii) उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेलकूद ही मान्य होंगे –
    - (1) एथेलेटिक्स, (2) जलीय (स्वीमिंग, डाइविंग एवं वाटर पोलो), (3) बेडमिन्टन (4) बास्केट बॉल, (5)

शतरंज, (6) क्रिकेट, (7) साईकिल चलाना, (8) फुटबॉल (9) हॉकी (10) कबड्डी (11) खो-खो (12) टेबिल टेनिस (13) टेनिस (14) बॉलीबाल (15) हैण्डबॉल (16) कुश्ती (17) भारतीय, (18) जिम्नास्टिक (19) जूँड़ो (20) मुक्केबाजी (21) तीरंदाजी (22) योगासन एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्य सभी खेल।

## 1.2 एन.सी.सी.

### उपलब्धि

- |  |  |
|--|--|
| <p>(अ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या महानिदेशक, एन.सी.सी. द्वारा चयनित होकर देश का प्रतिनिधित्व।</p> <p>(ब) एन.सी.सी. की किसी शाखा में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर में सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार।</p> <p>(स) निम्नांकित में से किसी एक या अधिक के लिए चयनित होकर उस गतिविधि में भाग लेना।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) गणतंत्र दिवस कैम्प</li> <li>(ii) अखिल भारतीय एडवान्स लीडरशिप कैम्प</li> <li>(iii) पैरा जम्पिंग कोर्स</li> <li>(iv) आधारभूत पर्वतारोहण कोर्स या किसी पर्वतारोहण अभियान (20,000 फीट या उच्च पर्वत शिखर पर) में भाग</li> <li>(v) छात्र/छात्रा विंग में सी सर्टिफिकेट बी ग्रेड के साथ प्राप्ति</li> <li>(vi) छात्र/छात्रा विंग में सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड के साथ प्राप्ति</li> <li>(vii) स्नोस्कीइंग कोर्स</li> <li>(viii) सीनियर अण्डर ऑफिसर रैक पर नियुक्त</li> </ul> | <p><b>लाभ</b></p> <p>न्यूनतम उत्तीर्णक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।</p> <p>न्यूनतम उत्तीर्णक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।</p> <p>प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता में निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3% की वृद्धि।</p> |
|--|--|

### टिप्पणी :

गणतंत्र दिवस की किसी प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वाले को, अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित शिविर में किसी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय स्थान पाने पर, पैरा जम्पिंग कोर्स में स्काई डाइविंग कोर्स पूर्णकर्ता कैडेट को, एडवेंचर माउण्टेनेयरिंग तथा एडवान्स माउण्टेयरिंग कोर्स करने वाले को और सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड सहित उत्तीर्ण कैडेट को प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारित हेतु एक प्रतिशत अतिरिक्त अर्थात् चार प्रतिशत का लाभ देय होगा।

- |  |  |
|--|--|
| <p>(द) निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अर्थवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) ऑल इण्डिया समर ट्रेनिंग कैम्प</li> <li>(ii) छात्र/छात्रा विंग का सर्टिफिकेट</li> </ul> | <p>प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांकों में 2% की वृद्धि।</p> |
|--|--|

- (iii) छात्र/छात्रा बी एवं सी ग्रेड के साथ
- (iv) ऑल इण्डिया बेसिक लीडरशिप कोर्स
- (v) कम से कम तीन सप्ताह के अटेचमेन्ट कोर्स
- (vi) वाटर स्कीइंग कोर्स
- (vii) जूनियर डिवीजन छात्र/छात्रा ए सर्टिफिकेट धारी
- (viii) अण्डर ऑफिसर रैंक पर नियुक्ति
- (ix) अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित वायुसेना कैम्प, नौ सेना कैम्प, थल सेना कैम्प।

### 1.3 पर्वतारोहण

#### उपलब्धि

- (अ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण अभियान में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व
- (ब) शिक्षा मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रोग्राम तथा 20,000 फीट या अधिक की ऊँचाई पर पहुँच।
- (स) विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा एडवांस कोर्स।
- (द) सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पर्वतारोहण में बेसिक कोर्स

### 1.4 राष्ट्रीय सेवा योजना

#### उपलब्धि

- (अ) प्रवेश के पूर्ववर्ती 2 वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय युवा आदान—प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता/राष्ट्रीय एन.एस.एस. पुरस्कार से पुरस्कृत स्वयंसेवक।
- (ब) प्रवेश के पूर्ववर्ती 2 वर्षों में युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार गणतंत्र दिवस परेड/राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर में तथा 2 विशेष शिविरों में सम्मिलित एवं 240 घण्टों का हो सेवा कार्य।

#### लाभ

- न्यूनतम उत्तीर्णक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।  
प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता एडवें चर्स निर्धारण हेतु अभ्यर्थी सूची में प्राप्तांक प्रतिशत में 3% की वृद्धि।  
प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता आयोजित निर्धारण हेतु अभ्यर्थी सूची में प्राप्तांक प्रतिशत में 2% की वृद्धि।  
प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी सूची में प्राप्तांक प्रतिशत में 2 प्रतिशत की वृद्धि।

#### लाभ

- न्यूनतम उत्तीर्णक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।

- प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता हेतु अभ्यर्थी सूची में प्राप्तांक प्रतिशत में 4 प्रतिशत की वृद्धि।

## 1.5 रोवर स्काउट गाईड

### उपलब्धि

- (अ) विश्व जन्मदूरी में भारत का प्रतिनिधित्व अथवा अखिल भारत स्काउट गाईड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि में गत 5 वर्ष की सेवा अवधि में रोवर के नियमित सदस्य अथवा गत दो वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर पुरस्कार प्राप्त।
- (ब) राज्य स्काउट गाइड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य का प्रतिनिधिकर्ता यदि गत 2 वर्ष की अवधि में रोवर/रेंजर समागम में नियमित सदस्य हो।
- (स) गत दो वर्ष में राज्य कमिशनर से प्रथम श्रेणी प्रमाण—पत्र प्राप्त अथवा गत दो वर्ष में रोवर/रेंजर मीटर में तीन पताकाएँ प्राप्तकर्ता दल में सम्मिलित अथवा पर्वतारोपण का आधारभूत कोर्सकर्ता।

## 1.6 सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ

### उपलब्धि

- (अ) भारत सरकार के मानव संसाधन विकास एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने जीवनकाल में राष्ट्रीयता वीरता पुरस्कार से सम्मिलित किया गया हो।
- (ब) भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा आई.सी.सी.आर. अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त।
- (स) राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/राज्य का प्रतिनिधित्व।

### लाभ

न्यूनतम उत्तीर्णक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।

प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3% की वृद्धि।

प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2% की वृद्धि।

### लाभ

न्यूनतम उत्तीर्णक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश केवल एक बार।

प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5%

प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3%

## टिप्पणी :

उपर्युक्त (ब) व (स) के अन्तर्गत छूट का लाभ विश्वविद्यालय के किसी संघटक/सम्बद्ध कॉलेज अथवा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए देय नहीं होगा। (उपरोक्त कार्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।)

- (द) राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी संस्था/संभाग का प्रतिनिधित्व अथवा किसी महाविद्यालय द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता/जिला अथवा सम्भाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता/उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त।

## टिप्पणी :

- (1) नियम 1.1 से 1.6 के अन्तर्गत न्यूनतम उत्तीर्णक पर प्रवेश को छोड़कर अन्य देय लाभ प्रवेश की न्यूनतम पात्रता प्रदान करने हेतु स्वीकार्य नहीं है।
- (2) न्यूनतम उत्तीर्णक के आधार पर सीधे प्रवेश के लिए योग्य विद्यार्थियों के मूल प्रमाण—पत्रों के साथ एक शपथ—पत्र भी लगाना होगा जिसको प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित कराना है। भारण समिति (Weightage Committee) के समक्ष उपस्थिति के समय उनकी पात्रता तय की जायेगी।
- (3) उपर्युक्त लाभ प्राप्त अभ्यार्थी को सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/विभाग द्वारा प्रदत्त मूल प्रमाण—पत्र आवेदन—पत्र के साथ ही प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में ऐसे किसी लाभ के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। मूल प्रमाण—पत्र बाद में स्वीकार नहीं किये जायेंगे या ऐसे प्रमाण—पत्रों की छाया प्रति स्वीकार नहीं की जायेगी।
- (4) उपर्युक्त नियम 1.1 से 1.6 में वर्णित लाभों में से किसी एक उपलब्धि (जो भी अधिकतम) का लाभ अभ्यार्थी को देय होगा, चाहे वह कितनी भी गतिविधियों में समिलित क्यों न हो।
- (5) उक्त उपलब्धि एक से अधिक बार प्राप्त होने परभी उन सबके लिए एक ही बार लाभ देय होगा।

**नोट :** सीधे प्रवेश योग्य (Out-Right) विद्यार्थियों को वैकल्पिक विषय/ग्रुप में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त स्थान दिया जा सकता है।

- (इ) प्रवेशार्थियों के रियायत/भारण अंक सम्बन्धी मामलों की जांच के लिए केन्द्रीय समिति (Central Committee for Verification of Cases for Concessions, Weightage etc.)
- (ज) कुलपति द्वारा गठित समिति रियायत/बोनस अंक प्राप्त करने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों के मामलों की जांच करेगी। रियायत/भारण चाहने वाले सभी विद्यार्थी अपने आवेदन—पत्र सभी प्रपत्रों सहित इस समिति को प्रस्तुत करेंगे और इस समिति की संस्तुति के पश्चात् ही प्रवेश समिति द्वारा उनके प्रवेश निश्चित किये जायेंगे।

प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यार्थी के प्राप्तांक में 2 प्रतिशत की की वृद्धि।

- (2) सीधे प्रवेश योग्य (Outright) प्रत्याशियों की पात्रता, साक्षात्कार, मूल प्रमाण पत्र एवं शपथ के प्रमाणीकरण के आधार पर तय होगी। ऐसे प्रत्याशियों को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश/जिलाधीश से अपना शपथ—पत्र/मूल प्रमाण—पत्र प्रमाणित करा प्रवेश हेतु प्रस्तुत करना होगा।  
किसी भी स्तर पर आयोज्य आमंत्रण प्रतियोगिता के प्रमाण—पत्र भार अंक हेतु विचार योग्य नहीं माने जायेंगे।
- (च) प्रवेश प्रक्रिया

विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाएँ होगी –

- 1.(अ) प्रवेश सम्बन्धी विज्ञप्ति (Admission Notification) – प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरम्भ होने के पूर्व कुल सचिव/अधिष्ठाता प्रवेश सम्बन्धी अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन—पत्र आमंत्रित करेंगे। अधिसूचना में विभिन्न पाठ्यक्रम, प्रवेश स्थान, आवश्यक योग्यता, आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि एवं आवेदन पत्र किस अधिकारी को प्रस्तुत करना है, आदि के सम्बन्ध में सूचना रहेगी। अधिसूचना की प्रतियां महाविद्यालयों/विभागों के सूचना पट्ट पर भी लगाई जायेगी।
- (ब) प्रवेशार्थी आवेदन—पत्रों का वितरण (Distribution of Application Forms) – आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.mlsu.ac.in](http://www.mlsu.ac.in) पर ऑनलाइन (online) भरा जायेगा। भरे हुए आवेदन पत्र की एक प्रति मय आवेदन फीस ₹.100/- बैंक चालान के साथ में अंतिम तिथि तक संबंधित महाविद्यालय में जमा करवायें।
2. आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि (Last Date for submitting Application Form) पाठ्यक्रमों में नवीन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अलग से प्रसारित की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में अथवा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रमों में कुछ स्थान रिक्त रहने की स्थिति में आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि बढ़ाई जा सकती है। तथापि किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अन्तिम तिथि के पश्चात् किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
3. प्रवेश अयोग्य विद्यार्थी (Candidates not eligible for Admission) निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थी विश्वविद्यालय के किन्हीं भी विभागों/संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु योग्य नहीं होंगे।
  - (i) वे आवेदक जिनके विरुद्ध विश्वविद्यालय अथवा उसके किसी संघटक महाविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा महाविद्यालय के सक्षम अधिकारी अथवा शिक्षक अथवा उसके कारण कर्मचारी ने पुलिस में अधिकृत रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई हो और उन्हें उसके कारण सजा हुई हो या किसी अन्य प्रकार दण्डित किया गया हो।
  - (ii) वे आवेदक, जो किसी फौजदारी मुकदमें में दोषी पाये गये हो अथवा जो न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किये गये हो या जिन पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो।
  - (iii) वे आवेदक, जिन्होंने सम्बन्धित प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा उससे पूर्व विश्वविद्यालय के अध्यापक/अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध दुर्व्यवहार किया हो तथा जिन्होंने परीक्षा में अनुचित साधन आदि का प्रयोग किया हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय के किसी विभाग/संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश से वर्जित किया गया हो/या अन्य प्रकार से दण्डित किया गया हो।

- (iv) वे आवेदक, जिन्होंने संतापन (Ragging) जैसी घृणित, जघन्य एवं अमानवीय गतिविधियों में भाग लिया हो तथा जिन्हें राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 3/21/शिक्षा ग्रुप.111/83, दिनांक 3 जुलाई 1984 के अनुसार दण्डित किया गया हो।
- (v) यदि किसी आवेदक की शारीरिक अक्षमता किसी विशिष्ट विषय की पढ़ाई—लिखाई में बाधक हो सकती है तो उस विषय में उसे प्रवेश देने से मना किया जा सकता है।

#### **4. आवेदकों को निर्देश (Instructions for Applicants)**

1. सभी प्रविष्टियाँ आवेदक द्वारा स्वयं भरी जानी चाहिये तथा सभी दृष्टियों से पूर्ण होनी चाहिये। यदि कोई प्रविष्टि लागू नहीं हो तो 'लागू नहीं' लिखिये। प्रविष्टि खाली छोड़ने पर आवेदन—पत्र अपूर्णता के आधार पर निरस्त किया जा सकता है।
2. सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदन—पत्र उसमें बताये गये प्रमाण—पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियों सहित महाविद्यालय/संकाय/कार्यालय में व्यक्तिगत या डाक द्वारा निर्धारित अंतिम दिनांक तक पहुंच जाना चाहिये।
3. नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि माध्यमिक शिक्षा प्रमाण—पत्र के अनुसार होनी चाहिए।
4. रेल तथा बस के किराये की रियायत केवल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित लम्बे अवकाश के समय ही, आवेदक के स्थाई पते वाले स्थान, जैसा कि आवेदन पत्र में उल्लेखित है, के लिए दी जायेगी।
5. निवास का पता पूर्ण देना है। यदि पते में परिवर्तन हो तो कार्यालय को तुरन्त सूचित करना है।
6. परिचय पत्र प्रवेश की कार्यवाही पूरी होने पर दिया जायेगा।
7. प्रवेश सूची महाविद्यालय/संकाय/सूचना पट्ट पर लगाई जायेगी। प्रवेश पाये हुए छात्रों को निर्धारित दिनांक तक शुल्क अवश्य जमा कराना होगा, अन्यथा उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
8. गलत घोषणा एवं प्रमाण पत्र देने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश निरस्त हो जायेगा तथा उसे महाविद्यालय से निकाल दिया जायेगा।
9. स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षा में जो आवेदक एक से अधिक विषय में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक अतिरिक्त विषय में प्रवेश के लिए स्नातक कक्षाओं के तीनों वर्षों की सत्यापित अंकतालिकाओं सहित अलग आवेदन पत्र भरना होगा। प्रवेश होने पर विद्यार्थी उसी विषय में प्रवेश शुल्क जमा कराये जिसमें वह अंतिम रूप से प्रवेश लेना चाहता है। ऐसी स्थिति में उसका अन्य विषयों में प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
5. आवेदक की घोषणा (Declaration by the Applicant) प्रवेश के समय प्रत्येक प्रवेशार्थी यह घोषित करेगा कि –
  - (i) मुझे किसी फौजदारी मुकदमें में सजा नहीं हुई है अथवा किसी फौजदारी मुकदमें के सम्बन्ध में मुझे जमानत पर रिहा नहीं किया गया है।
  - (ii) किसी भी न्यायालय में मेरे विरुद्ध फौजदारी का अथवा नैतिक अधमता का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है।
  - (iii) मेरे विरुद्ध विश्वविद्यालय ने अथवा संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय के अधिष्ठाता/आचार्य ने अथवा अन्य सक्षम अधिकारी ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज नहीं कराई है, और न उसके लिए मुझे कोई दण्ड दिया गया है।

- (iv) गत सत्र में मैंने अनुशासनहीनता व परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग आदि का कोई कृत्य नहीं किया है।
- (v) उपर्युक्त सूचनाओं में से यदि कोई झूठी निकलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा प्रवेश तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जाये।
- (vi) प्रवेश के पश्चात् भी यदि मैं (i) से (v) तक किसी प्रवृत्ति में लिप्त पाया गया तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा प्रवेश तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जावे।

## 6. आवेदन पत्र जमा कराना (Depositing of Application Forms)

उन सभी प्रवेशार्थियों को जो नवीन पाठ्यक्रम में अथवा उसी पाठ्यक्रम में अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर आगे की कक्षा में प्रवेश चाहते हैं, अथवा पूरक परीक्षा में बैठ रहे हैं एवं अगली कक्षा में प्रवेश चाहते, अपना आवेदन—पत्र सभी दृष्टियों से पूरा कर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करा देना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन—पत्र यदि तिथि न बढ़ाई गई तो रद्द किये जा सकते हैं।

प्रवेशार्थी दिये गये आवेदन—पत्र एक विभाग/महाविद्यालय से दूसरे विभाग/महाविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे। साथ ही प्रवेश के बाद एक विभाग/महाविद्यालय से दूसरे विभाग/महाविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे। अलग—अलग आवेदन—पत्र सम्बन्धित प्रपत्रों सहित सम्बन्धित विभागों/महाविद्यालय में देने होंगे।

## 7. आवेदन—पत्र के साथ लाये जाने वाले प्रपत्र (Documents to be brought with Application Form)

प्रत्येक नवीन प्रवेश के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ आवेदक को अपना श्वेत—श्याम फोटो एवं निम्नलिखित प्रपत्रों की सत्यापित प्रतियाँ साथ लानी होगी।

- (1) अर्हक परीक्षा/परीक्षाओं की अंकमालिका/तालिकाएँ। एम.ए./एम.कॉम. पूर्वार्द्ध में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिकाओं की सत्यापित प्रतिलिपियाँ लगायें।
- (2) अंतिम स्थान, जिसमें पढ़ाई की हो, के प्रमुख से स्थानान्तरण प्रमाण पत्र।
- (3) अंतिम स्थान, जिसमें पढ़ाई की हो, के प्रमुख से चरित्र प्रमाण पत्र।
- (4) उच्च विद्यालय/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण—पत्र, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि का उल्लेख हो।
- (5) यदि आवेदक शुल्क में रियायत का पात्र है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
- (6) यदि आवेदक आरक्षित स्थानों पर प्रवेश का पात्र है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
- (7) रियायत अथवा योग्यता निर्धारण हेतु दिये गये बोनस अंक का यदि आवेदक पात्र है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
- (8) अंतिम अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं आवेदन पत्र देने में एक अथवा उससे अधिक वर्षों का अंतर हो तो अंतर के सम्बन्ध में वांछित स्पष्टीकरण दस रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित हलफनामा देना होगा कि उन्होंने अंतराल के वर्ष/वर्षों में क्या किया तथा वे अनुत्तीर्ण छात्र नहीं हैं।
- (9) यदि आवेदक नौकरी में हो तो सम्बन्धित नियोजक का अनापत्ति एवं अच्छे व्यवहार व चरित्र का प्रमाण पत्र।

- (10) आवेदक एवं उसके माता—पिता/अभिभावक द्वारा इस आशय की घोषणा कि आवेदक नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहेगा तथा ऐसा कोई पूर्णकालिक व्यवसाय ग्रहण नहीं करेगा जिसमें उसके नियमित अध्ययन में बाधा पड़े।

### टिप्पणियाँ :

- यदि आवेदक उपर्युक्त प्रपत्रों में से प्रवेश की आवश्यकतानुसार किसी प्रपत्र को उपलब्ध करने में असमर्थ रहता है तो उसका आवेदन—पत्र रद्द किया जायेगा। मूल प्रपत्र भी मांगे जा सकते हैं तथा उन्हें कुछ समय तक रोका जा सकता है।
- आवेदन—पत्र के साथ नहीं दिया गया योग्यता एवं आरक्षण आदि को प्रमाणित करने वाला प्रपत्र बाद में स्वीकार नहीं होगा एवं आरक्षण/बोनस अंक/शुल्क में रियायत के लिए उस पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र भरते समय प्रार्थी ने यदि आरक्षण, रियायत अथवा अतिरिक्त अंक भार नहीं चाहा तो उसे कोई आरक्षण रियायत एवं अंक भार नहीं दिया जायेगा।
- प्रवेश समिति के संयोजक आवेदन पत्र के साथ दिये गये प्रपत्र के आधार पर ही योग्यता का निर्धारण करेंगे। शुल्क निर्धारण हेतु आवेदक माता—पिता/अभिभावक की आय स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे।

### 8. आवेदन—पत्रों का पंजीकरण (**Registration of Application Forms**)

महाविद्यालय/विभाग के अधिष्ठाता/अध्यक्ष के कार्यालय में प्रवेशार्थ दिये गये आवेदन—पत्रों की सम्बन्धित सहायक लिपिक द्वारा प्रारम्भिक जांच के पश्चात् पंजीकरण किया जायेगा। तत्पश्चात् ये आवेदन—पत्र विभिन्न कक्षाओं/विभागों में प्रवेश हेतु गठित समितियों को अप्रेषित कर दिये जायेंगे।

### 9. प्रवेश समिति (**Admission Committee**)

किसी संकाय में प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा किये गये आवेदन—पत्र प्रवेश समिति द्वारा एक साथ विचारार्थ लिये जायेंगे। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रवेश समिति का गठन संघटक महाविद्यालय के अधिष्ठाता तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए सम्बन्धित संकाय समन्वयक/विभागों के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

### 10. प्रवेश प्रक्रिया (**Procedure of Admission**)

- उन पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त जहाँ प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, सभी प्रवेश योग्यता के आधार पर किये जायेंगे। प्रवेश के लिए योग्यता का निर्धारण अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंक तथा नियमानुसार होने वाले भार अंक एवं समय—समय पर सूचित किये गये अन्य प्राप्त नियमों के आधार पर होगा।
- विज्ञान संकाय स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) कक्षा में प्रवेश के लिए वरीयता क्रम का निर्धारण 50 प्रतिशत प्रवेश परीक्षा के प्राप्त अंकों एवं 50 प्रतिशत स्नातक परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के केवल सैद्धान्तिक परीक्षा (प्रायोगिक को छोड़कर) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।
- प्रत्येक श्रेणी के निर्धारित स्थान के लिए अलग—अलग योग्यता सूचियां बनाई जायेगी। प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों से पहले प्रवेश निश्चित किये जायेंगे एवं बचे हुए आवेदकों के नाम यदि कोई हो तो उन्हें सामान्य योग्यता सूची में योग्यता के अनुसार स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

- (iv) प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत गठित किये गये समन्वयकों के कार्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के प्रवेश की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी –
1. स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध (कला संकाय के सभी विषय) में प्रवेश हेतु प्रत्याशियों के आवेदन–पत्र स्वीकार करना। इसके लिए केन्द्र पर दो काउन्टर होंगे। एक काउन्टर पर रियायतें एवं भार चाहने वाले अन्य सभी आवेदन–पत्र जमा होंगे तथा दूसरे काउन्टर पर बिना रियायत एवं भारण चाहने वाले अन्य सभी आवेदन पत्र जमा होंगे।
  2. रियायतें एवं भार चाहने वाले प्रत्याशी आवेदन पत्र कार्य दिवस में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी सत्यापित प्रतिलिपियों के साथ सम्बन्धित संकाय की वेटेज कमेटी के समक्ष उपस्थित होंगे। समिति के समक्ष अनुपस्थित रहने पर आवेदन–पत्र पर रियायत एवं भार देय नहीं होगा।
  3. वेटेज समिति को मूल प्रमाण–पत्रों में प्रमाणीकरण और प्रत्याशी से व्यक्तिगत साक्षात्कार के उपरान्त देय रियायतें एवं भार उसके आवेदन–पत्र पर अंकित कर प्रतिदिन के आवेदन–पत्र सम्बन्धित प्रवेश समिति को भिजवाना है। सीधे उत्तीर्णक पर प्रवेश लेने वालों के मूल प्रमाण–पत्र प्रमाणीकरण के लिए कार्यालय में जमा किये जायेंगे। इसके साथ इन्हें प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणीकृत शपथ–पत्र भी जमा कराना होगा।
  4. प्रवेश समिति, प्रतिदिन प्राप्त सभी आवेदन–पत्रों को कम्प्यूटर में डेटा एन्ट्री अपने कार्यालय में करायेगी एवं प्रिण्ट आउटपुट का मूल आवेदन–पत्र की प्रविष्टियों से जांच करती रहेगी। डेटा एन्ट्री एवं जांच का कार्य आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि के अगले दो दिन तक पूर्ण कर लेना होगा।
  5. आवेदन–पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के दो दिन पूर्व की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों के आरक्षित स्थानों हेतु विज्ञापन जारी कर दिया जायेगा, जिसकी अंतिम तिथि पूर्व घोषित सामान्य प्रवेश की अन्तिम तिथि से तीन दिन बाद की होगी।
  6. ऐसे विज्ञापन के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों की डेटा एन्ट्री व जांच कार्य सामान्य प्रवेश की अन्तिम तिथि के चौथे दिन तक पूरा कर लिया जायेगा।
  7. प्रत्येक केन्द्र पर योग्यता वरीयता क्रम के अनुसार तथा प्रथम विषय वरीयता क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी की समस्त प्रत्याशी सूची आवेदन–पत्र जमा करने की सामान्य प्रवेश की अन्तिम तिथि से 4 दिन बाद सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी।
  8. योग्यता वरीयता क्रम की प्रसारित सूची के अनुसार व्यक्तिगत प्रवेश प्रक्रिया का परामर्श कार्यक्रम सूचना पट्ट पर लगाया जायेगा, जिसमें प्रत्येक दिन को बुलाए जाने वाले प्रत्याशियों का विवरण उल्लेखित होगा। उसी क्रम से प्रत्याशी अपने अपेक्षित मूल प्रमाण–पत्रों, सत्यापित प्रतिलिपियों एवं आवश्यक शुल्क आदि लेकर परामर्श के लिए प्रवेश समिति के समक्ष निर्धारित केन्द्र पर निश्चित दिन व समय पर उपस्थित होंगे। निर्धारित समय पर उपस्थित न होने वाले प्रत्याशियों का प्रवेश अधिकार स्वतः समाप्त माना जाएगा।
  9. समस्त परामर्श प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त तथा निर्धारित शुल्क जमा होने के पश्चात् यदि किसी श्रेणी में किसी केन्द्र पर स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें भरने के लिए योग्यता प्रवेश सूची में समिलित किन्तु अवसर से वंचित प्रत्याशियों को परामर्श प्रक्रिया में समिलित होने पर एक अन्तिम अवसर और दिया जा सकेगा।

यह अवसर केवल उन प्रत्याशियों को दिया जायेगा जिनके पुर्णविचार के लिए लिखित में आवेदन—पत्र उनकी पूर्व में निर्धारित परामर्श तिथि के दो दिन के भीतर केन्द्र में प्राप्त हो चुके होंगे। आवंटित विषय परिवर्तन हेतु भी लिखित रूप में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इसी पुनः परामर्श प्रक्रिया में विचार किया जायेगा।

10. यह अन्तिम पुनः परामर्श प्रवेश प्रक्रिया पूर्व में आरम्भ हुई परामर्श प्रक्रिया के दिन के आठ दिन बाद दो दिन में पूरी कर ली जायेगी और अन्तिम प्रवेश सूची का प्रसारण सभी महाविद्यालयों में करने के साथ ही विश्वविद्यालय में कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक के वह सूची प्रेषित कर दी जायेगी।
11. परामर्श प्रवेश प्रक्रिया के दिन प्रत्याशी को पूर्ण शुल्क का ड्राफ्ट/नकद केन्द्र पर ही जमा कराना होगा।
12. समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् किसी कारणवश यदि कोई स्थान रिक्त रहता है तो उसके लिए आवेदन पत्रों के अभाव में पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा सकते हैं। किन्तु यह प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर प्रवेश समिति द्वारा पूरी कर ली जायेगी।

#### (v) समस्त विधि सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया

1. विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश भारत विधिज्ञ परिषद् (Bar Council of India) के नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अधीन होंगे तथा रियायतों एवं भार (Concession & Weightage) से मुक्त होंगे।
2. विधि स्नातक (एलएल.बी. त्रि—वर्षीय पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष के लिए प्रत्येक छात्र को प्रवेश परीक्षा देनी होगी तथा प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर वरीयता क्रम में कक्षा की क्षमता तक प्रवेश दिये जा सकेंगे। कक्षा की कुल क्षमता 120 (स्ववित्त पोषित 60) विद्यार्थी हैं। प्रवेश परीक्षा दिये बिना कोई भी विद्यार्थी प्रवेश का पात्र नहीं होगा।
  - 3.(i) प्रवेश परीक्षा देने के लिए वे ही विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्होंने राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय से कला, वाणिज्य, विज्ञान, औषधि, प्रौद्योगिक, कृषि अथवा अन्य किसी विषय में स्नातक की उपाधि (10+2+3) पद्धति से अथवा उपर्युक्त किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (10+2+3) पद्धति से स्नातक के बाद) में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त किये हैं।
  - (ii) राजस्थान के बाहर के प्रवेशार्थियों पर प्रवेश सामान्य नियम संख्या 4 लागू होगा।
  - (iii) इस बुलेटिन के अन्य कोई प्रावधान होते हुए भी किसी विद्यार्थी को विधि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि उसने मोहनलाल सुखाङ्गि विश्वविद्यालय से विधि महाविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश की पात्रता अर्जित नहीं की है।
4. यदि किसी अभ्यर्थी का उपर्युक्त विषयों में स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ है तब भी वह प्रवेश परीक्षा दे सकेगा किन्तु प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु पात्र तभी माना जायेगा जबकि वह प्रवेश के समय स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेगा तथा उसका प्रवेश उपरोक्त नियम 2 के अधीन होगा।
5. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 45 प्रतिशत प्राप्तांक केवल विधि प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु आवेदन करने की योग्यता है, इससे प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा।
6. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पूरक परीक्षा के योग्य घोषित एवं पुनर्मूल्यांकन कराने वाले प्रवेशार्थी प्रवेश के योग्य नहीं होंगे।

- 7.(i) किसी विद्यार्थी के आवश्यक न्यूनतम प्राप्तांकों से एक भी अंक कम होने पर उसके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा। विधि स्नातक के लिए अजा, जजा, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु प्रवेश परीक्षा की पात्रता पिछली परीक्षा के पास अंक (40%) रहेगी। विवरणिका के पृष्ठ 45 एवं 46 के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा।
- (ii) सभी पाठ्यक्रमों में (स्ववित्त पोषित सहित) अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र (Entrance Test) की राशि 50 प्रतिशत ही ली जायेगी।
8. ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी विभाग (सरकारी अथवा गैर-सरकारी) में कार्यरत हो उनको विधि संकाय में प्रवेश तब ही दिया जायेगा जबकि वे अपने नियोजक से इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें कि वे उदयपुर नगर की सीमा में कार्यरत हैं। उदयपुर नगर की सीमा के बाहर कार्यरत विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उदयपुर नगर में कार्यरत विद्यार्थियों को बिना उपरोक्त प्रमाण पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
9. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन—पत्र तथा प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र महाविद्यालय से निर्धारित शुल्क एवं निर्धारित तिथि पर प्राप्त किये जा सकेंगे।
10. भारत की विधि परिषद् की अपेक्षा की पालना के सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि इस विवरणिका में कोई बात इसके विपरित होते हुए भी प्रथम वर्ष एवं द्वितीय विधि स्नातक की परीक्षा देने पर विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य है कि उनकी वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् तीन सप्ताह के भीतर निर्धारित शुल्क जमा कराकर आगे की कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित कर लें। उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। परीक्षा में असफल घोषित होने पर उनको नियमानुसार शुल्क वापस किया जा सकेगा।
11. विधि स्नातक का पाठ्यक्रम जो तीन वर्ष का है यदि कोई विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण नहीं होता है और विश्वविद्यालय के प्रोन्ट (Promoted) के नियमों के अनुसार द्वितीय वर्ष विधि में प्रवेश पा लेता है लेकिन विधि पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष में उसे प्रवेश तभी दिया जायेगा जबकि वह पूर्ण रूप से प्रथम वर्ष उत्तीर्ण हो चुका हो।
12. विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा घोषित प्रवेश की अन्तिम तिथि के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
13. विधि पाठ्यक्रम बार कौन्सिल के नियमों के अध्याधीन है। अतः 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी तथा उसे उपस्थिति की कमी के बारे में सूचना व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जायेगी। नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थिति के बारे में जानकारी रखने की उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (vi) एम.ए. के लिए योग्यता निर्धारण
- एम.ए. के पाठ्यक्रमों में प्रवेश योग्यता के निर्धारण हेतु जिस विषय में अर्थर्थी प्रवेश चाह रहा है उस विषय में उसके द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों को बी.ए. के प्राप्तांकों को जोड़कर योग्यता का निर्धारण किया जायेगा। प्रवेश के लिए पूर्व निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार प्रवेशार्थी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से सम्पर्क करें। प्रवेश हेतु उन्हीं संकाय के स्नातक डिप्री प्राप्त विद्यार्थियों की योग्यता वरीयता का निर्धारण 5% अतिरिक्त अंक देकर दिया जायेगा। इसके लिए प्रवेशार्थी न्यूनतम योग्यता आवश्यक है। एम.कॉम. में प्रवेश बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./बी.बी.एम. में कुल प्राप्त अंकों के आधार पर ही देय होगा।

**(vii) प्रपत्रों की मूल प्रति जमा कराना (Depositing of Original Documents)**

विभिन्न कक्षाओं में प्रविष्ट प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यक प्रपत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करने के पश्चात् ही शुल्क/डी.डी. जमा कराके उनके प्रवेश को निश्चित किया जायेगा।

**11. वैकल्पिक विषय एवं लघु शोध प्रबन्ध (Optional Subjects & Dissertation)**

जिन ऐच्छिक विषय/विषयों को विद्यार्थी लेना चाहता है उसका उल्लेख आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। किसी कक्षा में ऐच्छिक विषयों को योग्यता के आधार पर उन आवेदकों को दिया जायेगा, जो उन विषयों को लेने के इच्छुक हैं। कक्षा में विषय की क्षमता तक ही प्रवेश दिया जायेगा। प्रथम वर्ष में ऐच्छिक विषय व्यक्तिगत परामर्श के उपरान्त दिये जायेंगे, जिनमें सामान्यतया परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

एम.ए./एम.कॉम./एम.एससी. पूर्वार्द्ध परीक्षा में यदि किसी विद्यार्थी ने 55 प्रतिशत अंक अर्जित किये हैं तो उत्तरार्द्ध परीक्षा के लिए सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रावधान के अनुसार एक ऐच्छिक प्रश्न पत्र के स्थान पर लघु शोध प्रबन्ध (Dissertation) को विभाग द्वारा वांछित सुविधा उपलब्ध होने पर ही अनुमति दी जा सकेगी। (अजा/जजा हेतु 50% अंक माने जायेंगे।)

**12. विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति व जनजाति के जिन विद्यार्थियों का आरक्षण कोटे के भरने के बाद भी प्रवेश नहीं होता है। ऐसे विद्यार्थी अगर उदयपुर के किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनके आवेदन पत्र स्थानीय महाविद्यालयों में स्थानान्तरित किये जा सकेंगे।**

**13. प्रवेश का निरस्तीकरण (Cancellation of Admission)**

अधोलिखित परिस्थितियों में आवेदकों का प्रवेश संस्थाध्यक्ष द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है –

- आवेदक द्वारा किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया हो एवं गलत जानकारी/तथ्य दिये गये हों।
- यदि आवेदन–पत्र पर माता या पिता अथवा अभिभावक आदि के जाली हस्ताक्षर किये गये हों।
- यदि जाली प्रपत्र/प्रमाण–पत्र संलग्न किये गये हों।
- यदि आवेदक पूरक परीक्षा या अन्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाये जिसके आधार पर उसे आगे की कक्षा में अस्थायी प्रवेश दे दिया गया हो।
- यदि आवेदक को संस्था/न्यायालय द्वारा किसी अनुशासनहीनता या अपराध के लिए दण्डित किया गया हो।
- परिस्थितिजन्य अन्य कोई समुचित कारण/आदेश होने पर।

**14. पाठ्यक्रम को स्थगित करना (Suspension of Course of Study)**

यदि किसी पाठ्यक्रम को पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध न हो पाये तो विद्यार्थियों को प्रवेश दे देने के पश्चात् भी विश्वविद्यालय द्वारा उस पाठ्यक्रम को स्थगित किया जा सकता है। यदि किसी नवीन पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या स्नातक पाठ्यक्रम में 10, ऑनर्स में 5 एवं स्नातकोत्तर में 3 न हो तो उस पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं दी जायेगी। प्रविष्ट विद्यार्थी यदि अन्य पाठ्यक्रम के पात्र हो तो उन्हें उसमें जाने की अनुमति अथवा प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क वापस लेने की अनुमति दी जायेगी।

**15. उत्तर-पुस्तिका के पुर्नमूल्यांकन पर उत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रवेश (Admission of Candidates qualifying on Re-evaluation of Answer-Books)**

किसी नियमित विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका के पुर्नमूल्यांकन के परिणामस्वरूप अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में उसे आगे की कक्षा में तभी प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र देने की अनुमति दी जा सकती है यदि वह पुर्नमूल्यांकन के परीक्षा परिणाम घोषित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर आवेदन पत्र दें। ऐसे विद्यार्थी के आवेदन पत्र पर तभी विचार किया जायेगा यदि जिस कक्षा में वह प्रवेश का इच्छुक है उसमें स्थान रिक्त हो एवं उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत योग्यता क्रम में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के प्रतिशत से कम न हो। प्रवेश से वंचित विद्यार्थी स्वयंपाठी के रूप में नियमानुसार अपना अध्ययन कर सकेंगे।

**16. पूरक घोषित होने वाले विद्यार्थी का प्रवेश (Admission of Students Qualifying at Supplementary Examination)**

पूरक घोषित होने वाले विद्यार्थी आगे की कक्षा में निर्धारित तिथि तक तभी प्रवेश ले सकेंगे, जब सभी योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बाबत स्थान रिक्त हो एवं नियम 7 के अधीन वे योग्यता सूची में आते हो। निर्धारित तिथि वही होगी जो पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए हैं तथा यह सुविधा केवल स्नातक स्तर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए है।

**17. राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों से आने वाले छात्रों का प्रवेश (Admission of Students coming from other Universities of Rajasthan)**

राजस्थान राज्य के अन्य विश्वविद्यालय से त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उनके माता-पिता के स्थानान्तरण के कारण यहाँ द्वितीय वर्ष में 30.09.2012 तक प्रवेश दिया जा सकेगा। उन्हें दो वर्ष की उपाधि प्रदान की जायेगी। ऐसे विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने की श्रेणी का निर्धारण उनके द्वारा विश्वविद्यालय में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर होगा। किन्तु तृतीय वर्ष की कक्षा में प्रवेश किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जायेगा।

**18. अतिरिक्त विषय/समूह ग्रुप की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश (Admission of Students Appearing in Additional Subjects Group)**

किसी विषय की स्नातकोत्तर पूर्वद्वंद्व परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उसी विषय के किसी अतिरिक्त विषय समूह में बैठने के इच्छुक विद्यार्थी को कक्षा में रिक्त स्थान होने पर नियमित प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे विद्यार्थियों को केवल अतिरिक्त विषय/समूह की अंकतालिका ही दी जायेगी।

**19. प्रवेश वर्जित**

- (i) अन्य महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों को संबंधित महाविद्यालयों में उसी पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में प्रवेश देय नहीं है।

**20. प्रवेश सम्बन्धी सामान्य टिप्पणियाँ**

- (i) विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी आधिकारिक रूप से प्रवेश का हकदार नहीं होगा। विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश की पात्रता होने पर भी किसी विद्यार्थी को बिना कारण बताये प्रवेश से वर्जित किया जा सकता है।

- (ii) विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी का प्रवेश रद्द किया जा सकता है, यदि वह विश्वविद्यालय अधिनियम व उपनियमों की धाराओं का अथवा विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की आज्ञाओं का उल्लंघन अथवा किसी अपराध के लिए दण्डित हुआ हो अथवा किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त हो अथवा यह पाया जाए कि उसने प्रवेश के लिए गलत जानकारी अथवा प्रपत्र दिये हैं।
- (iii) एम.बी.ए. पाठ्यक्रम, कम्प्यूटर पाठ्यक्रम, विधि संकाय के पाठ्यक्रमों, विद्यावाचस्पति (Ph.D.) तथा डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण—पत्र पाठ्यक्रम जिनके लिए अलग नियम बनाये गये हैं, उनको कृपया अलग से देखें।
- (iv) अजा, जजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण नियम इस विवरणिका के पृष्ठ 45 एवं 46के अनुसार लागू रहेंगे।

## 21. प्रवेश अधिकारी

स्नातक स्तर के सभी प्रवेश समन्वयक/अधिष्ठाता द्वारा किये जायेंगे तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश समन्वयक/विभागाध्यक्ष द्वारा किये जायेंगे। विशेष पाठ्यक्रमों के प्रवेश अधिकृत संचालक द्वारा किये जायेंगे। इस संबंध में निर्णय का इन्हें विश्वविद्यालय के नियमों तथा निर्णयों के अन्तर्गत सम्पूर्ण अधिकार होगा।

## 22. Special Rules Regarding Foreign Students

### A. ADMISSION

1. Candidates who have qualification from outside India and are now willing to join any course with the University must first apply to Association of Indian Universities (AIU) Delhi for equivalence certificate, having obtained such certificate, they should apply for eligibility letter for admission to the University. In order to obtain eligibility letter for admission to Ph.D. Programme, the candidate must also submit approved synopsis of Ph.D. by a recognised supervisor, along with the application.
2. In respect of those students who produce letter of admission eligibility form this University, the Indian mission abroad will issue Student Visa/ Research Visa.
3. The foreign students seeking admission to any course of the University including Ph.D. should apply through their embassy/high commission. Those who have passed their qualifying examination from a University, within India (other than MLSU) should also apply under intimation to their embassy/high commission. They also have to submit migration certificate within one month from the date of provisional admission.
4. A foreign national shall be eligible for admission to any course of this University provided he/she has obtained minimum 60% marks in the qualifying examination. This rule, however, will not apply in case of those candidates who qualify their graduation from this University.
5. For admission to First Year of Three Year Degree Course in any faculty, only those candidates shall be eligible who had English as a subject in their qualifying examination.

6. For admission to First Year of the Three-Year Degree Course in science faculty, only those candidates shall be eligible who had General Science as a subject in their qualifying examination.
7. The Dean, P.G. Studies will decide the cases for Ph.D. enrollment of foreign students in consultation with the International Students Advisor.
8. The foreign students are required to submit a Medical Fitness Certificate from the specified authority by the Ministry of Home at the time of their admission. They will also submit an AIDS Test Report from S.M.S. Hospital, Jaipur /R.N.T. Medical College, Udaipur for ICMR AIDS SURVEILLANCE Centre.
9. Residential permit granted for studies and entry-visa for more than six months will be treated at par with student visa.
10. All foreign students seeking admission to this University shall be apprised that the medium of instruction in the University is generally Hindi at the Undergraduate level.
11. All foreign students will be admitted, if otherwise found eligible only as regular students in the college concerned. Foreign students are not eligible to appear as a Non-Collegiate (Private) candidate at any examination of this University.
12. Failure students shall be allowed to take regular admission in the same class only twice in the immediate successive session. He/she shall not be entitled to become Ex-students in any case. In case he/she does not pass any class within three years, he/she has to go back to his/her country.
13. The University shall not accept any admission on transfer and/or allow to change his/her admission from other educational institutes/from any other University into this University during packaged programme of study.
14. Foreign students is required to submit a copy of the registration with Criminal Investigation Department, Udaipur after he/she is admitted.
15. Foreign students are required to submit all original documents for verification to the Head of the Institution while seeking admission in the college concerned.
16. Students who fail to furnish the required documents at the time of admission, his/her admission shall remain provisional for a period not beyond 31st December every year. Thereafter provisional admission shall be cancelled by the University/Institution and the matter shall be reported to the Ministry and Embassy concerned.

**B. FEE**

1. Tuition Fee
  - (i) Undergraduate Courses
 

First Year	Rs.340 per month
Second Year and Third Year	Rs. 440 per month
  - (ii) Post-Graduate Course Rs. 540 per month
  - (iii) M.Phil Rs. 800 per month
  - (iv) Ph.D. Rs.9600 per year
2. University shall charge Rs.100 (One Hundred only) as Eligibility verification fee on admission.
3. Fees under all other heads charged from local students, shall be payable by foreign students at the same rates.

**C. DISCIPLINE**

Foreign students are required to maintain good conduct during the course of studies in the University and are to act according to the advice of the Dean Students Welfare, International Students Advisor, Head of the Institution concerned and other University authorities. Otherwise disciplinary action shall be taken as per provisions existing in the Information Bulletin of the University/Institute. They shall not participate into local politics and local franchise except students Union Election wherein they will be eligible to cast a vote only.

2. The student shall make payment of college fee and University dues punctually on the prescribed dates.
3. If the foreign students remain absent from the class for one month continuously, his/her admission will stand cancelled and he/she will be no more a student of the college.

**D. MISCELLANEOUS**

1. In case, a foreign student desires to leave for abroad during the course of study, he/she should obtain No Objection Certificate from the Head of Institution/Department and Immediately on return. He/She should submit a certificate of medical fitness to the concerned Institution/ Department.
2. So long, the student is not registered for any of the course, the University authorities will not issue a bonafide students certificate to him.
3. The Head of the Institution/Dean P.G. Studies will send the details of the foreign students immediately after their admission to the Registrar and the International Students Advisor.
4. All other rules and regulations for local students shall apply for foreign students also.

## उपस्थिति (Attendance)

1. विश्वविद्यालय के समस्त नियमित पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट विद्यार्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रतिवर्ष आयोजित कुल कालांशों (जिनमें ट्यूटोरियल्स तथा प्रायोगिक कालांश सम्मिलित है) की कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
2. प्रत्येक विद्यार्थी विश्वविद्यालय के वर्तमान उपस्थिति नियमों एवं उनमें समय—समय पर किये गये रूपान्तरणों एवं परिवर्तनों से आबद्ध होगा।
3. प्रत्येक विद्यार्थी अपनी उपस्थिति के बारे में स्वयं सम्बन्धित प्राध्यापकों से जानकारी प्राप्त करेगा एवं अपने प्रत्येक विषय के प्रश्न—पत्र के अनुसार उपस्थिति का लेखा—जोखा रखेगा। यह जिम्मेदारी विद्यार्थी की स्वयं की होगी।
4. जो छात्र संस्थान/विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के अनुमत सह—पाठ्यक्रम गतिविधियों, जैसे खेल—कूद, गणतंत्र दिवस परेड, शैक्षणिक यात्रा आदि में प्रतिनिधित्व करने के लिए महाविद्यालय/जिला स्तर पर भेजे गये उन्हें उपरोक्त गतिविधियों के कारण अनुपस्थिति के समय में कक्षा में दिये गये व्याख्यान के बराबर उपस्थिति का लाभ दिया जायेगा, इसमें यात्रा के दिन भी सम्मिलित किये जायेंगे। पर यह सुविधा एक शैक्षणिक वर्ष की कुल अवधि में अधिकतम 15 अनुपस्थिति के दिनों के लिए ही दी जायेगी। उपस्थिति के संदर्भ में उपर्युक्त छूट के अतिरिक्त और कोई भी छूट नहीं दी जायेगी।
5. जो विद्यार्थी अपेक्षित उपस्थिति पूरी नहीं कर पाता है उस विद्यार्थी का नाम सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं महाविद्यालय अधिष्ठाता द्वारा छात्रा एवं उसके माता/पिता को सूचित किया जायेगा। 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष द्वारा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
6. जो परीक्षार्थी उपर्युक्त अपेक्षित न्यूनतम उपस्थिति पूरी नहीं कर पाता है, उसे विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया जायेगा।
7. ऐसे विद्यार्थी जिन्हें अपेक्षित उपस्थिति की कमी के कारण उन पाठ्यक्रमों में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका गया है, जिनमें स्वयंपाठी (Private) परीक्षार्थी के बैठने का विधान है, उन विद्यार्थियों को उसी वर्ष, स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है, यदि वे इसके लिए लिखित आवेदन करें और अवशिष्ट आवश्यक शुल्क का भुगतान कर दें।

## शुल्क (Fees)

शिक्षण शुल्क जुलाई से जून तक बारह महीनों के लिए अग्रिम किश्त में महाविद्यालय अधिष्ठाता को निर्धारित तिथि पर देय होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश निर्धारित तिथि पर शुल्क नहीं जमा करा पाता है तो उसे अधिष्ठाता को विलम्ब के कारणों को बताना होगा। यदि अधिष्ठाता कारणों के औचित्य से संतुष्ट होते हैं तो शुल्क जमा कराने की अनुमति दे सकते हैं। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क प्रवेश के समय देय होंगे।

### 1. शिक्षण शुल्क (Tuition Fee)

कक्षा	आयकर न देने वाले के आश्रित	आयकर देने वाले के आश्रित
<b>1. स्नातक कक्षाएँ त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम</b>		
प्रथम वर्ष	रु. 100/- प्रतिमाह	रु. 150/- प्रतिमाह
द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	रु. 130/- प्रतिमाह	रु. 200/- प्रतिमाह
<b>2. स्नातकोत्तर कक्षाएँ</b>		
छात्र	रु. 200/- प्रतिमाह	रु. 300/- प्रतिमाह

### टिप्पणियाँ

1. निम्न श्रेणी के सभी विद्यार्थियों से उचित प्रमाण—पत्र की उपलब्धि पर कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा—
  - (i) स्नातक एवं स्नातकोत्तर भारतीय छात्राएँ।
  - (ii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के विद्यार्थी।
  - (iii) पूर्व सैनिक जो स्थाई रूप से असमर्थ हो गये हो और राजस्थान में बस गये हों, वे स्वयं अथवा उनके आश्रित छात्र तथा भारतीय सीमाओं पर हुए युद्धों में मृतक सैनिकों के ऐसे आश्रित जो राजस्थान में बस गए हों (अन्य सैनिकों को कोई शुल्क छूट उपलब्ध नहीं होगा)।
  - (iv) सन् 1971 के भारत पाक युद्ध में मारे गये अथवा स्थाई रूप से असमर्थ हो गए राजस्थान से सम्बन्धित सेना/सीमा सुरक्षा बल/सशस्त्र पुलिस के सदस्यों के बच्चे अथवा पत्नी। (इस श्रेणी के छात्रों से परिचय—पत्र शुल्क छोड़कर शेष स्थानीय शुल्क भी नहीं लिये जायेंगे।)
  - (v) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के आयकर नहीं देने वाले कर्मचारियों के संरक्षित। (कोई भी विद्यार्थी जिसके पिता जीवित है और अपंग नहीं है, के संरक्षक उसके पिता ही होंगे। पिता के अपंग होने अथवा मृत होने पर उसका सगा भाई/अविवाहित बहिन/माता उसके संरक्षक होंगे।)
  - (vi) सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं राजस्थान राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जिन्हें नियमानुसार आगे पढ़ने की अनुमति मिली हुई है एवं आयकर नहीं देते हैं।
  - (vii) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित परिवारों के बच्चे (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)।

2. विद्यार्थी के अनुचित व्यवहार एवं अनुचित आचरण का दोषी पाये जाने पर उपर्युक्त रियायतें तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जायेगी।
3. विद्यार्थी शुल्क की रसीदों को सुरक्षित रखें। एन.सी.सी. का गणवेश, पुस्तकालय पाठक कार्ड आदि शुल्क की रसीद दिखाने पर ही दिया जायेगा।
4. विद्यार्थी को यह रियायत सेना के अभिलेख कार्यालय अथवा पुलिस अधिकारियों से 'एन्टाइटलमेन्ट पत्र' प्रस्तुत करने पर अनुज्ञेय होगी। रियायत स्थाई रूप से असमर्थ स्वयं सदस्यों, जो विश्वविद्यालय में अध्ययन करना चाहते हैं, को भी उपलब्ध होगी।

ऐसी शुल्क मुक्ति का पुनर्भरण महाविद्यालय शिक्षा निदेशक, राजस्थान द्वारा पत्र क्रमांक एफ. 4 (2) शिक्षा जी.आर.11/72, दिनांक 4.4.73 के अन्तर्गत किया जायेगा।

5. स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रज्ञा-चक्षु (अस्थे) छात्र निम्न शुल्क के भुगतान से मुक्त होंगे –
 

(अ) शिक्षण	(ब) परीक्षा
(स) पुस्तकालय अवधान द्रव्य	(द) पुस्तकालय
(य) क्रीड़ा	(र) विद्यार्थी सहायता

## **2. अन्य शुल्क (Other Fees)**

1. प्रवेश शुल्क	रु. 100/- (केवल नये विद्यार्थियों से)
2. प्रयोगशाला शुल्क (विज्ञान एवं कला संकाय में प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों के लिए)*	
स्नातक कक्षा तक	रु. 300/- प्रतिवर्ष
स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए	रु. 350/- प्रतिवर्ष
3. नामांकन शुल्क**	रु. 250/- प्रतिवर्ष
4. योग्यता शुल्क	
(i) राजस्थान के राज्य स्तर के विश्वविद्यालय	रु. 200/- एक बार
(ii) राजस्थान राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय सभी निजी वि.वि.	रु. 500/- एक बार
एवं सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (राजस्थान बोर्ड को छोड़कर)	
5. ऐलीमेन्ट्री कम्प्यूटर एप्लीकेशन	रु. 500/- प्रतिवर्ष
(केवल द्वितीय वर्ष के नियमित विद्यार्थियों से)	
6. एम.ए. (उत्तरार्द्ध)/एम.लिब.	रु. 950/- प्रतिवर्ष
(कम्प्यूटर एप्लीकेशन ऐच्चिक प्रश्न—पत्र)	
3. स्थानीय शुल्क (Local Fees)	
1. क्रीड़ा शुल्क	रु. 100/- प्रतिवर्ष
2. स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क	रु. 60/- प्रतिवर्ष

3. वाचनालय पठन कक्ष शुल्क	रु. 60/- प्रतिवर्ष
4. विषय/संकाय परिषद् शुल्क	रु. 50/- प्रतिवर्ष
5. मनोरंजन शुल्क	रु. 30/- प्रतिवर्ष
6. विकास शुल्क	रु. 170/- प्रतिवर्ष
7. परिचय पत्र शुल्क	रु. 40/- प्रतिवर्ष
8. छात्रसंघ शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 80/- प्रतिवर्ष
9. छात्रसंघ चुनाव शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 40/- प्रतिवर्ष
10. छात्रसंघ शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 70/- प्रतिवर्ष
11. छात्रसंघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 40/- प्रतिवर्ष
12. मुक्त प्रणाली (वाचनालय)	रु. 50/- प्रतिवर्ष
13. छात्र सहायता निधि शुल्क	रु. 40/- प्रतिवर्ष
14. वाहन स्टेण्ड शुल्क	रु. 50/- प्रतिवर्ष
15. वाहन स्टेण्ड शुल्क (स्वयंपाठी छात्रों से परीक्षा के दौरान)	रु. 50/- प्रतिवर्ष
16. पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 50/- प्रतिवर्ष
17. पत्रिका शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 25/- प्रतिवर्ष
18. पुस्तकालय अवधान द्रव्य (वापस देय)	रु. 200/- एक बार
19. प्रयोगशाला अवधान द्रव्य (वापस देय)	रु. 200/- एक बार
20. वाद-विवाद एवं सांस्कृतिक गतिविधियां	रु. 60/- प्रतिवर्ष
21. शैक्षणिक भ्रमण शुल्क	रु. 300/- प्रतिवर्ष

(जहाँ पाठ्यक्रम में सम्मिलित है।)

#### 4. एम.फिल. शुल्क (M.Phil. Fees)

1. शिक्षण शुल्क	रु. 400/- प्रतिमाह
2. प्रवेश शुल्क	रु. 300/- प्रतिवर्ष
3. क्रीड़ा शुल्क	रु. 200/- प्रतिवर्ष
4. स्पोर्ट बोर्ड शुल्क	रु. 100/- प्रतिवर्ष
5. वाचनालय पठन कक्ष शुल्क	रु. 100/- प्रतिवर्ष
6. मनोरंजन शुल्क	रु. 60/- प्रतिवर्ष
7. विकास शुल्क	रु. 600/- प्रतिवर्ष
8. पुस्तकालय मुक्त प्रणाली शुल्क	रु. 200/- प्रतिवर्ष
9. परिचय-पत्र शुल्क	रु. 60/- प्रतिवर्ष

10. छात्र सहायता निधि शुल्क	रु. 60/- प्रतिवर्ष
11. वाहन स्टेण्ड शुल्क	रु. 90/- प्रतिवर्ष
12. विषय/संकाय परिषद् शुल्क	रु. 100/- प्रतिवर्ष
13. पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 80/- प्रतिवर्ष
14. पत्रिका शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 60/- प्रतिवर्ष
15. पुस्तकालय अवधान द्रव्य (वापस देय)	रु. 300/- एक बार
16. छात्र—संघ शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 120/- प्रतिवर्ष
17. छात्र—संघ चुनाव शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 60/- प्रतिवर्ष
18. छात्र—संघ शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 120/- प्रतिवर्ष
19. छात्र—संघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 60/- प्रतिवर्ष
20. वाद—विवाद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ	रु. 100/- प्रतिवर्ष

\* कला संकाय में संगीत, भूगोल, चित्रकला, मनोविज्ञान, कम्प्यूटर एप्लीकेशन तथा भाषा प्रयोगशाला में प्रयोगशाला शुल्क लिया जायेगा।

\*\* उन विद्यार्थियों से जिनका विश्वविद्यालय में नामांकन होना है।

### 5. विद्यावाचस्पति शुल्क

1. पंजीकरण शुल्क (विश्वविद्यालय में)	रु. 5,000/- एक बार
2. शिक्षण शुल्क (केवल छात्रों से) (महाविद्यालय में)	रु. 4,000/- प्रतिवर्ष
3. परीक्षण शुल्क (थीसिस प्रस्तुत करते समय) (विश्वविद्यालय में)	रु. 10,000/- एक बार

शोध विद्यार्थी को पंजीयन आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय विवरणिका उपलब्ध करवायी जायेगी।

शोध छात्र द्वारा पंजीकृत होने की तिथि से शुल्क देय होगा। प्रवेश के समय निम्नांकित स्थानीय शुल्क भी जमा करना होगा।

### स्थानीय शुल्क

4. प्रवेश शुल्क	रु. 300/- एक बार
5. वाचनालय शुल्क	रु. 150/- प्रतिवर्ष
6. छात्र सहायता निधि शुल्क	रु. 50/- प्रतिवर्ष
7. परिचय—पत्र शुल्क (RFID/Smart Card)	रु. 100/- प्रतिवर्ष
8. साईकिल स्टेण्ड शुल्क	रु. 100/- प्रतिवर्ष
9. प्रयोगशाला शुल्क (विज्ञान संकाय) (गणित व सांख्यिकी को छोड़कर)	रु. 300/- प्रतिमाह

10. छात्र-संघ शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 70/- प्रतिवर्ष
11. छात्र-संघ चुनाव शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 40/- प्रतिवर्ष
12. छात्र-संघ शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 70/- प्रतिवर्ष
13. छात्र-संघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 40/- प्रतिवर्ष
14. पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 60/- प्रतिवर्ष
15. पत्रिका शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 40/- प्रतिवर्ष
16. पुस्तकालय अवधान द्रव्य (वापस देय)	रु. 200/- एक बार
17. प्रयोगशाला अवधान द्रव्य (विज्ञान संकाय में)	रु. 300/- एक बार
18. पुस्तकालय मुक्त प्रणाली शुल्क	रु. 130/- प्रतिवर्ष
19. विकास शुल्क	रु. 450/- प्रतिवर्ष
20. विषय/संकाय परिषद् शुल्क	रु. 60/- प्रतिवर्ष

#### टिप्पणियाँ :

1. विश्वविद्यालय के संघटन एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं विश्वविद्यालय कर्मचारी से, जो विद्यावाचस्पति की उपाधि हेतु पंजीकृत होते हैं, शिक्षण तथा प्रयोगशाला शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्हें केवल प्रवेश एवं पंजीकरण शुल्क देना होगा।
2. आई.सी.ए.आर., यू.जी.आई.आई., आई.सी.एस.एस.आर. इत्यादि की शोध योजनाओं के अन्तर्गत कार्य कर रहे शोध छात्रों को जो विद्यावाचस्पति के लिए पंजीकृत हैं और यदि वे अधिष्ठाता की पूर्वानुमति से विभाग के शिक्षण कार्य में आवश्यक कालांश का शिक्षण कार्य करते हैं तो उन्हें शिक्षण शुल्क से मुक्ति दी जाएगी।
3. अध्यापक शोधकर्ता (Teachers Research Fellow) जो संकाय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करते हैं, के लिए शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।
4. छात्राओं के लिए भी शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के शोधकर्ता के लिए शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।
6. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आश्रितों को जो कि विद्यावाचस्पति के लिए पंजीकृत है, शिक्षण शुल्क से मुक्ति या पुनर्भरण देय नहीं है।
7. अवधान द्रव्य जो देय है, की राशि महाविद्यालय छोड़ने के एक वर्ष के अन्दर यदि छात्र द्वारा वापस नहीं ली गई तो अदेय होकर विश्वविद्यालय के लिए व्ययगत (Lapse) हो जाएगी।
8. विवरणिका में इंगित शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क वापस देय नहीं होगा।
9. परिचय पत्र खो जाने पर दूसरी प्रति के लिए रु. 100/- शुल्क देना होगा। स्मार्ट कार्ड की दूसरी प्रति के लिए शुल्क रु. 200/- देना होगा।

10. शोधार्थी प्रतिवर्ष सभी प्रकार के अपेक्षित शुल्क रजिस्ट्रेशन तिथि से एक माह के भीतर जमा कराएगा अन्यथा 500 रु. प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा अन्यथा अधिकतम प्रतिवर्ष 1000 रु. विलम्ब शुल्क देय होगा।
1. पी.एच.डी कार्यक्रम में जिन छात्रों को प्रवेश मिलता है विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक महीने के अन्दर महाविद्यालय शुल्क जमा कराना होगा।
  2. महाविद्यालय शुल्क जमा कराने के लिए उपस्थिति पत्र शोध निर्देशक के हस्ताक्षर और सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिये।
  3. यदि कोई शोधार्थी एक वर्ष से अधिक समय तक महाविद्यालय शुल्क नहीं जमा कराता है तो उसका पंजीयन निरस्त हो जायेगा।
  4. पंजीकरण के द्वितीय वर्ष के पश्चात महाविद्यालय शुल्क उन्हीं शोधार्थियों से प्राप्त की जावेगी जिन्होंने अधोहस्ताक्षकर्ता से वार्षिक प्रतिवेदन जमा करने का प्रमाण—पत्र प्राप्त किया है।
11. उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वतंत्रता सैनानी के वार्ड से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जायेगा।
12. ऐसे विद्यार्थी जो अपनी पीएच.डी. सम्पूर्ण कर जमा करवाना चाहते हैं वे रजिस्ट्रेशन की दिनांक से एक माह की अवधि में यदि अपना शोध ग्रंथ (Thesis) जमा करवाते हैं तो शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।

## 6. शुल्क वापसी (Refund of Fees)

- (क) विद्यार्थी द्वारा जमा कराये गये समस्त शुल्क में से रु. 1000/- (एक हजार रुपये) प्रवेश प्रक्रिया का काटकर पुनः तभी लौटाया जा सकेगा जब प्रवेश की अंतिम तिथि तक उसको आवंटित की गई सीट भर ली गई हो।
- (ख) प्रवेश शुल्क की वापसी किसी भी स्थिति में नहीं होगी।
- (ग) जिस विद्यार्थी को किसी प्रलेख के प्रस्तुत नहीं करने के कारण अस्थाई प्रवेश दिया गया है और वह निर्धारित अवधि में उस प्रलेख को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसका प्रवेश रद्द होने पर उसका अवधान द्रव्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी शुल्क वापस नहीं लौटाया जायेगा।
- (घ) यदि किसी विद्यार्थी को पूरक परीक्षा अथवा अन्य किसी भी कारण से अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाता है परन्तु बाद में पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने अथवा अन्य कारण से अगली कक्षा में प्रवेश के अयोग्य घोषित होने के कारण उसका अगली कक्षा का प्रवेश निरस्त हो जाता है तो उसके द्वारा अगली कक्षा के लिए जमा कराया गया शुल्क, अवधान द्रव्य के अतिरिक्त वापस देय नहीं होगा।
- (ङ) शुल्कों की वापसी के लिए सभी कार्यवाही प्रत्येक सत्र में अक्टूबर माह के पश्चात् ही होगी परन्तु विद्यार्थी द्वारा वर्ष के अंत तक इस राशि की मांग नहीं करने पर वह राशि व्ययगत (Lapse) हो जायेगी।

## 7. विश्वविद्यालय के अन्य शुल्क

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. नामांकन   | 250 रुपये        |
| 2. योग्यता शुल्क   |                  |
| (i) राजस्थान के राज्य स्तर के विश्वविद्यालय                  | रु. 200/- एक बार |
| (ii) राजस्थान राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय सभी निजी वि.वि. | रु. 500/- एक बार |
| एवं सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (राजस्थान बोर्ड को छोड़कर)     |                  |

3.	माइग्रेशन प्रमाण पत्र	200 रुपये
4.	वरीयता प्रमाण पत्र	200 रुपये
5.	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र	100 रुपये
6.	बाह्य विद्यार्थियों के परीक्षा फार्मों का अग्रेषण	20 रुपये
7.	चरित्र प्रमाण पत्र/नियमित छात्र प्रमाण पत्र	20 रुपये
8.	प्रोविजनल प्रमाण पत्र	100 रुपये
9.	पुनर्मूल्यांकन शुल्क – स्नातक स्तर	300 रुपये प्रति पेपर
10.	पुनर्मूल्यांकन शुल्क – स्नातकोत्तर स्तर	350 रुपये प्रति पेपर
11.	डुप्लिकेट अंकतालिका (2008 से 2012 तक)	500 रुपये
12.	डुप्लिकेट अंकतालिका (2008 से पूर्व की)	1000 रुपये
13.	डुप्लिकेट प्रोविजनल प्रमाण पत्र	500 रुपये
14.	डुप्लिकेट माइग्रेशन प्रमाण पत्र	300 रुपये
15.	डुप्लिकेट डिग्री	1500 रुपये
16.	सत्यापन प्रमाण पत्र (प्रति प्रमाण–पत्र)	300 रुपये
17.	ट्रान्सक्रिप्ट (प्रति ट्रान्सक्रिप्ट)	500 रुपये

## 8. परीक्षा शुल्क

S.No.	Name of Exam	Regular	Ex-student	Non-Coll. (Incl. Dev. & other fee)
1.	B.A./ B.A. (Hon's) B.Com./ B.Com. Hon's/ All B.Sc. for each part & Add. Sub. for all faculties	600	800	1100
2.	M.A./ M.Sc./ M.Com. (previous & final) and M.Tech. Geology	800	1000	1300
3.	For Improvement of Paper in U.G. P.G.		800 1000	1100 1300
4.	M.Phil (Arts / Commerce)	2000	2200	
5.	B.Ed.	1350	1500	
6.	M.Ed.	1350	1500	

7.	LL.B. each part	800	1000
8.	B.B.A. LL.B. per semester	700	900
9.	LL.M. each part	1000	1200
10.	B.Lib. Sc.	800	1000
11.	M.Lib. Sc.	1100	1300
12.	B.P.E. I/II/III for each part	1350	1500
13.	M.P.E. (P/F) for each part	1350	1500
14.	B.Pharma each part	1350	1500
15.	B.E. Each part / Sem.	1350	1500
16.	M.B.A./M.I.B./M.H.R.M./M.F.C.	1200	1500
	M.R.M/M.B.I./M.C.A (per sem./ part)		
17.	M.B.A. (executive)	1200	1500
	part I/II/III (each part / sem)		
18.	All U.G./P.G. Dip./ Cert.Courses	1100	1350
19.	B.V.A.	700	800
20.	B.C.A. annual	900	1100
21.	B.C.A. per semester	700	900
22.	B.P.Ed.	700	900
23.	M.T.M. each part / sem.	1200	1600
24.	M.Sc. I.T.	1100	1250
25.	M.B.A. (Service sector) per sem.	1100	1250
26.	B.M.S.	1100	1250
27.	Electronic Comp. App. practicals	200	350
28.	B.T.M./B.H.M./B.B.M. each sem/part	880	1030
29.	M.Pharm. each part/sem	1100	1250

## 9. परीक्षा आवेदन पत्र (**Admission Card**)

परीक्षा आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क तथा प्रलेखों के साथ प्राप्त होने पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा उसकी जांच की जायेगी तथा उसके समुचित पाये जाने पर परीक्षार्थी को संबंधित परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा। प्रवेश पत्र खो जाने अथवा नष्ट होने के बारे में परीक्षा नियंत्रक/केन्द्राध्यक्ष के संतुष्ट होने

पर 10 रुपये के भुगतान पर दूसरी प्रति दे दी जायेगी।

## 10. छात्रावास शुल्क (Hostel Fees)

छात्रावास सम्बन्धी शुल्कों के लिए छात्रावास विवरण का अवलोकन करें।

### 11. विधि महाविद्यालय शुल्क विवरण

#### (क) शिक्षण शुल्क (जुलाई–जून)

##### — स्नातक

आयकर देने वाले अथवा उनके वार्ड	400 रुपये प्रतिमाह
आयकर न देने वाले अथवा उनके वार्ड	300 रुपये प्रतिमाह

##### — डिप्लोमा श्रम विधि

आयकर देने वाले अथवा उनके वार्ड	400 रुपये प्रतिमाह
आयकर न देने वाले अथवा उनके वार्ड	350 रुपये प्रतिमाह

##### — निष्णात

600 रुपये प्रतिमाह

टिप्पणी : विदेशी छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क आयकर देने वालों की श्रेणी के शुल्क का पांच गुना होगा।

#### (ख) स्थानीय शुल्क

1. वाचनालय पठन कक्ष शुल्क	60 रुपये प्रतिवर्ष
2. छात्र सहायता निधि शुल्क	40 रुपये प्रतिवर्ष
3. पुस्तकालय मुक्त प्रणाली शुल्क	50 रुपये प्रतिवर्ष
4. विकास शुल्क	170 रुपये प्रतिवर्ष
5. साईकिल स्टेण्ड नियमित विद्यार्थी	50 रुपये प्रतिवर्ष
6. परिचय पत्र शुल्क	40 रुपये प्रतिवर्ष
7. मनोरंजन शुल्क	30 रुपये प्रतिवर्ष
8. छात्र न्यायालय (मूटकोर्ट) शुल्क	150 रुपये प्रतिवर्ष
9. वाद–विवाद एवं सांस्कृतिक गतिविधियां शुल्क	60 रुपये प्रतिवर्ष
10. पुस्तकालय द्रव्य (वापस देय)	
अ— स्नातक	350 रुपये एक बार
ब— निष्णात (एलएल.एम./डिप्लोमा इन लेबर लॉ)	650 रुपये एक बार
11. क्रीड़ा शुल्क	100 रुपये प्रतिवर्ष
12. स्पोर्ट बोर्ड शुल्क	60 रुपये प्रतिवर्ष
13. छात्रसंघ शुल्क (महाविद्यालय)	80 रुपये प्रतिवर्ष
14. छात्रसंघ चुनाव शुल्क (महाविद्यालय)	40 रुपये प्रतिवर्ष

15. छात्रसंघ शुल्क (विश्वविद्यालय)	70 रुपये प्रतिवर्ष
16. छात्रसंघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	40 रुपये प्रतिवर्ष
17. पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	50 रुपये प्रतिवर्ष
18. पत्रिका शुल्क (विश्वविद्यालय)	25 रुपये प्रतिवर्ष
19. प्रेक्टिकल डायरी, टाई एवं लीगल कैम्प	250 रुपये प्रतिवर्ष
20. तकनीकी जर्नल एवं साफ्टवेयर फीस	150 रुपये प्रतिवर्ष
<b>(ग) अन्य शुल्क</b>	
प्रवेश शुल्क	100 रुपये (केवल नये विद्यार्थियों)
नामांकन शुल्क*	250 रुपये प्रतिवर्ष
योग्यता शुल्क**	
(i) राजस्थान के राज्य स्तर के विश्वविद्यालय	रु. 200/- एक बार
(ii) राजस्थान राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय सभी निजी वि.वि.	रु. 500/- एक बार
एवं सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (राजस्थान बोर्ड को छोड़कर)	
* केवल उन्हीं से लिया जायेगा जो विश्वविद्यालय में पहले से नामांकित नहीं हुए हो।	
** राज्य के बाहर से आने वाले विद्यार्थियों से नामांकन शुल्क के अतिरिक्त।	

**नोट :**

1. शुल्क विश्वविद्यालय के विवेकाधिकार पर समय—समय पर पुनरीक्षित अथवा उपान्तरित किये जा सकते हैं।
2. सभी शुल्क प्रवेश के समय लिये जायेंगे।
3. अवधान द्रव्य की राशि महाविद्यालय छोड़ने के एक वर्ष के अन्दर विद्यार्थी द्वारा वापस नहीं ली गई तो विश्वविद्यालय को व्ययगत हो जाएगी और वापस देय नहीं होगी।
4. परिचय—पत्र खो जाने पर दूसरी प्रति के लिए 100 रुपये शुल्क लिया जायेगा।
5. जुर्माना सहित बकाया (एरियर्स) पुनः प्रवेश शुल्क 5 रुपया के भुगतान पर काटे गए नाम को पुनः लिखना अधिष्ठाता के विवेकाधिकार में होगा।
6. उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वतंत्रता सैनानी के वार्ड से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जायेगा।
7. उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निम्न श्रेणी के विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।
  - (a) स्नातक भारतीय छात्राएं राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 13(25)शिक्षा-1/77, दिनांक 27.12.89, सु.वि.वि. पृ.क्र. 13/(37)/सामान्य/1994-1701, दिनांक 9.1.1990 तथापि पूर्ववत् स्वपोषित व्यवसायिक एवं निस्तारित (Extended) पाठ्यक्रमों में अन्य शुल्कों के साथ—साथ शिक्षण शुल्क भी लिया जाता रहेगा।
  - (b) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों (क्रीमिलेयर को छोड़कर) विद्यार्थियों से।
8. परीक्षा शुल्क के साथ प्रति परीक्षार्थी ई—सुविधा शुल्क रुपये 100/- लिया जायेगा।

## सामान्य अनुशासन नियम (General Discipline Rules)

1. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सामान्य अनुशासन के नियम विश्वविद्यालय तथा इसके सभी संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के विद्यार्थियों पर लागू होंगे।
  2. परिभाषाएँ : सामान्य अनुशासन विद्यार्थियों द्वारा अच्छे व्यवहार की अनुपालना है। अनुशासनहीनता में निम्नलिखित व्यवहार सम्मिलित हैं –
    - (क) उपस्थिति में लगातार अनियमितता, सामूहिक रूप से कक्षाएँ छोड़ना और प्रदत्त कार्य में लापरवाही करना।
    - (ख) कक्षा-कक्ष, कार्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास, खेलकूद के मैदान, महाविद्यालय परिसर, विश्वविद्यालय प्रशासनिक कार्यालय और विश्वविद्यालय परिसर में अशांति उत्पन्न करना या बाधा डालना या उपद्रव करना।
    - (ग) विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्रभारी के नियमानुसार आदेशों, नियमों की अवज्ञा करना तथा उन्हें चुनौती देना।
    - (घ) सभी प्रकार की जांच परीक्षाओं, परीक्षा-कार्यों, पाठ्यक्रम सम्बन्धी तथा सह-पाठ्यक्रम सम्बन्धित कृत्यों, विद्यार्थी संघों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के चुनावों इत्यादि में दुराचरण, दुर्व्यवहार या अनुचित साधनों का उपयोग करना।
    - (ङ) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय/संस्थान के शैक्षणिक, शैक्षणिक वैधानिक घटकों के किसी सदस्य अथवा किसी सहपाठी के प्रति दुर्व्यवहार या दुराचरण करना।
    - (च) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान की सम्पत्ति (जिसमें पुस्तकालय की पुस्तकें तथा सामयिक पत्रिकाएँ भी सम्मिलित हैं) को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना अथवा उन पर कुचित्र अंकित करना, अपशब्द लिखना अथवा उनका कोई अन्य दुरुपयोग करना।
    - (छ) भ्रामक प्रचार या अफवाहें फैलाना/भड़काना या उकसाना।
    - (ज) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रांगण या परिसर में नशीला पेय या मादक औषधि/सामग्री का उपयोग करना।
    - (झ) मांगने पर परिचय पत्र प्रस्तुत करने से इंकार करना।
    - (ज) अध्ययन काल में परिसर या परिसर के बाहर अपराध या किसी प्रकार के आपराधिक/ दण्डनीय कृत्यों में संलग्न होना।
    - (त) उपर्युक्त मद 2 (ख) में उल्लेखित विश्वविद्यालय स्थानों में अपने पास अस्त्र-शस्त्र रखना।
    - (थ) किसी अवसर पर छद्म व्यक्तिता (Impersonation)
    - (द) उपर्युक्त कृत्यों में से किसी के भी संबंध में अन्य व्यक्ति को उत्तेजित करना/उकसाना।
- नोट :** परीक्षाओं ता छात्रावासों से संबंधित अनुशासनहीनता के संबंध में अनुशासन सम्बन्धी सामान्य नियमों के साथ छात्रावासों/परीक्षाओं में अनुचित साधनों तथा अव्यवस्थित व्यवहार के मामले के लिये निर्धारित नियम लागू होंगे।

### 3. अनुशासन पर्यवेक्षण (Supervision of Discipline)

अनुशासन विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निम्नलिखित द्वारा सहभाजित किया जायेगा –

- (अ) संस्थाध्यक्ष, अधिष्ठाता, प्राचार्य
- (इ) प्रमुख प्रॉफेटर
- (उ) महाविद्यालय सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष/छात्र कल्याण के सहायक अधिष्ठाता/सहायक कुल सचिव/प्रॉफेटर
- (क) विभागों के अध्यक्ष
- (ए) छात्रावास वार्डन तथा प्रमुख वार्डन
- (ऐ) शारीरिक शिक्षाधीक्षक, खेल शिक्षक एवं शैक्षणिक यात्रा प्रशिक्षण प्रभारी।

#### **4. प्रॉफेटोरियल बोर्ड (Proctorial Board)**

- (क) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए कुलपति द्वारा एक प्रॉफेटोरियल बोर्ड का गठन किया जायेगा। विश्वविद्यालय एवं इसके शिक्षार्थियों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिसर अथवा उसके बाहर होने वाले अनुशासन सम्बन्धित सभी प्रकरण/मामले इस प्रॉफेटोरियल बोर्ड के क्षेत्राधिकार में निहित होंगे। विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यालय, सम्बन्धित महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय, खेल के मैदान, छात्रावास आदि सम्पत्ति हैं।
- (ख) प्रॉफेटोरियल बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित होगा –
  1. प्रमुख प्रॉफेटर (अध्यक्ष)
  2. सभी संघटक महाविद्यालय के प्रॉफेटर
  3. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा मनोनीत सदस्य
- (ग) प्रॉफेटोरियल बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे –
  1. विश्वविद्यालय से संबंधित सभी अनुशासन प्रकरणों में कुलपति को परामर्श और सहायता देना।
  2. विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखना।
  3. विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए स्थानीय नागरिक प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क रखना।
  4. विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता के प्रकरणों पर कार्यवाही करना।
  5. ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिनमें अनुशासनहीनता के प्रकरणों पर रोक लगे।
  6. अनुशासनहीनता के प्रकरणों में आपराधिक एवं अन्य पुलिस मामलों के अभियोजन के लिए विश्वविद्यालय अधिकारियों की सहायता करना है।

#### **5. अधिकारों के प्रयोग हेतु क्रियाविधि (Procedure for Exercise of Powers)**

- (क) कुलपति एवं संस्थाध्यक्षों के अतिरिक्त समस्त प्राधिकारी अनुशासनहीनता के मामलों में संक्षिप्त प्रक्रिया के पश्चात् अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। कुलपति एवं संस्थाध्यक्ष किसी भी मामले में अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग मामले पर संक्षिप्त विचार के बाद या आवश्यक समझें तो अनुशासन समिति की सहायता से कर सकते हैं।
- (ख) अनुशासन समिति का गठन :

- (i) विश्वविद्यालय स्तर (University Level) : कुलपति द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय स्तरीय अनुशासन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा –
- |   |              |
|---|--------------|
| (अ) अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ प्राध्यापक (कोई एक) | (अध्यक्ष)    |
| (ब) छात्र–कल्याण अधिष्ठाता                            | (सदस्य)      |
| (स) विश्वविद्यालय के शिक्षकों में कोई दो              | (सदस्य)      |
| (द) प्रमुख प्रॉफेटर                                   | (सदस्य सचिव) |
- (ii) संस्था/महाविद्यालय स्तर (Institution/College Level) : अधिष्ठाता द्वारा मनोनीत अनुशासन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा –
- |   |              |
|---|--------------|
| (अ) अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ प्राध्यापक (कोई एक) | (अध्यक्ष)    |
| (ब) छात्र–कल्याण अधिष्ठाता                            | (सदस्य)      |
| (स) महाविद्यालय के दो प्राध्यापक                      | (सदस्य)      |
| (द) प्रॉफेटर  | (सदस्य सचिव) |

**6. अनुशासन समिति द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया (Procedure to be followed by Discipline Committee)**

- (1) समिति अनुशासनहीनता के ऐसे प्रकरण की जांच करेगी जो कुलपति/संस्थाध्यक्ष द्वारा उसे निर्देशित किया जाए।
- (2) जब कोई विद्यार्थी गंभीर आपराधिक कार्य, गंभीर दुराचरण, कार्य की अनवरत् लापरवाही अथवा दुर्व्यवहार का आरोपी/दोषी हो अथवा विश्वविद्यालय/संस्थान के कार्यविधि एवं कर्तव्य पालन के समय में दुर्व्यवहार आदि के कारण किसी विद्यार्थी के विरुद्ध विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई हो तो उसे कुलपति/महाविद्यालय के अधिष्ठाता/विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों के अध्यक्ष, जहां विद्यार्थी अध्ययनरत हो, तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर देंगे। निलम्बन काल में विद्यार्थी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की किसी भी गतिविधियों में (परीक्षा में बैठने सहित) भाग लेने तथा अपनी कक्षाओं में उपस्थित होने के अयोग्य होगा। जब विद्यार्थी छात्रावास से भी निलम्बित जांच काल में हो तो वार्डन अथवा प्रमुख वार्डन ऐसे विद्यार्थी को छात्रावास से भी निलम्बित कर सकते हैं। यदि पुलिस के द्वारा किसी न्यायालय में विद्यार्थी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर दिया गया हो तो उसे तत्काल निलम्बित कर दिया जाएगा।
- (3) कोई विद्यार्थी जो इस प्रकार निलम्बित किया गया हो अथवा जिसे निकाल दिया गया हो विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय/अन्य शिक्षण इकाई में, बिना उस अधिकारी की अनुमति के जिसने उसे निलम्बित किया/निकाला था, प्रवेश के लिए अयोग्य होगा।
- (4) जांच समिति के बारे में संबंधित विद्यार्थी को सूचना दी जायेगी तथा उसे अपने पक्ष को समिति के सामने प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।
- (5) जांच समिति के बारे में संबंधित विद्यार्थी की सभी सूचनाएँ महाविद्यालय के पते पर तथा उसके घर के पते अथवा प्रवेश आवेदन–पत्र में दिये पते पर भेजी जाएगी।

- (6) यदि सम्बन्धित विद्यार्थी जांच कार्य में अनुपस्थित रहता है अथवा असहयोग करता है अथवा अवरोध प्रस्तुत करता है तो समुचित सूचना देने के बाद, जांच एक पक्षीय पूरी की जा सकती है।
- (7) जांच के किसी भी चरण में किसी भी पक्षकार की तरफ से किसी अधिवक्ता को उपस्थित करने की अनुमति नहीं होगी।
- (8) अनुशासन समिति अपनी बैठक करके उचित विचार—विमर्श के बाद समुचित दण्ड, जिसमें जुर्माना, निश्चित अवधि के लिए निष्कासन अथवा इन दोनों की अनुशंसा करेगी। दण्ड की कार्यान्वित निलम्बित करने वाले अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- (9) अनुशासन समिति के प्रतिवेदन पर कुलपति/संस्थाध्यक्ष द्वारा विचार किया जाएगा और उचित विचार के बाद वह इस पर जैसा उचित समझे वैसा आदेश प्रदान करेंगे। उस आदेश की एक प्रति विद्यार्थी को दी जाएगी तथा उसकी अन्य प्रति महाविद्यालय के सूचना—पट्ट पर लगा दी जाएगी।

## 7. अपील का अधिकार (Right to Appeal)

- (1) विद्यार्थी को संकाय सदस्य द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध पांच दिनों के अन्दर—अन्दर संस्थाध्यक्ष से अपील करने का अधिकार होगा।
- (2) विद्यार्थी को संस्थाध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध कुलपति से एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के मामलों में निदेशक महाविद्यालय शिक्षा राजस्थान से अपील करने का अधिकार होगा। ऐसी अपील आदेश निर्गमन की तिथि के 15 दिन के अन्दर—अन्दर अवश्य कर देनी चाहिए।

**टिप्पणियाँ :**

- (अ) किसी भी विद्यार्थी को जिसे निलम्बित या निष्कासित या अस्थाई रूप से निकाला गया है, किसी अन्य महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की अन्य शिक्षण इकाई में बिना उस अधिकारी की, जिसने उसे निलम्बित निष्कासित या अस्थाई रूप से निकाला था, पूर्वानुमति के प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा और न ही कोई ऐसा विद्यार्थी जिसे अस्थाई रूप से निकाला गया है, इस निष्कासन अवधि में किसी अन्य महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकेगा। दण्ड देने वाला अधिकारी ऐसे दण्ड आदेशों को अन्य महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को सूचित तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित करेगा।
- (आ) निष्कासन एवं रेस्टीकेशन के सभी मामले प्रबन्ध बोर्ड को प्रतिवेदित किये जायेंगे।
- (इ) ऐसा कोई भी मामला जो अनुशासन से संबंधित हो और उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत नहीं आता हो, उसे जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, संस्थाध्यक्ष निपटाएगा। ऐसे मामलों पर लिए गए निर्णय कुलपति द्वारा पुनर्विचार योग्य होंगे।
- (ई) संस्थाध्यक्ष दिए जाने वाले दण्ड का आलेख करेंगे और निष्कासन और रेस्टीकेशन या अन्य किसी कठोर दण्ड की दशा में विद्यार्थी के चरित्र प्रमाण—पत्र में इसका समुचित उल्लेख करेंगे।
- (उ) अनुशासनहीनता के लिए लगाया गया दण्ड बकाया शुल्क के रूप में वसूल किया जाएगा। चूक होने पर उपस्थित पंजिका से विद्यार्थी का नाम काट दिया जाएगा।

## 8. अपील का निपटारा (Disposal of Appeal)

- (1) संस्थाध्यक्ष स्वयं या उपर्युक्त संख्या 6 के अन्तर्गत गठित समिति की सहायता से अपील को निपटा सकेंगे।
- (2) कुलपति स्वयं या उनके द्वारा गठित समिति की सहायता से अपील को निपटा सकेंगे।
- (3) अपील पर विचार किया जाकर उसका समुचित समयावधि में निपटारा किया जाएगा। कुलपति या समिति द्वारा जैसी भी दशा हो, अपीलकर्ता छात्र को चाहने पर उसे व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहने का एक अवसर दिया जा सकेगा और कुलपति अपील पर विचार करने और यदि जांच समिति गठित की गई हो तो इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद मामले का पुनः निरीक्षण कर सकेंगे तथा उचित विचार के बाद दण्ड पर सहमति अथवा इसमें वृद्धि अथवा कमी कर सकेंगे अथवा विद्यार्थी को निर्दोष घोषित कर सकेंगे अथवा जैसा उचित समझे आदेश जारी करेंगे, जो अन्तिम होगा।

## रैगिंग विरोधी नियम एवं दण्ड के प्रावधान (Anti-Ragging Rules and Provisions for Punishment)

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय, पुस्तकालय, खेल के मैदान, छात्रावास, प्रयोगशाला अथवा परिसरों में 'रैगिंग' लेना कानूनी रूप से दण्डनीय अपराध है। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार छ: माह का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये अथवा दोनों दण्ड के रूप में दिए जा सकते हैं।

**रैगिंग का अर्थ :**

किसी विद्यार्थी को अन्य विद्यार्थी अथवा विद्यार्थियों के समूह द्वारा पीड़न, उत्पीड़न या भयाक्रांत करना, मानसिक एवं शारीरिक वेदना पहुंचाना, निर्दयता का व्यवहार करना, मानवाधिकार के अन्तर्गत प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा के अधिकार को क्षति पहुंचाना अथवा उनका हनन या उल्लंघन करना, कामुक—अश्लील हरकतें करने को बाध्य करना अथवा न करने पर शारीरिक—मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, ऐसा कायिक एवं वाचिक व्यवहार करना जिसके कारण कोई असुरक्षित, असहाय, शोषित एवं पीड़ित अनुभव करे, संस्थान की सम्पत्ति एवं सुविधाओं को क्षति पहुंचाना, अभद्र भाषा एवं अपशब्दों का प्रयोग करना, किसी की महत्वाकांक्षा, लक्ष्य अथवा प्रशिक्षण में बाधा पहुंचाना अथवा ऐसा अवरोध पैदा करना कि इनकी पूर्ति में कठिनाईयाँ बढ़ जाय, संस्थान द्वारा स्वीकृत अनुशासन के मापदण्डों के विरुद्ध व्यवहार करना रैगिंग के अन्तर्गत माना गया है।

**नोट :** परिचय पार्टी में किये जाने वाले मनोविनोद अथवा हंसी मजाक 'रैगिंग' में सम्मिलित नहीं है।

### रैगिंग निरोधी प्रबन्धन

- (1) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर रैगिंग निरोधी दस्तों का गठन एवं उनके द्वारा परिसरों का निरीक्षण।
- (2) रैगिंग विरोधी अधिकारियों के नाम, पद, दूरभाष नं. आदि का प्रकाशन जिनसे रैगिंग की स्थिति में पीड़ित छात्र/छात्रों द्वारा शीघ्र सम्पर्क किया जा सके।
- (3) नव प्रवेशित विद्यार्थी को मित्र—समूह के साथ रहने की सलाह दी जावे। वे अनावश्यक धनराशि साथ न लावे।
- (4) रैगिंग विरोधी पोस्टर, संदेश अथवा सूचना पत्रों को ध्यान से पढ़े एवं उनमें दिये गये सुझावों पर अमल करें।
- (5) विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी अथवा किसी परिचित वरिष्ठ साथी को नव—प्रवेशित विद्यार्थी द्वारा प्रवेश के प्रारम्भिक दिनों का विवरण प्रतिदिन बताना चाहिए।

### दण्ड के प्रावधान

रैगिंग की सूचना प्राप्त होने एवं प्रक्रिया द्वारा उसके सिद्ध/प्रमाणित होने पर निम्न दण्ड (रैगिंग की गंभीरता के अनुसार) दिये जा सकते हैं :—

- (1) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के माध्यम से देय सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों अथवा सुविधाओं पर प्रतिबंध। इसे दोषी छात्र के अभिभावकों को सूचित करना।
- (2) विश्वविद्यालय में दिये गये प्रवेश को निरस्त करना।
- (3) रैगिंग निरोधी समिति द्वारा विशेष अवधि तक कक्षा में प्रवेश को निषिद्ध करना।
- (4) छात्रावास में दिये गये प्रवेश को निरस्त करना।
- (5) रैगिंग की गंभीरता के अनुसार अन्य शैक्षणिक संस्थानों में दिये जाने वाले प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना।

- (6) “आपराधिक रैगिंग” में पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाना।
- (7) रैगिंग के दोषी विद्यार्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण पत्र एवं डिग्री में इस तथ्य का उल्लेख करना कि ‘अमुक डिग्रीधारी रैगिंग लेने का दोषी है।
- (8) रैगिंग लेने वाले विद्यार्थी के नाम एवं पते के साथ दी गई सजा को समाचार पत्र में प्रकाशित करना।
- (9) जिला एवं पुलिस प्रशासन को रैगिंग के दोषी विद्यार्थी की सूची देना एवं पुनरावृत्ति न करने को पाबन्द करवाना।
- (10) रैगिंग में व्यक्ति विशेष के दोषी न होने पर रैगिंग लेने वाले पूरे समूह को उपर्युक्त किसी भी दण्ड का पात्र माना जाकर सभी को दण्डित किया जा सकता है।
- (11) यदि किसी अखबार/समाचार पत्रिका में रैगिंग लेने वाले विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय के नाम के साथ प्रकाशित होता है तो इसे भी ‘रैगिंग योग्य केस’ मानकर उल्लेखित विद्यार्थी को दण्डित किया जा सकता है। पीड़ित विद्यार्थी द्वारा ‘रैगिंग निरोधी दस्ते’ को लिखित सूचना देना अनिवार्य नहीं है।
- (12) रैगिंग की अधिकतम सजा छः माह का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों सजाएँ साथ—साथ दी जा सकती है।
- (13) रैगिंग लेना अथवा रैगिंग लेने को उकसाना समान रूप से दण्डनीय है।
- (14) प्रवेश के प्रारम्भिक दिनों में सक्षम अधिकारियों द्वारा रैगिंग योग्य संवेदनशील स्थानों की ऑडियो—विडियोग्राफी करवाई जाएगी और उसमें ‘रैगिंग समकक्ष व्यवहार’ प्रमाणित होने पर संबंधित छात्र के प्रति प्रकरण बनाकर उसे प्रावधानों के अनुसार दण्डित किया जा सकेगा।  
रैगिंग सम्बन्धी मामलों की सुनवाई एवं निर्णय माननीय कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित प्रावधानों एवं प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

### **सुझाव/मार्गदर्शन**

- (1) वरिष्ठ विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कनिष्ठ साथियों को संरक्षण, सुरक्षा एवं सुविधा देकर उनका प्रेम/आदर प्राप्त करें, न कि उन्हें पीड़ित एवं प्रताड़ित करके।
- (2) इस तरह के हानिकारक, प्रतिष्ठा गिराने वाले, असामाजिक एवं अवांछनीय कृत्य से स्वयं को एवं साथियों को बचाएँ। भविष्य को उज्ज्वल, सुखद एवं गौरवशाली

## परीक्षा सम्बन्धी अनुशासन (Discipline During Examination)

### 1. अनुशासनहीनता (Indiscipline)

परीक्षा सम्बन्धी अनुशासन का अर्थ है परीक्षा के दौरान अच्छा आचरण। परीक्षा के दौरान अनुशासनहीनता में निम्न सम्मिलित होंगे –

#### (क) दुराचरण तथा दुर्व्यवहार, जैसे –

- (i) बहिष्कार तथा बहिर्गमन,
- (ii) दूसरों को बहिष्कार तथा बहिर्गमन के लिए उकसाना,
- (iii) दत्तर-पुस्तिका अथवा प्रश्न-पत्र फाड़ना, सभी परीक्षार्थियों से उत्तर-पुस्तिकाएँ अथवा प्रश्न-पत्र छीनना तथा हटाना,
- (iv) परिवीक्षक-वर्ग को अथवा सह-परीक्षार्थियों को गाली देना, छेड़ना तथा डराना और रोकना,
- (v) परीक्षार्थियों के निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करना/पालन नहीं करना, प्रवेश पत्र/परिचय पत्र देने से इंकार करना, शक्ति का प्रदर्शन अथवा प्रयोग करना, हथियार व चोट करने वाले पदार्थ साथ में रखना ऐसा कोई भी कार्य करना जिससे विश्वविद्यालय परीक्षा-कार्य के नियमित संचालन में बाधा उत्पन्न हो। उपर्युक्त किसी एक अथवा अधिक कार्यों को बढ़ावा देना या स्वयं करना।

#### (ख) अनुचित साधनों का प्रयोग जैसे –

- (i) विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अथवा उनके कार्यालय के किसी व्यक्ति अथवा परीक्षा अधीक्षक अथवा परीक्षा संचालन से सम्बद्ध किसी व्यक्ति अथवा प्रश्न-पत्र बनाने वाले परीक्षक तथा अन्य परीक्षक के नाम पूछने के लिए अथवा प्रश्न-पत्र में आने वाले प्रश्न जानने के लिए, अंक देने के लिए, परीक्षक पर प्रभाव डालने के लिए और इस प्रकार परीक्षा कार्य में परीक्षक को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए सम्पर्क करना और ऐसा प्रयत्न करना।
- (ii) प्रश्न-पत्र हल करने में किसी परीक्षार्थी/परीक्षा भवन के अथवा बाहर के किसी व्यक्ति से सहायता लेना तथा हल करने में किसी को सहायता देना।
- (iii) (अ) परीक्षा के समय प्रश्न-पत्र से सम्बद्ध कोई कागज, पुस्तक अथवा टिप्पणी आदि अपने पास में रखना।
- (आ) दवात के डिब्बे पर, पैमाने पर अथवा ड्राइंग बॉक्स पर अथवा टेबिल जिस पर छात्र बैठा है पर प्रश्न पत्र से सम्बन्धित कुछ लिखित सामग्री प्राप्त होना।
- (इ) शरीर के अंग, कपड़ों पर, उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कुछ भी प्रश्न-पत्र पर लिखा हुआ होना।
- (iv) परीक्षा काल में परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी अन्य अनुचित साधन जैसे – इशारे करना, हाव-भाव करना, बात करना, फुसफुसाना आदि का प्रयोग अथवा प्रयोग का प्रयत्न करना।
- (v) उत्तर-पुस्तिका की परीक्षा भवन से तस्करी अथवा किसी भी विद्यार्थी के स्थान पर अन्य के द्वारा परीक्षा दिया जाना या सहायता करना।
- (vi) परीक्षा में अन्य किसी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करना।

**2. अनुशासनहीनता पर कार्यवाही की प्रक्रिया (Procedure for dealing with indiscipline)**

परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में प्रयुक्त अनुचित साधनों के मामलों, अनुचित साधनों के प्रयोग की शंका के मामलों में व्यवहार—प्रक्रियाएँ निम्नलिखित होगी –

- (i) उपर्युक्त अनुशासनहीनता की परिभाषा के अनुसार जब किसी परीक्षार्थी पर अनुचित साधन प्रयोग की शंका की जाती है तथा उसे इसमें लिप्त पाया जाता है तो वीक्षक/उडनदस्ता अथवा केन्द्र अधीक्षक या तो स्वयं उसकी तलाश ले सकेगा अथवा किसी अन्य व्यक्ति से तलाशी का कार्य करा सकेगा। यदि तलाशी के परिणामस्वरूप विद्यार्थी के पास से लिखित सामग्री मिलती है तो परीक्षार्थी के साथ इन नियमों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।
- (ii) ज्यों ही किसी परीक्षार्थी पर शंका होती है, वह अनुचित साधनों का प्रयोग करता पाया जाता है या उसके अनुचित साधनों के प्रयोग पर आमादा होने का प्रतिवेदन मिलता है, तो उसकी उत्तर—पुस्तिका और उससे प्राप्त अनुचित सामग्री ले ली जायेगी और प्रश्न—पत्र के शेष प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए उसे नई उत्तर—पुस्तिका दी जायेगी, परन्तु उपर्युक्त नियम के अन्तर्गत 'अनुचित' आचरण अथवा दुर्व्यवहार के लिए परीक्षा केन्द्र अधीक्षक द्वारा दण्डित किये जाने की दशा में नई उत्तर—पुस्तिका नहीं दी जायेगी। दोनों उत्तर—पुस्तिकाएँ (जिन पर । व ॥ अंकित होगा) और परीक्षार्थी से प्राप्त सामग्री जहां तक सम्भव हो सके परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करवाकर और परीक्षा कक्ष—वीक्षक या उडनदस्ता व केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर करवाकर विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक को व्यक्तिगत नाम से भेजी जायेगी। परीक्षार्थी द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार करने की दशा में इस तथ्य का प्रतिवेदन में उल्लेख किया जायेगा।
- (iii) वीक्षक/उडनदस्ता अपना लिखित प्रतिवेदन देंगे। वीक्षक/उडनदस्ता के प्रतिवेदन की जानकारी तत्काल परीक्षार्थी को दी जायेगी और उसी स्थान पर उसे अपना लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा जाएगा।
- (iv) यदि परीक्षार्थी तत्काल अपना मंतव्य लिखने से इंकार करता है या केन्द्र से भाग जाता है तो उसका मामला वीक्षक/उडनदस्ता और केन्द्र अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निपटाया जायेगा।
- (v) केन्द्र—अधीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्धारित प्रारूप में उस प्रश्न पत्र के परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा।
- (vi)(अ)परीक्षक का प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् इसकी सम्बन्धित सामग्री के साथ एक समुपर्युक्त समिति द्वारा जांच की जायेगी तथा यदि उनके दृष्टिकोण से अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो वे निर्धारित प्रतिमानों के अन्तर्गत इसके लिए अस्थाई दण्ड निर्धारित करेंगे।
- (आ) सम्बन्धित परीक्षार्थी को पंजीयन डाक द्वारा उनके परीक्षा आवेदन—पत्र पर दिये गये पते पर सूचना भेजी जायेगी, जिसमें सूचना प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन की अवधि में यह कारण बताने का अवसर दिया जायेगा कि उसे अनुचित साधन प्रयोग करने का दोषी क्यों नहीं माना जाये तथा उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों नहीं दिया जाये।
- (इ) अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Examination Committee) द्वारा परीक्षार्थी के उत्तर पर गौर किया जायेगा। यदि वह निर्धारित अवधि में प्राप्त हो जाता है तथा तत्पश्चात् प्रत्येक मामले में परीक्षार्थी को दिये जाने वाले अन्तिम दण्ड का कुलपति की स्वीकृति पश्चात् आदेश प्रसारित किया जायेगा।

- (ई) अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Examination Committee) द्वारा सम्पूर्ण मामले की जांच पश्चात् प्रत्येक मामले में परीक्षार्थी को दिये गये अन्तिम दण्ड के आदेश को विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
- (उ) जहां कारण बताओ सूचना का परीक्षार्थी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Committee) द्वारा परीक्षार्थी को दिये जाने वाले दण्ड का प्रस्ताव किया जायेगा।
- (vii) किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को अपनी तरफ से विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली जांच में किसी वकील को प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी।

### 3. दण्ड के प्रतिमान

#### 1. Norms of Punishment

##### 1.1 Where a candidate is found having in his possession or within his reach any material relevant to the syllabus of the Examination paper concerned but has not copied from or used it :

- (a) If the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory Present Examination shall be cancelled, provided that if the material found in possession of the candidate is of insignificant nature, the punishment may be relaxed to the extent of cancellation of the examination of the particular paper (theory or practical) as the case may be and he/she will be treated as having obtained "Zero" mark in that paper with all the consequences to follow. However, if the candidate so desires, he/she will be given the option of appearing in the subsequent whole examination by canceling the present examination as a whole. If the material found in possession of the candidate is of significant nature then present examination of all papers shall be cancelled.
- (b) If the behaviour of the candidate on being caught is unsatisfactory Present examination shall be cancelled and he/she shall be further debarred for one subsequent examination if the examination is held once a year or two subsequent examination if the examination is held twice a year (i.e. Semester Exam.).

##### 1.2 Where a candidate is found to have copied from or used the material caught :

- (a) If the behaviour of candidate on being caught is satisfactory Present examination shall be cancelled and he shall be further debarred for one subsequent examination. If the examination is held once a year or two subsequent examination, if the examination is held twice a year (i.e. Semester exam.), provided that if the material found in

possession of the candidate and/or the extent of copying done by the candidate is of insignificant nature the punishment may be relaxed to the extent of canceling the present examination only by Unfairmeans Committee.

- (b) If the behaviour of the candidate on being caught is unsatisfactory

Present examination shall be cancelled and he/she shall be further debarred from appearing at two subsequent examination, if the examination is held once a year or debarred from four subsequent examination, if the examination is held twice a year (i.e. Semester Exam.).

**1.3 Where a candidate is found having in his possession or within his reach any restricted electronic equipment, mobile, pager, computer diary etc.**

- (a) If the candidate has not made any use of such electronic equipment behaviour of candidate on being caught is satisfactory.

Candidate's mobile, electronic equipment, pager, computer diary etc. shall be forfeited and candidate shall be exonerated by issuing warning for the & future.

- (b) If the candidate has made use of it but the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory.

Candidate mobile, electronic equipment, pager, computer diary etc. & shall be forfeited and only present theory examination shall be cancelled and if the examination is held once a year or two subsequent theory examination if the examination is held twice a year. (i.e. Semester Exam.).

- (c) If the candidate has made use of such electronic equipment & behaviour of the candidate on being caught is unsatisfactory.

Candidate's mobile, electronic equipment, pager, computer diary etc. shall be forfeited and present examination shall be cancelled and he/she shall be further debarred for one subsequent examination if the examination is held once a year or two subsequent examination if the examination is held twice a year.

**1.4 If the candidate is involved in sacrilege of University Examination system or involved in any other serious matter related with sacredness of the examination process.**

**Candidate shall be disqualified from appearing or passing in any University Examination for one to three years including the present year of examination depending upon the nature and gravity of the offence.**

**Note :**

- (1) If the candidate uses resistance or violence against the invigilator or any person on examination duty or consistently refuses to obey the instructions of the superintendent, the above punishment may be enhanced according to the gravity of the offence.
  - (2) The present examination is cancelled in 1.1 (a & b), 1.2 (a & b), 1.3 (b & c) and 1.4 refers to cancellation of only theory papers. However, if a candidate has offered dissertation/viva/voce/ field work in lieu of any paper and the sessional work (marks)/internal assessment work (marks) / practical work (marks) will not be cancelled in case the whole examination is cancelled. However, if unfairmeans case is reported during practical examination 1.1 (a) would refer to that particular practical examination only. In case of 1.2 a and b and c & 1.4 theory as well as practical examinations both shall be cancelled.
  - (3) After completion of punishment period, if the candidate is reappearing in the subsequent examination, he/she shall have to appear according to the existing scheme as well as syllabus of the class/course. In case scheme of subject/course paper etc. changed, the candidate exempted to appear in sessional examination and obtained theory paper marks will be proportionate out of the maximum marks of that paper (theory + sessional).
- 1.5 Where a candidate is appearing simultaneously in two examinations, the examination in which he/she has been found using unfairmeans will be cancelled, and he/she shall not be allowed to appear in any examination of the University during the period for which he/she is debarred.**
- 1.6 The cases of employee candidates, indulging in unfairmeans and resorting to violence and misbehaviour, will be reported to the officers of the department concerned besides the punishment provided under the rules. All such cases of misconduct will be reported to the University forth with for action by the Centre Superintendent on the prescribed form for departmental action.**
- 1.7 Notwithstanding the provisions regarding punishment provided in clause (3) above, the Superintendent of the Centre is empowered to expel a candidate from the examination hall in case of misconduct or misbehaviour as defined above.**
- 1.8 Cases not covered under any of the above categories will be decided by the appropriate committeee on their merit.**

**2. Norms related with tempering in University document & etc.**

- 2(अ)परीक्षा तथा महाविद्यालयों में प्रवेश से सम्बन्धित अनुशासन में निम्नलिखित कार्यों को भी अनुचित साधनों का प्रयोग समझा जाएगा –**
1. आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत करके या ऐसे ही अन्य साधनों द्वारा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाना अथवा परीक्षा में प्रवेश पाना।
  2. अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी तत्सम संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र अथवा अंक तालिका अथवा किसी अन्य प्रलेख में की गई प्रविष्टि में हेर-फेर अथवा रद्दोबदल करना।

3. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र/अंकतालिका इत्यादि की फोटो प्रति/प्रतिलिपि/फोटोस्टेट प्रति में की गई प्रविष्टि में हेर-फेर अथवा रद्दोबदल करना।
- 2 (ब) कार्यवाही की प्रक्रिया :
1. अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त वर्णित अनुचित साधनों के मामलों में व्यवहार प्रक्रियाएँ विश्वविद्यालय विवरणिका में पृष्ठ संख्या 67 या 69 – “2—अनुशासनहीनता पर कार्यवाही की प्रक्रिया” के अनुसार होगी।
  2. महाविद्यालय स्तर पर पाये जाने वाले मामलों की अधिष्ठाता/प्राचार्य/निदेशक द्वारा एक समुपर्युक्त समिति द्वारा जांच करवाये तथा यदि उनके दृष्टिकोण में उपर्युक्त अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो सम्बन्धित सभी दस्तावेजों के साथ मामलों को परीक्षा नियंत्रक को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जावे।
  - 2 (स) दण्ड के मानक / प्रतिमान : अनुचित साधन परीक्षण समिति द्वारा दण्ड प्रधान करने के लिए निम्नानुसार मानक निर्धारित किये जाते हैं –
    1. यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत कर या ऐसे अन्य साधनों का प्रयोग कर महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश पाने का दोषी पाया जावे तो उसका प्रवेश निरस्त कर विश्वविद्यालय की उस वर्ष की किसी भी परीक्षा और आगामी दो वर्षों तक के लिए किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जावे।
    2. यदि कोई परीक्षार्थी आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत कर या ऐसे अन्य साधनों का प्रयोग कर परीक्षा में प्रवेश पाने का दोषी पाया जावे तो उसकी उस वर्ष की परीक्षा निरस्त कर उस प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए उसे आगामी दो वर्षों तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जावे।
    3. यदि किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा उपर्युक्त (अ) 1, 2 अथवा 3 की कार्यवाही किसी भी प्रकार के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है या लाभ प्राप्त कर लिया हो या लाभ प्राप्त करने के लिये प्रयास किया गया हो तो सम्बन्धित छात्र/छात्रा की सम्बन्धित परीक्षा को निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी एक वर्ष के लिए किसी भी परीक्षा प्रविष्ट होने से वंचित कर दिया जावे। साथ ही यदि छात्र/छात्रा द्वारा उसका लाभ लेते हुए आगे की कक्षाओं की परीक्षाएँ भी उत्तीर्ण कर ली गई हो तो उन्हें भी निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी एक वर्ष के लिए किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने से वंचित कर दिया जावे।
    4. कोई भी अभ्यर्थी अपनी अंक तालिका में नाम आदि के भाग को किसी अन्य छात्र/छात्रा की अंक तालिका में प्राप्तांक वाले भाग में चिपकाने पर अथवा इस प्रकार की प्रमाण पत्र/अंक तालिका की फोटो प्रति/फोटो स्टेट/प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित छात्र/छात्रा की सम्बन्धित परीक्षा को निरस्त कर दिया जाये। साथ ही यदि उस छात्र ने इसका लाभ लेते हुए आगे की कक्षाओं की परीक्षाएँ भी उत्तीर्ण कर ली गई हैं तो उन्हें भी निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी दो वर्षों के लिए किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने से वंचित कर दिया जावे।

5. अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश पाने की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी है तब उसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जायेगा, जिसे परीक्षा केन्द्राध्यक्ष को दिखाने पर उस अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु इसी दौरान यह पता चलता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ झूले प्रलेख अथवा अंक तालिका इत्यादि प्रस्तुत कर गलत तरीके से परीक्षा में बैठने का प्रयास किया गया है तो संबंधित अभ्यर्थी से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र अथवा अंक तालिकाएँ विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग अथवा महाविद्यालय अधिष्ठाता/प्राचार्य/निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। यदि अभ्यर्थी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हो रहा है अथवा बहानेबाजी कर रहा है, तो उसे बचे हुए प्रश्न पत्रों की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा इसके पश्चात् सम्पूर्ण प्रकरण अनुचित साधन परीक्षण समिति में रखकर वांछित निर्णय किया जायेगा।
6. विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट होकर उत्तीर्ण घोषित छात्रों में से किसी के सम्बन्ध में यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कभी भी यह जानकारी प्राप्त हो कि छात्र ने उक्त परीक्षा में प्रवेश असत्य विवरण देकर, तथ्य छिपाकर या प्रविष्टियों में परिवर्तन कर प्राप्त किया था या वह किसी आधार पर उक्त परीक्षा के योग्य नहीं था तो उसकी परीक्षा अथवा परीक्षाएँ निरस्त करने और/या उस मामले के गुण दोषों के आधार पर अन्य दण्ड देने पर भी विचार किया जा सकेगा।
7. उपरोक्त से सम्बन्धित गम्भीर प्रकरणों में दोषी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में बैठने से समिति द्वारा वंचित किया जा सकेगा।
8. उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी में भी आने वाले मामलों को अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Examination Committee) द्वारा उनके गुण—दोषों के आधार पर निर्णय लेकर निपटाया जायेगा या सम्बन्धित प्राधिकारियों को सौंपा जायेगा तथा गम्भीर मामलों में पुलिस कार्यवाही हेतु भी सम्बन्धित प्राधिकारियों को निर्देशित किया जा सकेगा। साथ ही यदि प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा पुलिस कार्यवाही की जानी है तो वह विश्वविद्यालय कुलसचिव/महाविद्यालय अधिष्ठाता स्तर से की जा सकेगी।

#### **Additional Provision for Dealing with the cases of Using Unfairmeans during the Examination**

In addition to the provisions laid down from Page No. 61 to 68 to deal with cases of unfairmeans during the examination by the University, such candidates will also be dealt with additionally in pursuance of the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992 which is reproduced below.

**THE RAJASTHAN PUBLIC EXAMINATION**  
**(PREVENTION OF UNFAIRMEANS) ACT, 1992**

(Received the assent of The Governor on the 8th day of November, 1992)

**An**

**Act**

to prevent the leakage of question papers and use of unfairmeans of Public Examinations and to provide for matter connected there with the incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Forty-third Year of the Republic of India as follows :

**1. Short title, extent and commencement :**

- (1) This Act may be called the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.
- (3) It shall come into force at once.

**2. Definitions - In the Act -**

- (a) "examination centre" means any place fixed for holding public examination and includes the entire premises attached thereto.
- (b) "public examination" means any examination specified in the schedule.
- (c) "unfairmeans" in relation to an examination while answering question in a public examination, means the unauthorised help from any person, or from any material written, recorded or printed, in any form whatsoever or the use of any unauthorised telephone, wireless or electronic or other instrument or gadget; and
- (d) the words and expression used herein and not defined in the Indian Penal Code (45 of 1960) have the meaning, respectively assigned to them in that code.

**3. Prohibition to use of Unfairmeans :** No person shall use unfairmeans at any public examination.

**4. Unauthorised possession or disclosure of question paper :** No person who is not lawfully authorised or permitted by virtue of his duties so to do shall before the time fixed for distribution of question papers to examinees at a public examination.

- (a) procedure or attempt to procure or possess, such question paper or any portion or copy thereof; or
- (b) impart or offer to impart, information which he knows or has reason to believe to be related to or derived from or to have a bearing upon such question paper.

**5. Prevention of Leakage by person entrusted with examination work :** No person who is entrusted with any work pertaining to public examination shall, except where he is permitted by virtue of his duties so to do directly or indirectly divulge or cause to be divulged or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work being so entrusted to him.

6. **Penalty :** Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 3 or section 4 or section 5, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.
7. **Penalty for offence with preparation to cause hurt :** Whoever commits an offence punishable under section 6 having made preparation for, causing death of any person or causing hurt to any person or assaulting any person or for putting any person in fear of death or hurt or assault or wrongful restraint shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine which may extend to five thousand rupees.
8. **Power to amend Schedule :** The Statement Government may by notification in the Official Gazette, include in the Schedule any other public examination in respect of which it considers necessary to apply the provision of this Act and upon the publication in the Official Gazette the Schedule shall be deemed to have amended accordingly.

**The Schedule**

**(Section 2)**

1. Any examination conducted by the Board of Secondary Education of Rajasthan under the Rajasthan Secondary Examination Act, (Act No.42 of 1957).
2. Any examination conducted by any University established by law in India.
3. Any examination conducted by the Rajasthan Public Service Commissions or Union Public Service Commission.

**J.P. Bansal**

Secretary to the Government

## छात्रवृत्तियाँ एवं वित्तीय सहायता (Scholarships and Financial Assistance)

### 1. सामान्य नियम (General Rules)

वित्तीय सहायता योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार ही दी जाती है। किसी भी छात्रवृत्ति अथवा ऋण को स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्तकर्ता के नियमित उपस्थिति/संतोषजनक शैक्षणिक प्रगति एवं अच्छे आचरण के अभाव की दशा में निलम्बित अथवा रुप से रद्द किया जा सकता है। ऐसी निलम्बित छात्रवृत्तियाँ अथवा ऋण को स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर पूर्व प्रभाव से पुनः दिया जा सकता है।

सामान्यतया सभी छात्रवृत्तियाँ एवं ऋण सहायता निर्धारित पाठ्यक्रम की अवधि तक, जिसके लिए स्वीकृत की गई, नियमित रूप से उपलब्ध रहेगी, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा नियमित उपस्थिति, संतोषजनक प्रगति, अच्छे आचरण तथा महाविद्यालय के अनुशासन का उचित पालन किया जा सकता है।

### 2. आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति (Need-cum-Merit Scholarship)

- (i) सभी विद्यार्थी जिसके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 4,200/- रुपये तक है तथा जिन्होंने 60% अथवा अधिक अंक प्राप्त किये हो, आवेदन के योग्य होंगे। वांछनीय योग्यता वाले विद्यार्थियों में से अपेक्षाकृत कम आय वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने में वरीयता प्रदान की जावेगी।
- (ii) छात्रवृत्ति के क्रियान्वयन के अन्य नियम वही होंगे जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए लागू हैं।

### 3. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (National Scholarship)

भारत सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग द्वारा उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिन्होंने स्नातक परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60% अथवा अधिक अंक प्राप्त किये हों। इसके सम्बन्ध में पूर्ण विवरण महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

### 4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कनिष्ठ शोध छात्रवृत्ति (UGC Junior Research Fellowship)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कनिष्ठ शोध छात्रवृत्ति (जे.आर.एफ.) सीमित संख्या में, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है जो स्नातकोत्तर विभाग में विद्यावाचस्पति (Ph.D.) उपाधि हेतु शोध कार्य करते हैं और जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित संबंधित परीक्षा (NET) में सफलता प्राप्त की हो। इसके अन्तर्गत कनिष्ठ शोधकर्ता को 16,000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति तथा नियमानुसार वार्षिक आकस्मिक अनुदान के लिए 12000 रुपये विज्ञान संकाय में तथा 10000 रुपये अन्य संकायों में प्राप्त होते हैं।

### 5. सी.एस.आई.आर. एस.एस.आर. द्वारा योग्य अभ्यर्थियों को शोधवृत्ति विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रदान की जाती है।

### 6. विभागीय कनिष्ठ शोधवृत्ति (Departmental Fellowship)

प्रत्येक विभाग में एक शोधवृत्ति। न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 55% अंक (अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु 50% अंक)। प्राप्तकर्ताओं में से छात्रवृत्ति राशि 600 रुपये प्रतिमाह। एक समय एक वर्ष अधिकतम दो वर्ष। दूसरे वर्ष के लिए 700 रुपये प्रतिमाह।

## 7. विश्वविद्यालय योग्यता छात्रवृत्ति (University Merit Scholarship)

विश्वविद्यालय योग्यता छात्रवृत्तियाँ विश्वविद्यालय की निम्नलिखित परीक्षाओं में योग्यता सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में नियमित अध्ययन करने पर दी जाती है –

परीक्षा	छात्रवृत्ति राशि	मान्य अवधि
	प्रतिमाह	
(क) एक-एक छात्रवृत्ति त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की परीक्षा के आधार पर प्रत्येक संकाय में	45 रुपये	1 वर्ष
(ख) एक-एक छात्रवृत्ति द्वितीय वर्ष के आधार पर प्रत्येक संकाय में	45 रुपये	1 वर्ष
(ग) एक-एक छात्रवृत्ति तृतीय वर्ष की परीक्षा के आधार पर प्रत्येक संकाय में	75 रुपये	1 वर्ष
(घ) एक-एक छात्रवृत्ति प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा के आधार पर प्रत्येक संकाय में	75 रुपये	1 वर्ष
(ङ) एक-एक छात्रवृत्ति प्रत्येक विभाग की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध परीक्षा के आधार पर	75 रुपये	1 वर्ष

उपरोक्त छात्रवृत्ति निम्न शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी –

- (i) योग्यता छात्रवृत्ति केवल ऐसे विद्यार्थियों को दी जायेगी जो एक ही प्रयास में प्रथम श्रेणी अथवा 60% एवं उससे अधिक अंक प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं।
- (ii) विश्वविद्यालय योग्यता छात्रवृत्ति स्वीकार करने के समय विद्यार्थी को अन्य कोई छात्रवृत्ति मिलती हो अथवा छात्रवृत्ति प्रदान करने के निर्णय की अवधि में ही विद्यार्थी को अन्य छात्रवृत्ति अथवा पुरस्कार के योग्य घोषित कर दिया गया हो तो अभ्यर्थी के विकल्प के अनुसार एक ही छात्रवृत्ति देय होगी।
- (iii) एक से अधिक समान योग्यता वाले विद्यार्थियों के होने पर सभी को पूरी छात्रवृत्ति दी जायेगी।
- (iv) अभ्यर्थी को योग्यता छात्रवृत्ति तभी प्रदान की जायेगी जबकि उच्च अध्ययन के लिए वह विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करे। यदि वह प्रवेश प्राप्त नहीं करता है तो वह छात्रवृत्ति द्वितीय सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी जो इसकी शर्त पूरी करता हो, को प्रदान की जायेगी।

## 8. छात्रवृत्ति एवं वित्तीय सहायता के सामान्य नियम (General Rules Regarding Scholarship and Financial Assistance)

- (i) छात्रवृत्ति विद्यार्थी के संस्था में प्रवेश के महीने से अगले वर्ष जून तक प्रदान की जाएगी, यदि उसने सम्बन्धित महीने की 15 तारीख तक प्रवेश प्राप्त किया हो अन्यथा छात्रवृत्ति अगले महीने से प्राप्त की जाएगी।
- (ii) विद्यार्थी द्वारा सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ने पर छात्रवृत्ति इसी माह में रद्द कर दी जायेगी, जिसमें वह संस्था छोड़ता है।

- 9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियां**
- (i) अनुसूचित जाति/जजा तथा विमुक्त एवं बुमन्तु जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति।
  - (ii) विकलांग छात्रवृत्ति (विकलांग/बधिर/मूक/नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए)
  - (iii) देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति नियम – 2010
- 10. राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार की क्रीड़ा छात्रवृत्ति**
- 11. राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्रवृत्ति (NCC Scholarship)**
- 12. अन्य छात्रवृत्तियाँ (Other Scholarships)**
- (i) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति
  - (ii) स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति
  - (iii) मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति
  - (iv) अध्यापकों के बच्चों को दी जाने वाली राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
  - (v) भारत–पाक एवं भारत–चीन युद्ध में मृतक अथवा अपांग सैनिक के बच्चों एवं विधवाओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति।
  - (vi) भेरुलाल लीलावती सुखवाल फाउण्डेशन छात्रवृत्ति (भूगोल विभाग)
- 13. विद्यार्थी सहायता कोष (Student's Aid Fund)**
- विद्यार्थी सहायता कोष की स्थापना महाविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा 30 रुपये प्रति विद्यार्थी वार्षिक शुल्क से की जाती है।
- (i) इस कोष का उद्देश्य निर्धन विद्यार्थियों को शिक्षण अथवा परीक्षा शुल्क अथवा पुस्तकों पर व्यय अथवा अन्य ऐसे किसी व्यय की पूर्ति के लिए सहायता प्रदान करना है।
  - (ii) कोष का प्रबन्ध इस हेतु गठित समिति के माध्यम से महाविद्यालय अधिष्ठाता द्वारा किया जाता है।
  - (iii) विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त कोष में से ऐसे विद्यार्थियों को सहायता नहीं दी जाती है जिन्हें छात्रवृत्ति अथवा अन्य वित्तीय सहायता मिल रही हो।
  - (iv) कोष में से सहायता के लिए निर्धारित प्रपत्र पर अधिष्ठाता द्वारा सूचित तिथि तक आवेदन किये जाने चाहिए।
  - (v) कोष में से अति निर्धन एवं योग्य विद्यार्थियों को पूर्ण/अर्द्धशुल्क मुक्ति सहायता (Freeship/ Half Freeship) प्रत्येक श्रेणी के लिए शिक्षण शुल्क देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या के 10% तक विद्यार्थियों को प्रदान की जायेगी।
  - (vi) इस सहायता हेतु आवेदन के लिए आय प्रमाण–पत्र – तहसीलदार द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।
- 14. प्राकृत विद्यार्थियों के लिए आर्थिक सहायता (Financial Assistance for Prakrit Students)**
- विश्वविद्यालय के जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग में नियमित रूप से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को स्वीकृत नियमों के अनुसार प्रोत्साहन राशि की सीमित सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

## 15. स्वर्ण पदक (Gold Medals)

- (i) प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा कला, वाणिज्य, विधि एवं विज्ञान संकाय में स्नातक, स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) एवं एम.फिल. परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को प्रथम स्थान पाने पर भी स्वर्ण पदक प्रदान नहीं किया जाता है। स्वर्ण पदक विश्वविद्यालय के तत्कालीन नियमों के अनुसार प्रदान किया जाता है।
- (ii) एम.एससी. मनोविज्ञान की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को “डॉ. महेन्द्र कुमार सिंघवी गोल्ड मेडल” प्रदान किया जाता है।
- (iii) विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग से एम.एससी./एम.ए. भूगोल की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को “भैरुलाल लीलावती सुखवाल फाउण्डेशन” (यू.एस.ए.) द्वारा गोल्ड मेडल प्रदान किया जायेगा।
- (iv) प्रबन्ध अध्ययन संकाय में एम.बी.ए. नियमित दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को मेहता जगन्नाथ सिंह भौमकुमारी चेरीटेबल फाउण्डेशन की ओर से रु. 1001/- का नकद पुरस्कार एवं रजत पदक (गोल्ड प्लेटेड) प्रदान किया जायेगा।
- (v) एम.एससी. भू-विज्ञान में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को “प्रो. आर.कै. श्रीवास्तव” रजत पदक (गोल्ड प्लेटेड) एवं रु. 1001/- का नकद पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।
- (vi) एम.एससी. भू-विज्ञान में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को “विजयसिंह देवपुरा मेमोरियल” रजत पदक (गोल्ड प्लेटेड) एवं रु. 5000/- नकद पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।
- (vii) एम.ए. हिन्दी में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को “स्व. प्रोफेसर ललित शंकर पुष्पा देवी शर्मा” स्वर्ण पदक 10 ग्राम (5 ग्राम शुद्ध सोना एवं 5 ग्राम चांदी) एवं रु. 250/- नकद पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

## पुस्तकालय सुविधाएँ (Library Facilities)

विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों में समृद्ध आधुनिक सुविधायुक्त पुस्तकालय हैं। विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र को भरकर एवं आज्ञा प्राप्त कर संबंधित पुस्तकालयों के सदस्य बन सकते हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न पुस्तकालयों से सम्बन्धित संक्षिप्त सूचना दी जा रही है।

### **(क) केन्द्रीय पुस्तकालय (Central Library)**

यह पुस्तकालय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में स्थित है। इस पुस्तकालय में सभी विषयों के महत्वपूर्ण ग्रन्थ, संदर्भ सामग्री आदि उपलब्ध है। इसमें आदान-प्रदान, शोध प्रतिवेदन, छायाप्रति, लिपिकरण तथा सन्दर्भ एवं शोध पत्रिकाओं के स्वतंत्र विभाग है। पुस्तकालय में 'ई' पुस्तकालय सुविधा भी उपलब्ध है। ई-पुस्तकालय का उपयोग इसी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एवं शोध-छात्रों के लिए निर्धारित है। जर्नल्स के फूल टेक्स्ट शैक्षिक लेख ऑन लाईन उपलब्ध है। इनके उपयोग के लिए पासवर्ड सदस्यता लेनी होती है। केन्द्रीय पुस्तकालय का लाभ सभी पाठक सदस्य तो ले सकते हैं, परन्तु पुस्तकालय से लेन-देन की सुविधा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, कर्मचारी, शोध-छात्र, एम.फिल एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को ही प्राप्त है।

### **(ख) शैक्षणिक एवं अनुसंधान नेटवर्क संसाधन सुविधा (Educational and Research Resources Facility)**

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं अनुसंधान नेटवर्क, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र (INFLIBNET) एवं विकासमान पुस्तकालय नेटवर्क (DELNET) द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रोनिक पाठ्य सामग्री को प्राप्त करने की सुविधा, केन्द्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध है। यह सुविधा प्राध्यापकों, शोधकर्ताओं एवं स्नातकोत्तर छात्रों को शैक्षणिक सामग्री की खोज एवं अनुसंधान की दृष्टि से सूचनाएँ एकत्रित करने में अत्यधिक सहायक है।

इस सुविधा के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी उप-पुस्तकालयाध्यक्ष से प्राप्त की जा सकती है।

### **(ग) सामान्य ज्ञानार्जन हेतु (For Obtaining General Knowledge)**

आध्यात्मिक, व्यावहारिक एवं सामान्य उपयोग के लिए मस्ट रीड सेक्शन में पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनका अध्ययन पुस्तकालय में ही बैठकर किया जा सकता है।

### **महाविद्यालय पुस्तकालय (College Libraries)**

विश्वविद्यालय में केन्द्रीय पुस्तकालय के अतिरिक्त महाविद्यालय स्तर पर स्वतंत्र रूप से निम्नांकित समृद्ध पुस्तकालय हैं –

1. विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय पुस्तकालय
2. विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय पुस्तकालय
3. विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय पुस्तकालय

4. विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय पुस्तकालय
5. विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर भू-विज्ञान पुस्तकालय
6. विश्वविद्यालय प्रबन्ध पुस्तकालय (प्रबन्ध भवन में स्थित)

**नोट :** पुस्तकालय से पुस्तक आदान-प्रदान सम्बन्धी प्रक्रिया एवं नियमों की जानकारी हेतु विद्यार्थी सम्बन्धित पुस्तकालय से सम्पर्क करें।

#### विभागीय पुस्तकालय :

विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विभागों में स्नातकोत्तर एवं शोध छात्रों के उपयोग हेतु विभागीय पुस्तकालय है। कला एवं वाणिज्य संकाय में भी कुछ विभागीय पुस्तकालय हैं। इन विभागीय पुस्तकालयों में पुस्तकों का लेन-देन बाहर ले जाने के लिए नहीं किया जाता है। इनका उपयोग संदर्भ कक्ष के रूप में विभागीय स्तर पर होता है।

#### पुस्तक बैंक :

विश्वविद्यालय के सभी संघटक महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों के लिये, पुस्तक बैंक सुविधा उपलब्ध है। पुस्तक बैंक एवं उसकी नियमावली सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित महाविद्यालय के पुस्तकालय से प्राप्त की जा सकती है।

## छात्रावास (Hostels)

विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु आवास की व्यवस्था संकाय के अनुसार की गई है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के अन्तर्गत छ: छात्रावास संचालित हैं। उनमें व्यवस्था निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	छात्रावास का नाम	संबंधित संकाय एवं आवास क्षमता	वार्डन
1.	महाराणा भूपाल छात्रावास विश्वविद्यालय खेल परिसर	सभी संकाय के लिए — 66	डॉ. घनश्याम सिंह राठौड़ 94143 52604
2.	रामानुजन छात्रावास विश्वविद्यालय परिसर	MBA, MCA, Pharma MTM, MIB, MHRM - 40	डॉ. अनिल कोठारी 98282 67678
3.	डॉ. डी.एस. कोठारी शोध छात्रावास, विश्वविद्यालय खेल परिसर	शोध छात्रों के लिए — 18	डॉ. दीपेन्द्र सिंह चौहान 94142 81130
4.	गार्गी कन्या छात्रावास विज्ञान महाविद्यालय परिसर	केवल छात्राओं के लिए — 147	डॉ. मंजू बाघमार 94147 58977
5.	कमला नेहरू कन्या छात्रावास सेक्टर-3 हिरण्यमगरी	केवल छात्राओं के लिए — 79	डॉ. निधी राय 99282 68985
6.	महर्षि दयानन्द सरस्वती कन्या छात्रावास, विश्वविद्यालय परिसर	केवल जनजाति छात्राओं के लिए — 48	डॉ. राजश्री चौधरी 94148 33511
7.	नेहरू शिक्षक सदन छात्रावास सेक्टर-3, हिरण्य मगरी	केवल जनजाति छात्रों के लिए — 40	डॉ. जी. एस. कुम्पावत 94142 89793

### नोट :

- (1) क्र.सं. 1 से 5 तक प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु 16%, 12%, 21% आरक्षण रहेगा।
- (2) छात्रावास में प्रवेश एवं विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित वार्डन अथवा चीफ वार्डन कार्यालय (कॉमर्स कॉलेज परिसर) में सम्पर्क करें।

## यात्रा रियायतें (Travel Concession)

भारतीय रेल, नागरिक उड़ान व राज्य पथ परिवहन निगम सेवाओं द्वारा प्रदत्त रियायती किराये की सुविधाएँ विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों को इन संस्थाओं के नियमानुसार दी जायेगी। यात्रा के लिए विद्यार्थी को स्वयं सप्रमाण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ही यात्रा रियायत दी जायेगी। घर की परिभाषा में वह जगह आयेगी जहां कि विद्यार्थी के माता-पिता स्थायी रूप से रहते हैं। एक शिक्षण सत्र के लिए प्रवेश आवेदन पत्र में दिया गया घर का पता अपरिवर्तनीय रहेगा। राजकीय सेवारत कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर छात्र के अभिभावक का पता महाविद्यालय के अधिष्ठाता/निदेशक के स्वनिर्णय पर परिवर्तन किया जा सकेगा। किराये में रियायत के लिए विद्यार्थी को प्रस्थान की तिथि से 8 दिन पूर्व महाविद्यालय के अधिष्ठाता को आवेदन करना चाहिए। रियायत सुविधा का उपयोग निम्न उद्देश्य से यात्रा के लिए भी किया जा सकता है –

1. शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय अथवा अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा आयोजित या मान्यता प्राप्त खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए।
2. शिक्षाप्रद कार्यक्रमों, शिविरों व संगोष्ठियों में भाग लेने तथा ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने के लिए, साक्षात्कार एवं प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए।
3. सामुदायिक योजनाओं में सेवा कार्य में भाग लेने हेतु।
4. शिक्षा, संस्कृति एवं सामाजिक महत्व के अखिल भारतीय संस्थानों द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलनों एवं अन्य सम्मेलनों में भाग लेने के लिए।

### टिप्पणियाँ

- (i) रियायत के आदेश एक बार प्रसारित किये जाने के पश्चात् कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। विद्यार्थी को यात्रा के दौरान अपना परिचय पत्र साथ रखना अति आवश्यक है, क्योंकि परिवहन अधिकारी किसी भी समय उसकी जांच कर सकते हैं।
- (ii) विद्यार्थी को उसके चयन के अनुसार एक समय में एक ही प्रकार के किराये में रियायत की सुविधा दी जायेगी। यह ध्यान में रहे कि परिवहन अधिकारियों को धोखा देने का प्रयास करने तथा गलत सूचना प्रदान करने की दिशा में कठोर कार्यवाही की जायेगी जिसका जिम्मेदार विद्यार्थी स्वयं होगा।
- (iii) लगातार एक महीने अनुपस्थित रहने वाला विद्यार्थी इस यात्रा रियायत सुविधा के योग्य नहीं होगा।

## विश्वविद्यालय स्तरीय सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ (University Level Co-curricular Activities)

1. विश्वविद्यालय स्तर की साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियाँ :
 

विश्वविद्यालय द्वारा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन एवं आयोजन हेतु अधिष्ठाता, छात्र कल्याण को अधिकृत किया गया है। इस कार्यालय द्वारा निम्न महत्वपूर्ण गतिविधियाँ संचालित होती है –

  - (i) अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली के तत्वावधान में पश्चिम क्षेत्रीय अन्तर विश्वविद्यालय के “युवा समारोह” में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिये टीम का चयन करना।
  - (ii) स्व. श्री मोहनलाल सुखाड़िया की जन्मतिथि के अवसर पर “मोहनलाल सुखाड़िया स्मृति व्याख्यान” का विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजन करना। इसमें राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, विचारक, अर्थशास्त्री अथवा राजनयिक को आमंत्रित करना। विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी के साथ ही उदयपुर शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति को भी सुनिश्चित करना।
  - (iii) विश्वविद्यालय के सभी संकायों के विद्यार्थियों के लिये ‘कैरियर गाइडेन्स व्याख्यान’ का आयोजन करना एवं इस क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करना।
  - (iv) दो अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर “गांधी जयन्ती व्याख्यान” का आयोजन करना। राष्ट्रीय स्तर के गांधीवादी चिन्तक अथवा समसामयिक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के संदर्भ में गांधी विचार के विश्लेषक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ अथवा दार्शनिक को आमंत्रित करना।
  - (v) उदयपुर संभाग में कार्यरत आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. अधिकारियों के साथ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का “सिविल सेवा परीक्षा परिसंवाद” आयोजित करना।
  - (vi) विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों से चयनित विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों का विश्वविद्यालय स्तरीय युवा समारोह “गवरी” आयोजित करना एवं विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित करना।
  - (vii) देश के विभिन्न भागों से प्राप्त शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक अथवा अन्य प्रकार की प्रतियोगिताओं के निमंत्रणों के आधार पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने योग्य प्रतिभागी का चयन/मनोनयन करना।
  - (viii) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की “पूर्व छात्र परिषद” (एल्यूमनी एसोसियेशन) का विश्वविद्यालय के कुलपति के निर्देशानुसार सत्रों का आयोजन एवं संचालन करना।
  - (ix) छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय की पत्रिका “शिखर” का सम्पादन, प्रकाशन एवं वितरण करना।
  - (x) राज्य सरकार/राजभवन के आदेशानुसार एवं कुलपति के मार्गदर्शनानुसार महाविद्यालय एवं केन्द्रिय स्तर पर छात्रसंघ के चुनाव करवाना एवं पदाधिकारियों को संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए निर्देशित करना।

**2. विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं परामर्श केन्द्र (University Employment & Guidance Bureau)**

इस विश्वविद्यालय में छात्रों एवं बेरोजगार युवाओं के लाभ के लिए एक विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं परामर्श केन्द्र, कला महाविद्यालय नया परिसर में कार्यरत है। यह केन्द्र जरूरतमंद आशार्थीयों को विभिन्न व्यवसायों, प्रशिक्षण सुविधाओं, प्रवेश सूचनाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्ति/ अध्येतावृत्ति, स्वरोजगार, भारत तथा विदेश में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन की सेवाएं व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से दोनों प्रकार से उपलब्ध कराई जाती है। केन्द्र द्वारा समय-समय पर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न महाविद्यालयों में व्यावसायिक वार्ताओं एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा स्वनियोजन साहित्य का सृजन, रोजगार के भावी अवसरों/ प्रवृत्ति से सम्बन्धित सर्वेक्षण एवं अध्ययन केन्द्र के अन्य कार्य किये जाते हैं।

**3. अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ (SC/ST Cell)**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सौजन्य से इस विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ गठित है। प्रकोष्ठ द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु नियमानुसार उनके आरक्षित स्थानों में प्रवेश के लिए सहयोग एवं समुचित कार्यवाही की व्यवस्था की जाती है। यदि उन्हें प्रवेश के सम्बन्ध में कोई कठिनाई हो तो वे लिखित में सम्पूर्ण विवरण सहित अपनी समस्याएं उचित माध्यम से इस प्रकोष्ठ को अवगत करा सकते हैं।

**4. प्रौढ़ शिक्षा एवं विस्तार केन्द्र (Centre for Adult Education & Extension)**

यह केन्द्र मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सन् 1980 से कार्यरत है। वर्तमान में यह सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय में कार्य कर रहा है। देशव्यापी निरक्षरता उन्मूलन हेतु केन्द्र के द्वारा साक्षरता एवं उत्तर साक्षरता कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त देश की जनसंख्या नीतियों तथा योजनाओं को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करने तथा छोटे परिवार के मानक की आवश्यकता का भाव विकसित करने हेतु जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम का संचालन भी किया जाता है।

**5. जनसंख्या शोध केन्द्र (Population Research Centre)**

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में यह जनसंख्या शोध केन्द्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 1981 से संचालित है। इस केन्द्र के प्रमुख उद्देश्य हैं –

1. जनसंख्या विज्ञान में विभिन्न पक्षों पर शोध कार्य करना एवं शोधार्थीयों को प्रोत्साहन करना।
2. राजस्थान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यों का मूल्यांकन करना।
3. विभिन्न स्तरों पर जनसंख्या सम्बन्धी शोध कार्यों का सूक्ष्म अध्ययन करना।

अब तक इस केन्द्र ने 121 शोध परियोजनाएं (प्रोजेक्ट्स) सम्पन्न की है एवं इस सम्बन्ध में कई शोध पत्र प्रकाशित किये हैं।

**6. महिला अध्ययन केन्द्र (Centre for Women Study)**

ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महिला अध्ययन केन्द्र की स्थापना की है। केन्द्र के महिला उत्थान हेतु बहुआयामी उद्देश्य हैं। केन्द्र का

उद्देश्य शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जानकारी के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक सशक्तिकरण करना तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ कर अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने का श्रम करना है। केन्द्र, विकास में निर्णायक भूमिका निभाने वाली सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं व संगठनों तक महिलाओं की पहुँच को प्रोत्साहित करता है।

इसी दिशा में केन्द्र द्वारा समय-समय पर विस्तार व्याख्यान, वार्ताएँ, संगोष्ठी प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। अध्ययन-अध्यापन हेतु 'महिला अध्ययन' सामाजिक संकाय के एक विषय के रूप में संस्थापित है। संदर्भ केन्द्र के रूप में महिला से संबंधित विभिन्न पुस्तक-पुस्तिकाओं, शोध पत्रों और सरकारी योजनाओं का संग्रहण एवं संकलन दिशातीत है। केन्द्र आर्थिक स्वावलम्बन को अग्रसर करने हेतु विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाता है।

#### **7. मानवाधिकार अध्ययन केन्द्र (Centre for Human Rights Studies)**

राजस्थान राज्य में मानवाधिकार अध्ययन केन्द्र की स्थापना सर्वप्रथम इस विश्वविद्यालय में हुई है। यह केन्द्र विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान में मानवाधिकारों की स्थिति, समस्याओं और उनके समुचित समाधानों के सम्बन्ध में शोध/शिक्षण आदि में संलग्न होगा।

#### **8. बौद्ध अध्ययन एवं अहिंसा केन्द्र (Centre for Buddhist Studies and Non-Violence)**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली द्वारा इस विश्वविद्यालय में राजस्थान राज्य में यह प्रथम केन्द्र स्थापित किया गया है। यह केन्द्र जैनविद्या एवं प्राकृत विभाग के आचार्य के निर्देशन में संचालित है। इस केन्द्र द्वारा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और अहिंसा का, समता, समानता, अस्पृश्यता और वैचारिक उदारता आदि मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रचार-प्रसार किया जायेगा। केन्द्र में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम भी संचालित हैं।

#### **9. प्रतियोगिता परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (Competitive Examination Coaching Centre)**

यह केन्द्र सामाजिक एवं मानविकी महाविद्यालय के परिसर में संचालित है। केन्द्र द्वारा सुयोग्य अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा RAS, ICS, UGC-NET, SLET आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों का शिक्षण विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क लेकर प्रदान किया जाता है। कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि सभी संकायों के प्रत्याशी इसका लाभ ले सकते हैं। SC, ST, OBC (Non Creamlair) एवं अल्प संख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है।

#### **10. अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सलाहकार (International Students Advisor)**

विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे विदेशी विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा अध्ययन संबंधी सलाह प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सलाहकार की नियुक्ति की गई है।

#### **11. परिषद समितियाँ, संगोष्ठियाँ एवं स्नातकोत्तर अध्ययन समूह (Council, Committees, Conferences & Post Graduate Study Group)**

विभिन्न विभागों में स्नातकोत्तर एवं स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों को विभिन्न अध्ययन परिषदों के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है ताकि विद्यार्थी संकाय स्तर पर विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होकर अपनी प्रतिभा को एक छोटे समूह में विकसित

कर सके। इन शैक्षणिक इकाईयों द्वारा सदस्यों के ज्ञानवर्धन एवं बौद्धिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों, अध्ययन—समूह आदि का आयोजन किया जाता है। इनके समुचित संचालन हेतु विभागाध्यक्ष, अधिकारी आदि द्वारा प्राध्यापकों को सलाहकार के रूप में मनोनीत किया जाता है, जो विद्यार्थियों के सक्रिय सहयोग से इन कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। सभी नियमित विद्यार्थी इन शैक्षणिक इकाईयों के सदस्य होंगे। विभिन्न गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु निर्धारित वार्षिक शुल्क प्रत्येक विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से प्रवेश के समय जमा कराना होगा।

## 12. विशिष्ट आयोजन (Special Programme)

### (क) साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रायोजन (Literacy & Cultural Programmes)

वशविद्यालय/ महाविद्यालयों/विभागों द्वारा विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के अन्तर्गत यथा वाद—विवाद प्रतियोगिता, सामान्य—ज्ञान प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है तथा पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। विभिन्न राज्य स्तरीय, अंतर—विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग देने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है।

### (ख) राष्ट्रीय युवा दिवस (National Youth Day)

भारत के सपूत्र दृष्टा एवं सन्त स्वामी विवेकानन्द का जन्म दिवस 12 जनवरी को समस्त देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

### (ग) राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (National Science Day)

28 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है तथा विद्यार्थियों में विज्ञान के क्षेत्र में हो रही बहुमुखी प्रगति के बारे में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

उपर्युक्त गतिविधियां विद्यार्थी को अपने व्यक्तित्व की बहुमुखी समृद्धि कर जीवन के लिए पाठ्य संचित करते हुए नागरिकता के प्रशिक्षण का सुअवसर प्रदान करती है।

## 13. विश्वविद्यालय योग केन्द्र (University Yog Center)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली के सहयोग से विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल परिसर में विश्वविद्यालय के सभी नियमित छात्र—छात्राओं एवं कर्मचारियों के लिए योग प्रशिक्षण एवं परामर्श की व्यवस्था अनुभवी विशेषज्ञों की उपस्थिति में उपलब्ध है। केन्द्र द्वारा योग शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी संचालित किया जा रहा है। जिसकी प्रवेश क्षमता  $30+10$  है तथा इसमें 10 पेमेन्ट सीट है। जिसकी प्रवेश आयु सीमा 45 वर्ष है। इसके अतिरिक्त 6 सप्ताह का योग प्रशिक्षण में प्रमाण पत्रीय पाठ्यक्रम का संचालन भी केन्द्र द्वारा किया जा रहा है।

## 14. नेहरू अध्ययन केन्द्र (Center for Nehru Studies)

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2005 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से भारत के महान् आधुनिक विचारकों की योजना के अन्तर्गत नहेरू अध्ययन केन्द्र की स्थापना हुई थी। केन्द्र का उद्देश्य छात्रों को पंडित जवाहर लाल नेहरू के व्यक्तित्व और कृतित्व से सम्बंधित जानकारी प्रदान करना है। इस हेतु केन्द्र के द्वारा दो पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

## **15. विश्वविद्यालय शोध एवं विकास प्रकोष्ठ (University Research & Development Cell)**

विश्वविद्यालय में स्तरीय शोध को बढ़ावा देने के लिए और पाठ्यक्रम गुणवत्ता हेतु वर्ष 2010 में इस प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। प्रकोष्ठ में सभी संकायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। प्रकोष्ठ की यह भी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक एवं शोध संस्थाओं के साथ सहयोग कर शोध परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा सके।

## **16. समान अवसर प्रकोष्ठ (Equal Opportunity Cell)**

ग्यारहरवीं पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से इस प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। प्रकोष्ठ का उद्देश्य वंचित समुदायों जैसे – अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा, रोजगार और व्यक्तित्व विकास से सम्बंधित जानकारी देना है।

## **17. सॉफ्ट स्किल केन्द्र (Soft Skill Centre)**

इस केन्द्र की स्थापना वर्ष 2010 में की गई। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के ज्ञान के अवगत कराना है, साथ ही साथ केन्द्र के द्वारा विद्यार्थियों के लिए भाषायी दक्षता, सम्प्रेषण और व्यक्तित्व-विकास के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

## **18. आइडिया सेन्टर (IDEA : Centre for Initiative and Development Action)**

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं यू.एन.डी.पी. के सहयोग से वर्गा 2010 में इस केन्द्र की स्थापना की गई। इस केन्द्र का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में समाज, राजनीति, संस्कृति एवं अन्य पहलुओं से सम्बंधित मुद्दों का शोध एवं अध्ययन करना तथा उनसे सम्बंधित कार्यशालाएं, व्याख्यान आदि आयोजित करना है।

## **19. महिला उत्पीड़न विरोधी समिति (Committee for Action against Women Harassment )**

कार्यालयों में महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न पर कार्यवाही करने हेतु इस समिति की स्थापना की गई। समिति का कार्य क्षेत्र विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालय होंगे।

# UNIVERSITY COMPUTER CENTRE

- **University Computer Centre**

Associate Co-ordinator	Prof. S. N. A. Jaffrey
Associate Professor	Dr. M. K. Jain
System Manager	Shree Sanjeev Agarwal
Programmer	Dr. N. K. Parikh

The main Computer Centre of the University, located in the University Campus, at Vigyan Bhawan in running MCA Programme. The intake capacity of MCA course is 60. Out of these, 30 seats are on self-financing basis. It also conduct training programme for faculties as well as other staff of the university utilise the facilities available in the computer center. The computer center is well equipped with modern computing facilities consisting of UNIX (RISC based Digital Alpha System), Linux (IBM Xeon Server), Windows NT (Compaq Proliant), and Windows 2003 (Wipro Netpower Itanium based servers)., It also has number of PCs (which can work as clients to all the servers as well as can access Internet), multimedia systems, thin clients, Laser, Line Printers, Network Printer, multifunction printer etc. In addition to standard, thin clients, Laser, Center also has software like Oracle Database Server, Web Developer suite, Visual Studio, SPSS, Mathematica, Matlab, Rational Rose, Dview (Network Software), MSDN academic alliance etc. University also has an Internet Centre has optical fiber cabling as well as wireless networking, 100 Mbps/ 1Gbps switches to provide fast and reliable access across the campus. MCA students use these facilities freely for unlimited hour for e-mail, web surfing, down loading lecture notes/technical articles etc. Laboratory facilities are also available for computer hardware, microprocessor, networking and communication practical. Main facilities are listed below :

Hardware : RISC based Digital Alpha 500au workstations, Compaq Proliant work-stations, SGI Octane workstation, IBM Xenon Server (Dual Processor), Sun Netra Server, Compaq workstations, Wipro Netpower, Pentium based PC's with different configurations, 512 Kbps VSAT, cable based internet connection.

Software : Operating Systems - Digital Tru65 Unix, Microsoft Windows NT Server/ Workstation, Windows 2003 Server, Sun Solaris, Novell Netware, Redhat Linux, Microsoft Window Vista/XP/ 2000/98 MS-DOS, Database Systems : Oracle Web Developer Suite, Sun Java Workshop, Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Studio, WSAD Eclipse. Compilers : C, C++, Cobol, Pascal, Fortran 90, Application Packages : MS Office 2007, SPSS, Adobe Photoshop, Chem Office, Mathematica, Matlab, Rational Rose, Dview etc.

The University Computer Center also offers the research programme. Presently, active research programme going on at University Computer Center are image and analysis, embedded system and computer security. The University Computer Center also organise training programme on IBM Products for its MCA Students time. University Computer Center has its own Software Development Center to develop Software for the University and MCA Students are normally encouraged to participate in the programme.

## INTERNET CENTRE

The University has a campus network of computers known as Sukhadia University Network (SUNet) connecting all University Departments, constituent colleges, various units and centres, hostels etc. situated in the both campuses of the university. The University Internet Centre located in the Vigyan Bhavan Block-A is responsible for operation and maintenance of the University network. The campus network is a 1000/100Mbps network with about 600 computers using Optical Fiber Cable back bone connectivity to all main buildings and Wireless connectivity between the campuses. The University has also installed Wi-Fi network connectivities in almost all main buildings. The campus network of the University is fully protected and secured using "CyberRoam" (firewalls and Intruder detection system). The network is also protected from external computer viruses using on-line subscription to latest network antivirus software. Following facilities are available to the students and staff of the University.

### **Internet Access**

The university has a 1Gbps leased line Internet connectivity at the University Internet Centre with BSNL India under UGC Infonet programme. Internet access is available to all the regular students, research students and faculty members for academic purposes through the campus network from computers installed in the departments, libraries, colleges, offices and hostels.

The undergraduate, post graduate and research students can access Internet for educational and research purpose from following locations :

1. e-library, University Central Library
2. e-library, College of Science
3. e-library, College of Commerce and Management studies
4. e-library, College of Social Sc. & Humanities

Internet access facilities are also available at college of Law, Vigyan Bhawan Block-A and B, Pharmacy building and hostels for the students.

Internet facilities available in the department can also be used by the post graduate and research students.

### **E-Journal access**

Access to about 5000 electronic research journals and 3 database under UGC Infonet programme are available from the computers installed in the campus. The computers installed in all the faculty rooms and research laboratories, e-libraries are provided with unlimited access to e-journals. Free training to access e-journals and to search Internet for research materials are provided by the Internet centre and University Central Library. Interested research students can register their names by sending e-mail to [suic@mlsu.ac.in](mailto:suic@mlsu.ac.in) with subject: Training.

### **University Web site**

The University official web site [www.mlsu.ac.in](http://www.mlsu.ac.in) provides information about the University. Admission notices, University examination time table, examination results and important announcements are available on the University web site. For information related to web site updating and publication of new information Internet centre may be contacted 0294- 2471310 or e-mail to information to [suic@mlsu.ac.in](mailto:suic@mlsu.ac.in)

### **Intranet Facilities**

1. University Information system : Student and staff databases, details of the courses, syllabus, Performa and formats for various purposes etc. are available on the University intranet.
2. Educational Resources: Tutorials, Power point presentations, digital herbarium, articles etc.
3. Student feedback system: Students can submit their feed back about courses, classes, teachers etc. using the feed back management system. Students are free to express their views using

the system without identifying their name.

4. Student Grievance submission System: Students can submit their grievances related to harassments/difficulties faced in courses and examinations.
5. Departmental Information System: A departmental Information System to collect and view department level data related to teaching and Research

To access University intranet facilities log on to campus network and access web page: <http://172.16.0.11>

### **Important Note**

User Id and password to access University network can be obtained from Internet Centre by filling up an application form freely available from all libraries and department offices. The application form can be downloaded from University intranet.

All students and staff of the University are hereby informed that use of Internet and Intranet from the University campus is allowed only for academic purpose and access of Information is governed under IT act of the country. Un authorized access of information, use of id and password of other users to gain access to campus network are criminal offenses and punishable.

All students and staff are hereby notified that access of information from Internet and intranet are recorded automatically by the Access server and Cyber Roam system and information is regularly monitored. Strict action including reporting to University and civil authorities and filing of cases will be made those who violate the IT act of the country.

For detailed facilities, training programs, software developments etc contact Prof. K Venugopalan, Co-ordinator, Internet Centre, Vigyan Bhawan, Mohanlal Sukhadia University, Tel No. 0294-2471310.

### **Important e-mail addresses of the University**

General Information	:	<a href="mailto:registrar@mlsu.ac.in">registrar@mlsu.ac.in</a>
University Home Page	:	<a href="http://www.mlsu.ac.in">http://www.mlsu.ac.in</a>
Vice-Chancellor Secretariat	:	<a href="mailto:vcmlsu@mlsu.ac.in">vcmlsu@mlsu.ac.in</a>
Comptroller Office	:	<a href="mailto:compt@mlsu.ac.in">compt@mlsu.ac.in</a>
University Central Library	:	<a href="mailto:ucl@mlsu.ac.in">ucl@mlsu.ac.in</a>
Dean, College of Science	:	<a href="mailto:ucs@mlsu.ac.in">ucs@mlsu.ac.in</a>
Dean, College of Commerce & Management Studies	:	<a href="mailto:uccms@mlsu.ac.in">uccms@mlsu.ac.in</a>
Dean, College of Social Sciences & Humanities	:	<a href="mailto:ucssh@mlsu.ac.in">ucssh@mlsu.ac.in</a>
Dean, College of Law	:	<a href="mailto:uclaw@mlsu.ac.in">uclaw@mlsu.ac.in</a>
Director, Computer Centre	:	<a href="mailto:ucc@mlsu.ac.in">ucc@mlsu.ac.in</a>
Dean, Students Welfare	:	<a href="mailto:dsw@mlsu.ac.in">dsw@mlsu.ac.in</a>
Dean, Post-graduate Studies	:	<a href="mailto:dps@mlsu.ac.in">dps@mlsu.ac.in</a>
Internet Centre	:	<a href="mailto:suic@mlsu.ac.in">suic@mlsu.ac.in</a>
International Students Advisor	:	<a href="mailto:isa@mlsu.ac.in">isa@mlsu.ac.in</a>

Visit <http://www.mlsu.ac.in> for complete list of e-mail addresses of departments, units and faculty members.

## राष्ट्रीय सेवाएँ (National Services)

विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवाओं के अन्तर्गत निम्न चार विकल्प उपलब्ध हैं –

- |                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| (क) राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन (N.S.O.) | (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.) |
| (ग) राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)    | (घ) रोवरिंग (Rovering)           |

विद्यार्थी इन चारों में से कोई एक विकल्प चुनकर उसमें सम्मिलित हो सकता है। इन चारों राष्ट्रीय सेवाओं के संचालन के लिए विभिन्न प्रभारी हैं, जिनसे विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

**(क) राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन (N.S.O.) :** इसके अन्तर्गत निम्नलिखित खेल वर्ग हैं –

- |            |               |             |         |
|------------|---------------|-------------|---------|
| 1. क्रिकेट | 2. फुटबॉल     | 3. दौड़–कूद | 4. हॉकी |
| 5. वॉलीबाल | 6. बास्केटबॉल | 7. हैण्डबॉल |         |

इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को इन सात वर्गों में से एक को चुनना होगा। अपनी रुचि के खेल की व्यावहारिक परीक्षा देनी होगी और उसमें उत्तीर्ण होने पर ही इस संगठन में नामांकन होगा। इसमें 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए सचिव विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।

**(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.) :** इसमें सैनिक प्रशिक्षण महत्वपूर्ण स्थानों पर ग्रीष्मकालीन शिविर पर्वतारोहण के अवसर प्राप्त होते हैं। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों से अनुशासन एवं सेवा की भावना के साथ–साथ शारीरिक क्षमता बढ़ती है। इस योजना के अन्तर्गत थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना में से एक को चुना जा सकता है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर में भर्ती होने वाले छात्र के लिए निर्धारित मानदण्ड के अनुसार स्वास्थ्य चाहिए।

राष्ट्रीय कैडेट कोर की इच्छित शाखा में प्रवेश के आवेदकों में से चयन किया जाएगा। चयन तिथि एवं समय की सूचना कैडेट कोर अधिकारियों द्वारा यथासमय घोषित की जायेगी। जो छात्र एन.सी.सी. की इच्छित शाखा में चयनित नहीं होते हैं उन्हें अन्य निद्रिष्ट शाखा में प्रवेश लेने का विकल्प होगा।

### उपस्थिति (Attendance)

एन.सी.सी. कैडेटों के लिए 75 प्रतिशत परेडों में उपस्थित रहना अनिवार्य है। निर्दिष्ट शिविरों में भी उन्हें भाग लेना होगा। यूनिट द्वारा निर्धारित तिथि पर गणवेश एवं अन्य सामान दिया व लिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी बिना गणवेश एवं सामान लौटाये सत्र के मध्य में महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय छोड़ देता है तो उसका नाम आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस को प्रेषित कर दिया जायेगा।

शाखाओं (Wings) में अन्तर–परिवर्तन की अनुमति नहीं है। एन.सी.सी. के तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण कुछ चयनित छात्रों को ही दिया जायेगा।

### प्रमाण पत्र परीक्षाएँ (Certificate Examinations)

प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष के अन्त में वे प्रशिक्षणार्थी 'बी' प्रमाण पत्र के पात्र होंगे जिन्होंने एक शिविर में भाग लिया हो तथा प्रत्येक सत्र में जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत हो।

प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष के अन्त में 'सी' प्रमाण परीक्षा के लिये वे ही केडेट पात्र होंगे जिन्होंने 'बी' प्रमाण पत्र उत्तीर्ण किया हो, दो शिविरों में भाग लिया हो तथा प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण की हो। एन.सी.सी. के माध्यम से सशस्त्र सेनाओं में कमीशन

सशस्त्र सेनाओं में कमीशन के लिए आवेदन—पत्र, केडेट अपने एन.सी.सी. यूनिट के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन पत्र स्वीकृत होने पर जिस सेवा के लिए उन्होंने आवेदन किया है उसकी चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा। कमीशन के प्रत्याशियों की योग्यता का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है – थल सेना

1. वाणिज्य/कला/विज्ञान स्नातक 2. 19 से 22 वर्ष की आयु
3. एन.सी.सी. का 'सी' परीक्षा (थल सेना) का प्रमाण पत्र धारक

#### जल सेना

1. भौतिक विज्ञान एवं गणित विषय का स्नातक अथवा अभियांत्रिक उपाधि धारक
2. 19 से 22 वर्ष की आयु 3. एन.सी.सी. का 'सी' परीक्षा (जल सेना) का प्रमाण पत्र धारक

#### वायु सेना (सामान्य सेवाएँ)

1. वाणिज्य/कला/विज्ञान स्नातक 2. 19 से 22 वर्ष की आयु
3. एन.सी.सी. का 'सी' परीक्षा (वायु शाखा) छोड़ने के एक वर्ष भीतर प्रस्तुत हो।

#### निस्सारण (Discharge)

छात्रों को एन.सी.सी. छोड़ने के एक वर्ष भीतर अपने युनिट कमाण्डर से निस्सारण प्रमाण—पत्र (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट) ले लेना चाहिए। इसके लिए उन्हें अपने एन.सी.सी. अफसर के माध्यम से आवेदन भेजना चाहिए।

(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) : इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय के युवा वर्ग की शक्ति को राष्ट्रीय सेवा प्रयोजनाओं में लगाना है। सामान्यतया इसका लक्ष्य नेतृत्व गुणों का विकास करना एवं श्रम की गरिमा के मान का पोषण करना है। कल्याणकारी गतिविधियों के तीन क्षेत्रों, यथा ग्रामीण, नगरीय एवं संस्थागत की उन्नति के लिए यह योजना सामूहिक जीवन का प्रशिक्षण देती है।

इसके अतिरिक्त एन.एस.एस. द्वारा ग्रामीण विकास के लिए एक वर्ष में दो अनिवार्य शिविरों का आयोजन किया जाता है। कुछ विद्यार्थी प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय शिविरों में भी भेजे जाते हैं। इस योजना में सम्मिलित होने वाले छात्रों को प्रतिवर्ष 65 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करनी होगी।

(घ) रोवरिंग (Rovering) : विश्वविद्यालय स्तर पर स्काउटिंग की गतिविधियों का संचालन रोवर्स के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक छात्र, जिसने विद्यालय स्तर पर स्काउटिंग का अपेक्षित अनुभव ग्रहण किया है, विश्वविद्यालय स्तर पर रोवर के रूप में पंजीकृत हो सकता है तथा राष्ट्रीय स्तर पर रोवर कार्यक्रमों में योग्यतानुसार भाग ले सकता है। निम्न कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किये जाते हैं –

1. साक्षरता अभियान, सामाजिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा
2. औषधालय सेवा
3. गन्दी बरितियों की सफाई
4. ग्रामीण विकास
5. जरूरतमंदों की सहायता
6. राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम
7. परिसर विकास, तथा
8. प्रकल्प निदेशकों द्वारा निर्धारित अन्य कार्य।

## खेल—कूद (Games & Sports)

विश्वविद्यालय में खेलों के विकास हेतु एक क्रीड़ा मण्डल की स्थापना की गई है जिसका नाम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल रखा गया है। क्रीड़ा मण्डल का कार्यकाल दो वर्ष का होता है तथा इसके पश्चात् विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा इसका पुनर्गठन किया जाता है।

विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष अन्तर—महाविद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करता है। विश्वविद्यालय की टीमें अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भी भाग लेती है। विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को गणवेश (Uniform) के लिए विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल द्वारा आंशिक आर्थिक सहयोग (Subsidy) रु. 550/- प्रति किट दिया जाता है।

### विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल (University Sports Board)

अध्यक्ष	— प्रो. डॉ. एस. चुण्डावत
कार्यवाहक सचिव	— डॉ. दीपेन्द्र सिंह चौहान (मुक्केबाजी प्रशिक्षक)

विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल के लक्ष्य और उद्देश्य शारीरिक शिक्षा व खेलों के द्वारा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों व खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास करना है। विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल प्रतिवर्ष अन्तर महाविद्यालय खेल—कूद प्रतियोगिताएँ अन्तर महाविद्यालय क्रीड़ा मण्डल द्वारा प्रदत्त नियमों तथा निर्देशों के आधार पर आयोजित करता है। अन्तर विश्वविद्यालय खेल—कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल अपना दल भेजता है। हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन कर इन प्रतियोगिताओं में कई बार विजय व उच्च स्थान प्राप्त किए हैं। बास्केटबॉल, टेबल—टेनिस, बेडमिण्टन, खो—खो, जिमनास्टिक, क्रिकेट, एथलेटिक्स, हॉकी, हैंडबॉल, टेनिस, वेट लिफ्टिंग, बेस्ट फिजिक, फुटबॉल, कबड्डी, शतरंज, कुश्ती, तैराकी, बॉक्सिंग, जूडो, तीरंदाजी एवं योगासनादि खेल—कूदों की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी क्रीड़ा मण्डल द्वारा किया जाता है।

विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल योग केन्द्र के तत्वावधान में योग शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एक वर्षीय पूर्णकालीन) पाठ्यक्रम चल रहा है। इसमें प्रवेश क्षमता 30+10 है। 10 पेमेन्ट सीट है। इसके अतिरिक्त केन्द्र द्वारा योग प्रशिक्षण में 6 सप्ताह का प्रमाण पत्रीय पाठ्यक्रम भी संचालित किया जाता है।

विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल के तत्वावधान में शारीरिक शिक्षा M.P.Ed में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसमें प्रवेश क्षमता 50 सीट हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आर्थिक सहयोग से क्रीड़ा मण्डल द्वारा साहसिक खेल (Adventure Sports) वाटर स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, पैरासेलिंग, रिवर राफिटिंग आदि खेलों के आयोजन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस (मेजर ध्यान चन्द जन्म दिवस) के अवसर पर अन्तर्महाविद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं के श्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ अन्तर्विश्वविद्यालयी खेलप्रतियोगिताओं तथा अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का टीम अधिकारियों को माननीय कुलपति महोदय द्वारा सम्मानित किया जाता है।

## UNDER GRADUATE &amp; POST GRADUATE

DATE	U.G.ARTS (Regular/Ex)			U.G.ARTS (NON-COL)		P. G. ARTS		U. G. COMMERCE			P.G.COMMERCIAL		B.B.M.			
TIME	IYr	IYr	IIYr	IYr	II Yr	MA(P)	MA(F)	IYr	IIYr	IIIYr	MCom(P)	Mcom(F)	IYr	IIYr		
3PM-4PM	IIAM-2PM	7AM-10AM	3PM-4PM	IIAM-2PM	7AM-10AM	3PM-6PM	3PM-6PM	IIAM-2PM	7AM-10AM	7AM-10AM	3PM-6PM	3PM-6PM	IIAM-2PM	7AM-10AM		
Sub. Group & Paper Nu.			Sub. Name & Paper Nu.		Sub. Group & Paper Nu./Code			Sub. Name & Paper Nu.			Sub. Name & Paper Nu.			IUE PAPER FOR PART - IV		
1-Mar-13																
2-Mar-13															P-I	
3-Mar-13																
4-Mar-13	MATH III			SOC-P-I											P-II	
5-Mar-13				HINDI-P-I												
6-Mar-13		G-3-P-I		POL-P-I												
7-Mar-13	G-2-P-I		G-2-P-I													
8-Mar-13			PUB. AD.- I												P-III	
9-Mar-13	G-4-P-I		HIST-P-I													
10-Mar-13																
11-Mar-13	G-1-P-I		G-5-P-I		SANS-P-I										P-IV	
12-Mar-13																
13-Mar-13	G-1-P-I		SANS-P-I													
14-Mar-13	G-3-P-I		G-4-P-I		POL-P-I											
15-Mar-13			PUB. AD- II													
16-Mar-13	G-6-P-I		SOC-P-II												P-V	
17-Mar-13																
18-Mar-13	G-5-P-I		G-1-P-I		HINDI-P-I											
21-Mar-13	G-5-P-I		HINDI-P-II												P-VI	
24-Mar-13																
25-Mar-13	G-5-P-II		G-6-P-I		SOC-P-I		Geog Pr-II/Social. Comp. Appl.									
26-Mar-13																
27-Mar-13																
28-Mar-13																
29-Mar-13																
30-Mar-13	G-3-P-II		POL-P-II		G-1-P-I		G-2-P-V							P-I	P-VII	
31-Mar-13																
1-Apr-13			GH		G-2-P-I		G-4-P-I									
2-Apr-13			G-6-P-II		G-3-P-I		G-1-P-I		Acct-P-I					P-I	P-I	
3-Apr-13	G-6-P-I		G-3-P-I		G-4-P-I		G-2-P-I		GE					Bus Ad P-IIA 5822		
4-Apr-13					POL-P-II		G-1-P-II		G-3-P-I					Acc-P-II		
5-Apr-13			G-4-P-II		HIST-P-II		G-2-P-II		G-4-P-II					P-II	P-II	
6-Apr-13	G-3-P-II		G-2-P-II				G-1-P-II							P-II & Bus III B 5825	P-VIII	
7-Apr-13																
8-Apr-13	G-1-P-II		SANS-P-II		G-3-P-II		G-2-P-II		Bank-P-I						P-III	
9-Apr-13	G-4-P-I		G-5-P-II		HIST-P-I		G-4-P-II		G-3-P-II					P-III		
10-Apr-13						GE	G-1-P-III		G-4-P-III					P-III & Bus III C 5827	P-IX	
11-Apr-13																
12-Apr-13			G-2-P-I												P-IV	
13-Apr-13	G-4-P-II		G-4-P-II		HIST-P-II		G-2-P-III		G-1-P-III		Acct-P-II				Bus P-III 5824	
14-Apr-13																
15-Apr-13			G-2-P-II												P-V	
16-Apr-13	G-2-P-II		G-1-P-II				G-4-P-III		G-1-P-IV					P-IV		
17-Apr-13					EVS		G-2-P-IV							P-IV & Bus II C 5826		
18-Apr-13	G-5-P-II						G-3-P-IV		G-4-P-III		Bus-P-II				P-VI	
19-Apr-13	G-1-P-II		MATH III		SANS-P-II		G-1-P-IV		G-2-P-IV							
20-Apr-13																
21-Apr-13																
22-Apr-13	G-6-P-II		G-3-P-II		SOC-P-II	Geog. Pr. I A	G-3-P-IV							P-V & Bus VA 5828		
23-Apr-13																
24-Apr-13		ECA					G-4-P-IV		G-1-P-V		EVS		Bus-P-II	P-V	P-VII	
25-Apr-13			G-6-P-II		PUB.AD.-I		G-2-P-V								Bus Ad IIIA 5823	
26-Apr-13	GH				HINDI-P-II	G-2-P-V, Geog.Pr.II B										
27-Apr-13			GE												GE	
28-Apr-13																
29-Apr-13	EVS		HIST- II		PUB.AD.-II	G-3-P-V	Geog.Pr.I								Bus Ad VB 5829	P-VIII
30-Apr-13			MATH III			ECA	G-1-P-V	G-3-P-V								

**EXAMINATION PROGRAMME - 2013**

B.Sc.			BCA			P. G. SCIENCE		LLB			LLM	
Iyr	IIYr	IIIYr	BCA I yr	BCA II	BCA III	MSc(P)	MSc(F)	I Yr	II Yr	III yr	LLM-I	LLM-II
3PM-4PM	11AM-2PM	7AM-10AM	3PM-4PM	11AM-2PM	7AM-10AM	7AM-10AM	3PM-4PM	3PM-4PM	11AM-2PM	7AM-10AM	11AM-2PM	7AM-10AM
Sub. Name & Paper Nu.			Paper Nu.			Paper Nu.		Paper Nu.			Paper Nu.	
Bot/Phy - I		Math -P-I			P-I							
Phy/Bot-P- I												
Chem - I												
Comp. / Fru-P- I		Zoo-P-I			P-II							
Math/Zoo-P- I						P-III						
Chem - II												
Comp/ Fru-P- II		Phy/Bot-P-I										
Phy/Bot-P- II												
EVS					P-IV							
	Chy/Comp- / Fru -P-I											
Env Geo/Stat-P- I						P-V						
Phy - II												
Bot-P- II		Chy/Comp- / Fru -P-II										
Phy/Bot-P- III												
Env/Geo/Stat-P- I		Math/Zoo-P-II		P-I								
	Env/Geo/Stat-P- II											
Env/Geo/Stat-P- II		Env/Geo/Stat-P- I		P-II			P-I	P-I		P-I	P-I	
	Chy/Comp/ Fru-P- I											
Math - II		Comp-P-III		P-III				P-I	P-I		P-II	
	Fru-P- II/ Comp-P- II		P-I				P-II	P-II		P-II		P-I
Phy-P- III		Env/Geo/Stat-P- II		P-IV					P-II			
	Chy P - II							P-III		P-III	P-III	
						P-V		P-III	P-III			P-II
Math-P- III/ Zoo-P- II		Bot-P- II						P-IV		P-IV		
	Env Geo/Stat-P- III		P-II								P-IV	
Chy/Comp-P-III		Env/Geo/Stat-P-III		P-VI					P-IV			
	Math/Zoo-P- II		P-III		P-I		P-V		P-V		P-III	
		Bot-P- III				P-IV		P-V		P-V		
Math/Zoo-P- I			P-IV					P-VI		P-VI		
	ECA											
	Math -P- III			P-II					P-VI		P-IV	
Zoo-P- III		Zoo-P- III	P-V					P-VII		P-VII		
	Math/Zoo-P- III					P-III			P-VII		P-V	
Env/Geo/Stat-P- III		Phy - P-II	P-VI				Math P-VA	P-VIII		P-VIII		
	GE								P-VIII		P-VI	
						P-IV						
Bot-P- III		Chy-P-III	GH					P-IX		P-IX		
	Chy/Comp- .P-III						Math-P-V			P-IX		
GH		Phy - P-III	EVS									

**मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर**  
**MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR**

**शैक्षणिक सत्र 2012–2013**  
**ACADEMIC CALENDAR : 2012-2013**

क्र.सं.	विभिन्न प्रवृत्तियाँ	निर्धारित दिनांक
1.	शैक्षणिक सत्र का शुभारम्भ	2 जुलाई, 2012
2.	अध्यापन आरम्भ	2 जुलाई, 2012
3.	मोहनलाल सुखाड़िया स्मृति व्याख्यान	31 जुलाई, 2012
4.	सभी कक्षाओं में स्थानों की रिक्तता आदि के आधार पर प्रवेश की अंतिम तिथि	5 अगस्त, 2012
5.	छात्रसंघ चुनाव	अलग से आदेश जारी किये जायेंगे
6.	केरियर गाइडेन्स प्रोग्राम	15 अगस्त से 5 सितम्बर, 2012
7.	नियमित / स्वयंपाठी छात्रों द्वारा परीक्षा फार्म भरना	16 अगस्त से 15 अक्टूबर, 2012
		16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर, 2012
		(विलम्ब शुल्क सहित)
8.	पूरक परीक्षाओं की समाप्ति	15 सितम्बर, 2012 तक
9.	गांधी जयन्ति व्याख्यान	2 अक्टूबर, 2012
10.	दशहरा अवकाश	22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर, 2012
11.	दीपावली अवकाश	09 नवम्बर से 18 नवम्बर, 2012
12.	शीतकालीन अवकाश	25 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 2012
13.	अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम	31 दिसम्बर, 2012 तक
14.	शैक्षणिक भ्रमण	31 जनवरी, 2013 तक
15.	राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कारे, रोवर स्काउट गार्ड के शिविरों का आयोजन	31 जनवरी, 2013 तक

16.	प्रायोगिक परीक्षाएँ	फरवरी, 2012
17.	वार्षिक परीक्षाओं का प्रारम्भ	02 मार्च, 2013
18.	सत्र का अन्तिम कार्य दिवस	30 अप्रैल, 2013
19.	परीक्षा परिणामों की घोषणा	15 जून, 2013 तक
20.	नवीन सत्रारम्भ	2 जुलाई, 2013

### टिप्पणियाँ

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार 180 शैक्षणिक दिवस होने आवश्यक है।
2. स्नातक पार्ट द्वितीय एवं तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध की कक्षाओं में दिनांक 2.7.2012 तक बिना अहंकारी परीक्षा का परिणाम घोषित हुए छात्रों को अस्थाई प्रवेश दे दिया जायेगा तथा दिनांक 2.7.2012 से नियमित अध्यापन कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति नियमित रूप से उपस्थिति पंजिका में अंकित की जायेगी तथा उसी तिथि से उपस्थिति की गणना की जायेगी।

## महत्वपूर्ण दूरभाष (Important Telephone No.)

		कार्यालय	आवास
1.	कुलपति	प्रो. आई. वी. त्रिवेदी	2470597 (Fax) 2470259
2.	कुलसचिव	श्री एल. एन. मंत्री	2470166
3.	वित्त नियंत्रक	श्री डी. एन. पुरोहित	2470621
4.	परीक्षा नियंत्रक	डॉ. आर.सी. कुमावत	2471372
6.	उप—कुलसचिव (परीक्षा)	श्री हरकेश मीणा	2470749
7.	उप—कुलसचिव (जी.ए.डी.)	डॉ. डी. एस. चौहान	—
8.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	डॉ. जी.एल. वसीटा	2470863
9.	वि. वि. अभियन्ता	श्री ए. एस. खान	2471900
<hr/>			
1.	अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर अध्ययन	प्रो. के. वेणुगोपालन	2470707
2.	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	प्रो. कैलाश सोडाणी	2413120
3.	संकायाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता, विज्ञान महाविद्यालय	प्रो. महिप भटनागर	2413955
4.	संकायाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता, वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय	प्रो. डी.एस.चुण्डावत	2411408
5.	अधिष्ठाता, सा.वि.मा. महाविद्यालय एवं संकायाध्यक्ष, मानविकी	प्रो. शरद श्रीवास्तव	2470143
6.	अधिष्ठाता विधि महाविद्यालय एवं संकायाध्यक्ष	डॉ. आनन्द पालीवाल	2470958
7.	संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान	प्रो. फरीदा शाह	2470143
8.	संकायाध्यक्ष एवं निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन संकाय	प्रो. पी. के. जैन	2471600
9.	संकायाध्यक्ष, शिक्षा	प्रो. कैलाश सोडाणी	2412009
10.	ऑफिसर इंचार्ज, केन्द्रीय पुस्तकालय	प्रो. ए. के. गोस्वामी	2470602
11.	निदेशक, कम्प्यूटर सेन्टर	प्रो. एस. एन. ए. जाफरी	2471370
12.	मुख्य वार्डन, छात्रावास	प्रो. डी. एस. चुण्डावत	2411408
13.	अध्यक्ष, क्रीड़ा मंडल	प्रो. डी. एस. चुण्डावत	2417308

14. निदेशक, महिला अध्ययन केन्द्र	प्रो. रेणु जटाना	2412009	2460357
15. निदेशक, जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र	प्रो. बलबीर सिंह	2470117	2471425
16. विभागाध्यक्ष, भू-विज्ञान विभाग	प्रो. विनोद अग्रवाल	2413955	2489597
17. विभागाध्यक्ष, फॉर्मसी विभाग	डॉ. पी. के. चौधरी	2470192	2470283
18. समन्वयक, अनु.जाति व जनजाति प्रकोष्ठ	डॉ. हनुमान प्रसाद	2471949	2423622
19. समन्वयक, प्रतियोगिता परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	प्रो. संजय लोढ़ा	2470143	2470607
20. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना	प्रो. एन. के. चौहान		9414168607
21. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय	डॉ. रामकेश मीणा	2470602	—
22. सचिव, विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल	डॉ. दीपेन्द्र सिंह चौहान	2417308	9414281130
23. अन्तर्राष्ट्रीय, विद्यार्थी परामर्शदाता	प्रो. रेणु जटाना	2412009	2460357
24. मैनेजर, विश्वविद्यालय अतिथि गृह	डॉ. दुर्गासिंह राठौड़	2411798	9414160086
25. पूछताछ – परीक्षा	2470749		
26. प्रशासनिक कार्यालय (ई.पी.ए.बी. एक्स)	2471035 2470918 2470509		

## विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के दूरभाष

S. No.	College Name	Place	Tel. (Office)	Tel. (Res)
<b>BANSWARA</b>				
1	ADARSH COLLEGE	ANANDPURI		9413194854
2	ARAVLI MAHAVIDHYALAYA	BANSWARA	02962-255514	9413529612
3	BHARTIYA VIDYA BHAWAN T.T. COLLEGE	BANSWARA	02962-2410050	9414217225
4	BVM T.T. COLLEGE	BANSWARA	02962-243751	9983890471
5	DR. N.S. LAW COLLEGE	BANSWARA	02962-243639	250740
6	GLOBAL INSTITUTE OF EDUCATION AND RESEARCH	BARODIA	99826480001	02968-240024
7	H.D. JOSHI GOVT. GIRLS COLLEGE	BANSWARA	02962-244162	
8	L.B.S., GANODA	BANSWARA		9829468871
9	LEO COLLEGE	BANSWARA	9414015344	8058293344
10	M.B.D. GOVT. COLLEGE	KUSHALGARH	02965-275276	9784553173
11	M.P. COLLEGE	PALODA		9413851161
12	MAHARISHI VALMIKI COLLEGE	JOHALANA		9928122104
13	MAHATMA GANDHI B.E.D. COLLEGE	BANSWARA	9667433239	9414290631
14	MAHAVEER B.E.D. COLLEGE	DUNGARPUR	02962-215163	9414385682
15	MAHI KALA COLLEGE	BANSWARA	9414104028	
16	NEW LOOK GIRLS COLLEGE	BANSWARA	02962-254023	9461575472
17	P.S.P. COLLEGE	PARTAPPUR	9414385692	02963-221366
18	SARASWATI VIDHYA MANDIR, GHATOL	BANSWARA	02961-235407	9828353601
19	SARVODAY MAHILA COLLEGE, BAGIDORA	BANSWARA	9982824949	9413018150
20	SARYODAYA MAHAVIDHYALA	BANSWARA	02968-220444	9001002725
21	SERVEPALLI DR. RADHA KRISHNAN COLLEGE	BAGIDORA	02968-220933	9413118251
22	SHRI GOVIND GURU GOVT. COLLEGE	BANSWARA	02962-254022	9414585049
23	SHREENATHJI COLLEGE, GARHI	BANSWARA	9950599925	
24	TAJESWANI GIRLS COLLEGE	PRATAPUR		9928620516
25	UTKARSH MAHAVIDHYALA	SAJJANGARH	9414741526	
26	UTTAM SWAMI JI COLLEGE	BANSWARA	9887141646	9887141646
27	VAGAD COLLEGE	DEVELA, KOTRA	02963-238831	9587700556
28	VAGAD SHREE COLLEGE	BANSWARA	02962-254283	9414725258

29	VEER AKLAVYA COLLEGE, JOULANA	BANSWARA	9784947716	9828228390
30	VIVEKANAND COLLEGE	ANJANA	9928168242	9571861233
31	VIVEKANAND COLLEGE	GHATOL	02961-235028	9983430775
32	YOGESHWAR COLLEGE	SAJJANGARH	9828645434	

**CHITTORGARH**

33	A.K.C. COLLEGE	CHITTORGARH	01472-512329	9414202332
34	ACHARYA SHRI NANESH SAMTA MAHAVIDHYALAYA	DANTA, KAPASAN	01476-287410	9413214877
35	ATHARAVA COLLEGE	NIMBAHERA	08432712989	
36	BAHUBALI T.T. COLLEGE	BADWAI, DUNGLA	02957-220259	9784896565
37	BHAGWATI GIRLS T.T. COLLEGE	CHITTORGARH	01472-246561	9460934523
38	DR. B.R. AMBEDKER GOVT. COLLEGE	NIMBAHERA	01477-221559	
39	GOVT. GIRLS COLLEGE	CHITTORGARH	01472-243301	
40	M.P. COLLEGE	RAWATBHATA	01475-236477	9413377185
41	M.P. GOVT. P.G. COLLEGE	CHITTORGARH	01472-241041	9829782101
42	MAHARISHI DADHICHI COLLEGE	RASHMI	9414313194	
43	MEERA MAHILA B.E.D. COLLEGE	CHITTORGARH	01472-243830	9460057137
44	MEWAR GIRLS COLLEGE OF TEACHERS EDUCATION	CHITTORGARH	01472-291148	9460179787
45	MEWAR GIRLS COLLEGE	CHITTORGARH	01472-248358	9414796788
46	MODERN SANWALIYA T.T. COLLEGE	CHHOTI SADRI		9414857959
47	R.N.T. COLLEGE OF B.E.D.	CHITTORGARH	01472-247814	9414493040
48	R.N.T. COLLEGE OF TEACHERS & EDUCATION	KAPASAN	01476-231411	9414181595
49	R.N.T. COLLEGE	KAPASAN	01476-231726	9460040118
50	R.N.T. LAW COLLEGE	CHITTORGARH	01472-250244	9413083659
51	RAJASTHAN DEGREE COLLEGE	MANGALWAR	01470-246091	8890837675
52	S.P. COLLEGE	BARI SADRI	01473-264025	9352091409
53	S.R.K. COLLEGE	BEGUN	01474-220877	9785940910
54	SANWARIYAJI GOVT. COLLEGE	MANDFIYA	01470-248612	
55	SHRADHALAYA JANJATI B.E.D. COLLEGE	RAWATBHATA	01475-213475	9252061358
56	SHRADHYALAYA MAHILA T.T. COLLEGE	RAWATBHATA	01475-270089	
57	SHRINATH T.T. COLLEGE	BARI SADRI	01473-264025	9414158100
58	VEDANT BHAIKAV COLLEGE	BHADESHWAR	01470-243788	
59	VISION COLLEGE OF COMMERCE	CHITTORGARH	01472-249605	9414304539

**DUNGARPUR**

60	ARTS COLLEGE	JASELA	9829119441	9636122606
61	BHOGI LAL PANDIYA, GOVT. COLLEGE	DUNGARPUR	02964-232523	9413118418
62	GOVT. COLLEGE	SAGWARA	02966-252731	9413830251
63	GURUKUL ARTS COLLEGE	DUNGARPUR	234900	9950723262
64	GURUKUL DEGREE COLLEGE	ASPUR	9783920987	
65	GYAYAK COLLEGE	SAGWARA	9414101433	
66	M.B. MAHILA T.T. COLLEGE	DUNGARPUR	02964-235074	9414419697
67	MAHI COLLEGE OF EDUCATION	SABLA	9414164181	
68	MAHILA COLLEGE	SAGWARA	02966-254666	9783797907
69	MANAS MAHAVIDHYALAYA, BADGI	DUNGARPUR	9928281428	9783797907
70	MSRD T.T. COLLEGE	DUNGARPUR	02964-232481	9453293682
71	PRAGATI SANSTHAN	DUNGARPUR	02964-231122	9414307235
72	SHIV NARAYAN CHOURISA COLLEGE	SIMALWARA	240572	9982965582
73	SIDDHI MAHAVIDHYALAYA	SAGWARA	02966-254137	967226954
74	VAGVAR GIRLS COLLEGE	SAGWARA	02966-2541366	
75	VEER KALI BAI GOVT. GIRLS COLLEGE	DUNGARPUR	02964-233980	9414331874

**PRATAPGARH**

76	A.P.C.	PRATAPGARH	01478-221236	9829747053
77	GOVT. P.G. COLLEGE	PRATAPGARH	01478-222012	
78	L.B.S. COLLEGE	PRATAPGARH	01478-220636	9414419873
79	M.V.M. T.T. COLLEGE	PRATAPGARH	01478-223077	9983972000
80	SAMANT BHADRA KANYA MAHAVIDHYALAYA	DHARIYAWAD	9929808449	8764341728
81	SIDDHESHWAR VINAYAK T.T. COLLEGE	DHARIYAWAD		8107936859
82	SIDDHESWER VINAYAK ARTS COLLEGE		220529	9928814996

**RAJSAMAND**

83	ANKUR B.E.D. COLLEGE	NATHDWARA	02953-2710093	9414385519
84	B.N. GIRLS COLLEGE	RAJSAMAND	02952-230707	9928579067
85	GOVT. COLLEGE	AMET	02908-231030	
86	GOVT. COLLEGE	RAJSAMAND		
87	GOVT. COLLEGE	BHIM	9460523234	
88	GOVT. GIRLS COLLEGE	NATHDWARA	02953-231602	
89	J.R. COLLEGE	RAILMAGRA	02952-267766	9414342805
90	MAHABALI DANI PANNA DHAY MAHILA T.T. COLLEGE	DELWARA	02953-289277	9414403034

91	MAHERSHI MAHILA T.T. COLLEGE	KANKROLI	02952-290162	9413173715
92	NATHDWARA INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY AND MANAGEMENT	NATHDWARA	02953-230076	9680262109
93	S.M.B. GOVT. COLLEGE	NATHDWARA	02953-234630	
94	SAINT MEERA MAHILA T.T. COLLEGE	NATHDWARA	9251226662	9878870606
95	SHREE DWARKA DHISH INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCE	KANKROLI	02952-230906	9414859357
96	SHREE DWARKADHISH T.T. COLLEGE	KANKROLI	02952-230907	9414859357
97	SHRI DATTATRYA COLLEGE	KANKROLI	02952-231577	9887670748
98	SHRINATHJI INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY AND MANAGEMENT	NATHDWARA	02953-237748	9829292624
<b>SIROHI</b>				
99	GOVT COLLEGE	SHIVGANJ	02976-222569	9829996907
100	GOVT. COLLEGE	SIROHI	02972-221684	221685
101	GOVT. GIRLS COLLEGE	SIROHI	02972-221275	9929998133
102	GOVT. LAW COLLEGE	SIROHI	02972-222078	
103	GURUKUL MAHILA B.E.d COLLEGE	SIROHI	02972-224406	9460543899
104	J.R. COLLEGE	ABU PARVAT	02959-270026	8058082504
105	J.R. COLLEGE	PINDWARA	02971-224712	9462685731
106	RAJENDRA MUNI T.T. COLLEGE	MOUNT ABU	02974-235379	9571425104
107	S.M.C. CHOUDHARY,GOVT. COLLEGE	ABU ROAD	02974-222253	
108	S.P. COLLEGE	SIROHI	02972-223241	9414153177
109	SAINT MEERA COLLEGE	SHIVGANJ	02976-272717	9829791775
110	SANSKAR T.T. COLLEGE	SHIVGANJ	9460841024	9413740431
111	SHRI TEJENDAR PRASAD T.T. COLLEGE	ABU ROAD	02974-228561	9414642088
112	SHRINATHJI B.E.D COLLEGE	AMTHALA, (ABU ROAD)	02974-228482	9667040377
113	SMT. CHANDRALVAL GUPTA MAHILA T.T. COLLEGE	ABU ROAD	02974-225369	9828024811
114	ST. PAUL'S COLLEGE OF SCIENCE AND MANAGEMENT	ABU ROAD	9928400300	
115	U.S.B. COLLEGE OF T. EDUCATION	ABU ROAD	02974-294753	9001134307
<b>UDAIPUR</b>				
116	ADINATH MAHILA T.T. COLLEGE	UDAIPUR	2482315	9413666898
117	ADVENT INSTITITE OF MANAGEMENT SCIENCE&TECHNOLOGY	UDAIPUR	8058798655	9829766616
118	AISHWARIYA COLLEGE OF EDU. SANSTHAN	UDAIPUR	2471965	9414167445

119	AISHWARIYA TEACHERS TRAINING COLLEGE	UDAIPUR	2471965	9799003594
120	ANAKANT COLLEGE	SALUMBER	9829616669	
121	ANEKANT SEVA SANSTHAN T.T. COLLEGE	SALUMBER	9714758344	9427355227
122	ANUSHAKA LAW COLLEGE	UDAIPUR	2811395	9414263458
123	ARAVLI T.T. COLLEGE, EKLINGPURA	UDAIPUR	2650615	9414684138
124	ARAVLI T.T. COLLEGE	PRATAPNAGAR	2471442	9413093939
125	ARIHANT MAHILA TEACHERS TRAINING COLLEGE UDAIPUR		3203399	9252013009
126	ASIAN COLLEGE OF EDU.	UDAIPUR	2452096	9929916701
127	B.N. LAW COLLEGE	UDAIPUR	2417211	9928400014
128	B.N. P.G. COLLEGE	UDAIPUR	2412981	
129	B.N. P.G. GIRLS COLLEGE	UDAIPUR	2422934	9829069839
130	B.N. GIRLS COLLEGE, SALUMBER	UDAIPUR	0294-2410325	9414609913
131	B.N. PHY. EDU. COLLEGE	UDAIPUR	2428469	9314495356
132	BUDDHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE RESEARCH COLLEGE	UDAIPUR		
133	CHANAKYA COLLEGE OF TEACHERS TRAINING	UDAIPUR	2803498	9414166372
134	CHUNDA MAHILA T.T. COLLEGE	DHINKLI	2481720	9413833109
135	GOVT. COLLEGE	KHERWARA	02907-280078	
136	GOVT. COLLEGE	KOTRA	02958-290055	
137	GOVT. MEERA GIRLS COLLEGE	UDAIPUR	2524006	
138	GURU NANAK GIRLS COLLEGE	UDAIPUR	2462239	9351419424
139	GURU PUSHKAR JAIN COLLEGE	GOGUNDA	02959-280001	9414472914
140	H.R. GOVT. COLLEGE	SALUMBER	0296-230563	
141	HADI RANI T.T. COLLEGE	SHOBHAGPURA	2440608	9828515573
142	INDIA INTERNATIONAL COLLEGE	UDAIPUR	9636650608	
143	INDO AMERICAN INSTITUTE	BALICHA	2811829	9414934042
144	J.R. COLLEGE	RISHABHDEO	0259-270026	9414343371
145	J.R. COLLEGE PHALISIA	UDAIPUR	9784285797	9829216766
146	J.R. SHARMA P.G. COLLEGE	JHADOL (F)	02959-270025	9784295797
147	J.R. SHARMA T.T. COLLEGE	JHADOL (F)	02959-220039	9414831394
148	JAWAHAR VIDYAPEETH T.T. COLLEGE	KANORE	02957-233220	9460084076
149	JYOTI BA PHULE T.T. COLLEGE	MANVA KHERA	2491560	9214692509
150	JYOTI T.T. COLLEGE	UDAIPUR	251336	9414786835
151	KALA ASHRAM COLLEGE OF T.T.	UDAIPUR	2441010/2412345	9214910890
152	KAVYANJALI GIRLS COLLEGE	SARADA	9468576732	
153	KRISHNA COLLEGE OF PHY. EDU.	MAVLI-DABOK	9352390298	9413174921

154	KRISHNA MAHILA T.T.COLLEGE	SISARMA	2811028	9634482088
155	MAA VAISHNOV DEVI T.T. COLLEGE	UDAIPUR		9460030331
156	MAHARAJA COLLEGE OF ARTS & EDUCATION	DEBARI	2491513	9460801719
157	MAHARANI GIRLS B.ED. COLLEGE	DEBARI	3298007	9414934786
158	MAHARSHI INSTITUTE OF EDU.	SUNDERWAS	2415899	9461384751
159	MAHAVEER RASTRIYA COLLEGE	FATEHNAGAR	02955-220809	9251369222
160	MAHAVEER T.T. COLLEGE	UDAIPUR	2465838	9414161134
161	MANTRAM T.T. COLLEGE	UDAIPUR	2810957	9414830551
162	MATESHWARI T.T. COLLEGE	UDAIPUR	2418295	9414158078
163	NIMBARK T.T. COLLEGE	UDAIPUR	2417732	9460558991
164	PACIFIC COLLEGE	UDAIPUR	5132456	9414916214
165	PRATAP SODH SANSTHAN	UDAIPUR	2417230	9414758265
166	PREM SHANTI NIKETAN T.T. COLLEGE	UDAIPUR	2461421	9928877710
167	PT. UDAIJAIN COLLEGE	KANORE	02957-233236	9414683080
168	R.P. GIRLS COLLEGE	BHINDER	02957-220807	9460729936
169	R.P. PHY. EDU. COLLEGE	BHINDER	02957-220919	9351166401
170	RAJASTHAN MAHILA T.T. COLLEGE	UDAIPUR	2523338	9414157007
171	RAJDEV T.T. COLLEGE	UDAIPUR	2430891	9460402280
172	RAM KISHAN T.T. COLLEGE	MANVA KHERA	2464735	9214960259
173	RANA PRATAP GIRLS T. T. COLLEGE	BHINDER	02957-220919	9414682331
174	RAVINDRANATH THAKUR B.ED. COLLEGE	DEBARI	6508636	9414730682
175	RMV GIRLS COLLEGE	UDAIPUR	2419008	
176	S.S. COLLEGE OF EDU.	UDAIPUR	2462515	9414067553
177	S.S. COLLEGE OF EDU.	UMARDA	9829046988	9829299368
178	SAGAR B.ED. COLLEGE	KHERWARA	02907-222256	9413886567
179	SANJEEVANI T.T. COLLEGE	UDAIPUR		9530084955
180	SEEDLING COLLEGE OF INFORMATION SC.	UDAIPUR	9351244406	
181	SCHOLAR ARENA GIRLS B.ED. COLLEGE	UDAIPUR	3260742	9829009390
182	SHRI RAM COLLEGE OF TEACHERS EDU.	UDAIPUR	2412405	9413480476
183	SHRINATH T.T. COLLEGE	MAVLI-DABOK	2463299	9352390298
184	St. GREGRIOS COLLEGE	UDAIPUR	6509360/2413801	9829160852
185	SUN COLLEGE OF MANAGEMENT STUDIES	UDAIPUR	9413955007	
186	SWAMI VEVEKANAND COLLEGE	VALLABHNAGAR	02957-240890	9414832244
187	TAKSHILA T.T. COLLEGE	CHIRWA	9314715821	9460800559
188	TEACHERS TRAINING COLLEGE	JHADOL (F)	02959-220128	9414160991
189	THE NOBLE B.ED. COLLEGE	KHERWARA		9414785170

190	V.B.G.S.T.T. COLLEGE	UDAIPUR	2451814
191	VARDHMAN LAW COLLEGE	UDAIPUR	2526981 9460267113
192	VIDYA BHARTI T.T. COLLEGE	MAVLI	9460632927
193	VIDYA BHAWAN GANDIAN INSTITUTE OF EDU. STUDIES	RAMGIRI (BADGAON)	2411015 9414157015
194	VIDYA BHAWAN RURAL INSTITUTE	UDAIPUR	2450403
195	VISDAM T.T. COLLEGE	MULLA TALA	2430371 9413024600
196	VIVEKANAND COLLEGE OF B.ED.	DABOK	6451477 946041177

उपर्युक्त महाविद्यालयों की संबद्धता विश्वविद्यालय के द्वारा प्रमाणित होने के अधीन (Subject to Approval) है।